Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ४४वां दिवस [संख्या २९

गुरुवार, ७ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, पंचायत, आबकारी व कर, यातायात, कृषि, खाद्य एवं रसद, सहकारी, जन सम्पर्क तथा वन-विभाग]

खण्डार ग्राम पंचायत के सचिव श्री हरिवल्लभ की गिरफ्तारी

८६६. श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): Will the Home Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that the S. H. O., Khandar, arrested Shri Hari Vallabh, Secretary, Gram Panchayat, Khandar, under Section 379 I. P. C. on 15.3.60 ?

2. Whether the above case was registered against the accused with the allegation that the accused took one lock valuing annas eight from the shop of one Prabhoo Patwa ?

3. Whether the Secretary, Gram Panchyat was ordered by the Gram Panchayat to realise 'Hat tax' from the above shop-keeper ?

4. Whether on refusal the Gram Panchayat ordered the Secretary to attach some property with the like amount of due tax out of the shop, upon which the Secretary attached that lock valuing annas eight and upon which the above case was registered and the Secretary was arrested ?

5. Whether before arrest the Gram Panchayat gave in writing to S. H. O. that the lock was attached and deposited in the Panchayat ? If so, the wrongful gain by the accused, which is the main ingredient of Sec. 379 I. P. C. was made out, and under what circumstances the dishonest intention was made out ?

Page No.2

(श्री आबिद्अली)

6. When the lock was that of a very trifle value, was it justifiable for the S. H. O. to affect the arrest of the Secretary? If not, was the action taken by the S. H. O. quite malafide? If so, what action the Government is going to take against the S. H. O.?

7. Whether the S. H. O. wants to arrest the panchas and other servants of the Panchayat?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :- 1. Yes, Sir. He was arrested under Section 392 I. P. C. and not under Section 379 I. P. C.

2. Yes, Sir. The value of the lock was Rs. 1/4/-

3. He had no such order at the time of occurence and from the investigation it was found that the Gram Panchayat issued such orders afterwards to defend him in his illegal act.

4. As stated above, no such orders were issued prior to the occurence but it was done after the incident, to illegally favour the accused.

5. Yes, Sir. As Prabhu (complainant) had already paid the tax and obtained receipt, it was wrongful gain to the accused to take away lock in lieu of false pretext of tax and a wrongful loss to the complainant and hence the dishonest intention.

6. In case under Section 392 I. P. C. value of property is not material.

7. No, Sir. The case is sub-judice.

श्री आबिद्अली : Has the case been challaned?

श्री रामकिशोर व्यास : It is under investigation.

श्री आबिद्अली : Then how it is sub-judice when it has not been challaned?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान की जरूरत नहीं होती।

श्री आबिद्अली : चालान की जरूरत नहीं होती, यह कैसे? सबजुडिस तो तभी होता है जब कि चालान होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप लों मुलाहिजा फरमा लेंगे कि हाई कोर्ट की इस तरह की कई रूलिंग्ज़ हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : प्रस्ताव कब पास किया?

श्री रामकिशोर व्यास : उसी रोज़ की बात है। शायद २८ तारीख।

श्री पी० के० चौधरी : When did they pass the resolution imposing the tax, whether prior to the date of occurence or after it?

Page No.3

श्री रामकिशोर व्यास : On the same date.

श्री पी० के० चौधरी : Before or after the occurence ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पता नहीं। ऐसा है कि उसी रोज का रिजोल्युशन है, एमर्जेंसी मीटिंग बुलाई, विदाउट नोटिस। जब कि लॉ यह है कि दो दिन का नोटिस देना चाहिये। नोटिस दिया नहीं, उसी वक्त तय किया कि जमा नहीं कराया है। इस तरह सारा का सारा काम उसी वक्त में हुआ है।

श्री आबिदअली : यह तो फैक्ट है कि लॉ के अनुसार सेक्रेटरी अटेच करने गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अन्डर सस्पेन्शन है।

श्री आबिदअली : पॉइन्ट यह नहीं है कि वह अन्डर सस्पेन्शन है, पॉइन्ट यह है कि क्या वह ग्राम पंचायत के आदेश से एग्ज़ीक्यूट करने गया था या इन्डिपेन्डेंटली अज खुद-ब-खुद गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि वह सस्पेन्डेड है।

श्री आबिदअली : इस आन्सर का मेरे क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है। मेरा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के आदेश से सेक्रेटरी अटेच करने गया या इन्डिपेन्डेन्टली गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो जवाब दिया ही है।

श्री आबिदअली : मेरा प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत के आदेश से गया या इन्डिपेन्डेन्टली ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ऐसा है कि उसके पास पेमेंट की रिसीट मौजूद है, दुबारा लेना चाहते थे, दिया नहीं तो जबरदस्ती की।

श्री आबिदअली : मेरा क्वेश्चन साफ है, whether the Secretary went there for attachment by the orders of the Gram Panchayat ? I want answer to this question. सिर्फ इतना सा पॉइन्ट है।

श्री अध्यक्ष : इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन से जैसा साबित होगा उससे गवर्नमेंट अपना दिमाग बनायेगी कि चालान करना चाहिये या नहीं। आप जो पूछ रहे हैं, एक दम कैसे कह सकते हैं ?

श्री आबिदअली : Then, Sir, the case is not sub-judice. When the case is under investigation, according to law it is not sub-judice.

श्री रामकिशोर व्यास : किस किस स्टेज में सब्जुडिस होता है, यह आप चाहें तो आप चेम्बर में तशरीफ ले आयें या मैं खुद हाजिर हो जाऊं। जब आप फरमायें उसी समय, या स्पीकर साहब को बता दूं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जो आदमी ग्राम पंचायत की तरफ से जाता है, to execute certain orders, he

Page No.4

(श्री पी. के. चौधरी)

is to be treated as a public servant on duty.

श्री अध्यक्ष : This is rather a question of opinion.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, if he is a public servant on duty, then he cannot be held personally responsible for anything.

श्री अध्यक्ष : That is what I say. The whole case hinges on this point. If this is to be adjudicated here through questions and answers, the case would not proceed. We are not here to decide...

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, If a public servant even commits a mistake, he cannot be arrested and prosecuted. And how does he impute that it was in order to make a wrongful gain ?

श्री रामकिशोर व्यास : If a person is under suspension, how can he be on duty ?

श्री पी० के० चौधरी : If the Panchayat has deputed him, whether he is under suspension or a hawker from street, does not matter?

श्री रामकिशोर व्यास : There cannot be any...

श्री आबिदअली : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने सब-इन्सपेक्टर को लिख कर दिया है कि हमारे आदेश से सेक्रेटरी ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करने गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इससे नतीजा क्या है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है।

श्री आबिदअली : नतीजा तो साफ है। ग्राम पंचायत ने लिख कर दिया है, ग्राम पंचायत के आदेश से गया है। केस का चालान नहीं किया गया है तो सबजुडिस नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसका आन्सर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अदालत में नहीं गया है पर ये पॉइन्ट इन्वेस्टिगेशन को प्रेज्युडिस्ड करते हैं।

श्री आबिदअली : वह केस अन्डर इन्वेस्टिगेशन है तो वह सब-जुडिस हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : Does not matter. Even then these questions are not valid.

श्री श्रीभानसिंह : क्या कोई केस अन्डर इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके लिये क्वेश्चन टेबल नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : What I mean to say is that you cannot ask the Hon'ble Minister यह चीज बनती है कि नहीं बनती है when he says that it is still under investigation.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : It should not be interpreted as sub-judice, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस प्रकार का क्वेश्चन पुट–अप नहीं करें।

श्री पी० के० चौधरी : The question was, I was asking about a particular case, but the question of investigation should not be taken as a shield.

श्री अध्यक्ष : There is no question of shielding. The whole thing is being investigated. अगर चालान पेश कर देंगे और डिफेन्स ठीक है तो वह वहां से ठीक हो जावेगा। But these are abstrct questions of law which cannot be debated here.

श्री आबिद्अली : But, Sir, it is a question of fact whether the Gram panchayat ordered the Secretary to attach the lock or not ?

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, इसमें कई बातें हैं। जो चीज़ आज लिटीगेशन में है उसके लिये सिर्फ ' यस ' और ' नो ' कह देने से आपका मतलब हल नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : Even if the order was illegal...

श्री अध्यक्ष : Order please ! We won't have any discussion on it

श्री आबिद्अली : I may be allowed to put one supplementary.

श्री अध्यक्ष : Yes, just one more question.

श्री आबिद्अली : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम एविडेन्स पर ही तो प्राइमाफेसी केस किया होगा। Unless there was a prima-facie case against the evidence, he cannot be arrested.

श्री रामकिशोर व्यास : There was a prima facie evidence.

श्री आबिद्अली : What was it ?

श्री रामकिशोर व्यास : How can we discuss it here ? How many witnesses were examined, what they said, we cannot discuss the is here.

श्री आबिद्अली : Then, is this not material that the Secretary went there by the orders of the Gram panchayat ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की नुमाइशों के हिसाब में पाई गई अनियमितताओं पर कार्यवाही

८६७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के कुछ एग्जिबिशनस के हिसाब की ऑडिटर द्वारा जांच की गई है ?

(ख) यदि हां, तो कब और किन किन एग्ज़िबिशन्स के हिसाब की जांच की गई है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि ऑडिटर ने कई अनियमितताओं का उल्लेख दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या सरकार ऑडिटर की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) सूची संलग्न है। जांच २–१–५८ से १६–१–५८ तक हुई ।

(ग) जी हां । सरकार के सामने विभागाध्यक्ष का स्पष्टीकरण आने पर समुचित कार्यवाही की जायगी ।

(घ) ऑडिट की रिपोर्ट जो कि प्रदर्शनी के हिसाबात के सम्बन्ध में है, अभी विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या इस रिपोर्ट में गबन के मामलों का उल्लेख है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें कई पॉइन्ट्स लिखे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो सिर्फ एक ही पॉइन्ट पूछता हूं कि आया उसमें गबन के मामलों का उल्लेख है ?

श्री रामकिशोर व्यास : है या नहीं, मैं नहीं कह सकता । लेकिन बहुत सारी शिकायतें हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह गबन का मामला है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : 'गबन' से आपका मतलब 'एम्बेज़लमेंट' से है ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां ।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सी शिकायतें हैं । इसका कुछ पता नहीं लगा । एम्बेजलमेंट शायद नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच की रिपोर्ट आपके पास कब आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे लेवल तक अभी नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट लेवल पर कब आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी लेवल तक नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि ऑडिट की रिपोर्ट प्रदर्शनी के हिसाबात के सम्बन्ध में है जो अभी विचाराधीन है । यह आपके पास कब आई ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑडिट की रिपोर्ट आती है, उसमें कई बातें होती हैं । उसका क्लेरीफिकेशन हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ए. जी. को दे देता है और एकाउन्टेन्ट जनरल सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक है और अगर वह सेटिस्फाइड उनके जबाब से नहीं होता है तो गवर्नमेंट के पास फर्दर रेफर करता है ।

Page No.7

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑडिट ने यह रिपोर्ट १६५८ में पेश कर दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी लेवल तक तो आई नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी लेवल पर आई हो, आई तो है। आप यह बतावें कि वह कौनसी तारीख को आपके पास ऑडिट से भेजी गई ? सन् ५८ में भेजी गई या ५६ में या ६० में भेजी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास इसकी तारीख तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह तो बड़ी मुश्किल है। तारीख पूछते हैं तो नहीं बताते, सन् भी नहीं बताते। जिस समय आपके पास इसकी रिपोर्ट सन् ५८ में आ गई और आपने उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन मांगा है और आप फिर उसका कोई जवाब नहीं देते। कभी इस एक्सप्लेनेशन का अन्त भी आवेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हर एक के लिये प्रोसीजर होता है।

एक माननीय सदस्य : तीन वर्ष तक क्या अभी तक प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : जांच की ऑडिट रिपोर्ट आती है, उसकी प्रतिलिपि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास भेजी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह हमेशा जाती है।

श्री भैरोंसिंह : उसका जवाब कब मंगाया और कब आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो गवर्नमेंट के पास जाती है। एक्सप्लेनेशन ए. जी. के पास भेजा जाता है और ए. जी. सेटिस्फाइड हो जाता है ....

श्री भैरोंसिंह : कब और कौनसी तारीख को...

श्री अध्यक्ष : इसमें गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है ? ए. जी. सेटिस्फाइड हो जाता है तो गवर्नमेंट सेटिस्फाइड ....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑडिट डिपार्टमेंट से लोन पर गया है और उसने इसकी जांच की है और फाइनेन्स को भेजी है। माननीय मंत्री इस बात को एडमिट नहीं करते बल्कि इस तरह से जवाब देते हैं जैसे कोई उनको जानकारी ही नहीं हो।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको जानकारी की कमी है, आपने ए. जी. की और ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट से है जो इस बारे में चावला से जांच कराई और रिपोर्ट पेश की उससे है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने लिखा तो यह है, "क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के कुछ एग्जिबिशन्स के हिसाब की ऑडिटर द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो कब और किन किन एग्जिबिशन्स के

Page No.8

(श्री रामकिशोर व्यास)

हिसाब की जांच की गई है?" आपने ऑडिटर के बारे में ही तो आपने प्रश्न में लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह चावला की रिपोर्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ए. जी. की पार्टी आई थी, उसकी रिपोर्ट है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने यह जांच फाइनेन्स के मार्फत की या अलग की ?

श्री रामकिशोर व्यास : फ़ाइनेन्स ने अलग की है और इन्होंने अलग की।

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्स ने दूसरे विषयों को लेकर जांच की थी या इसी विषय पर जांच की ? यह जांच कब हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब आपने यहां एसेम्बली में बातें बताईं उसके बाद एस. पी. से कहा। उन्होंने उसको एग्ज़ामिन किया उसके बाद में।

श्री भैरोंसिंह : जांच किसने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : ए. जी. ने।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह किस जांच के बारे में कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने ए. जी. के बारे में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्स ने जांच की वह इससे अलग है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख को आपके पास रिपोर्ट आई ? अगर आप सतर्क हैं तो आप बता दें। देख कर आते तो बता देते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि मेरे प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा; क्योंकि जो सूचना दी जाती है वह साफ नहीं दी जाती। मुझे इस विभाग के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछने चाहिये क्योंकि इसके उत्तर इतने अपूर्ण होते हैं कि उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो पूछिये। ....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न पूछते हैं तो वे उसकी तारीख नहीं बता सकते, उसका सन् नहीं बता सकते कि किस दिन जांच कराई। मैं यह निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने अधिकारी को लोन पर बुलाया था और इसकी जांच की गई थी।

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय मंत्री खुद कहते हैं कि फाइनेन्स ने जांच की और ए. जी. ने जांच की।

श्री भैरोंसिंह : जिस चीज को लेकर मैं चलता हूँ वह नहीं है, वह ऑडिट रिपोर्ट में है।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिए इस प्रश्न को करने की बात नहीं है। आप यह नहीं बताते कि कब जांच की गई, गवर्नमेंट लेवल पर यह कब हुई, ऑडिट में कब गई ? इस तरह से जवाब देने से एवोइड किया जाता है और प्रोटेक्ट करते हैं तो मेरा अगला प्रश्न है उसको नहीं पूछने की इजाजत दे दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं पूछने की इजाजत देने का प्रश्न नहीं उठता। उनके पास जो सूचना है वह उन्होंने दी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रश्न पूछता हूं उसका पूरा जवाब नहीं देते और एवोइड करते हैं। ऑडिटर किसको कहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑडिटर उनको कहते हैं, auditors of A. G.'s Office.

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने ऑडिट का वर्ड यूज़ किया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब चावला की रिपोर्ट से है और वह सब आपकी नोलेज में है कि उसमें क्या लिखा है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप फाइनेन्स की पूछते तो उसका जवाब दिया जाता। आपने पूछा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस बात की मुखालफत की है कि एम्बेज़लमेंट के केसेज़ नहीं मिलेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि बहुत सी शिकायतें हैं।

श्री भैरोंसिंह : You bring the report before the House.

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट एग्ज़ामिन हो रही है और वे कहते हैं कि यह अन्डर कन्सीडरेशन है।

श्री भैरोंसिंह : यह ५८ की रिपोर्ट है। कब तक सामने नहीं आवेगी ? ५९, ६०, ६१ हो गया और बाद में इलेक्शन आ जावेगा और यह रिपोर्ट सदन में नहीं आवेगी।

प्रश्न संख्या ८६८

श्री अध्यक्ष ^ रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६९

श्री भैरोंसिंह।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

[redacted] आप स्पष्ट ही पूछ लेते तो उसका उत्तर मिल जाता।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

चुरू जिले में भांग के ठेकेदारों द्वारा अफीम व गांजा की अवैध बिक्री

८७०. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.10

(श्री किशनाराम)

(१) क्या सरकार को विदित है कि चुरू जिले में भांग के ठेकेदारों के पास नाजायज़ अफीम व गांजा भी बिकता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां शराब में पानी मिला कर जनता को बेचा जाता है और उस पर सरकार द्वारा कोई कार्यवही नहीं की जाती ? क्या सरकार इसकी जांच किसी वैज्ञानिक ढंग से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी):
(१) भांग के ठेकेदार अफीम व गांजा नियमानुसार नहीं बेच सकते हैं । यदि बेचते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

(२) शराब में पानी मिला कर बेचना अवैधानिक है । जांच में शिकायत ठीक पाने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है । शराब में पानी मिलाने पर उनकी स्ट्रेन्थ कम हो जाती है और इसकी जांच हाइड्रोमीटर व थर्मामीटर से हो जाती है ।

श्री किशनाराम : आपको कैसे मालूम हुआ कि पानी नहीं मिलाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको कोई निश्चित जानकारी हो तो आप बता दें ।

श्री किशनाराम : आपने इस संबन्ध में कोई जांच कराई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपकी जानकारी में हो तो आप शिकायत कर सकते हैं ।

श्री किशनाराम : यह प्रश्न शिकायत के तौर पर ही है ।

श्री अध्यक्ष : आप बतावें कि कौन सा ठेकेदार पानी मिलाता है ?

श्री किशनाराम : ऐसा है कि उनके पास अवैध अफीम आदि रहती है । अभी जो अफीम पकड़ी गई, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप क्या फरमाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अफीम जो पकड़ी गई उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : अमुक केस के बारे में पूछ रहे हैं कि अफीम पकड़ी गई है उसमें क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पूछा नहीं गया है; इसलिए उसकी इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री किशनाराम : अब करवा लीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सवाल सीधे ही पूछ लिये जाया करें तो दिक्कत न हो ।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया, माइक को काम में लेकर बोलिये ।

श्री भैरोंसिंह : माइक का उपयोग करियेगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय से और उनके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रश्न घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं, इससे उनको स्वयम् को, डिपार्टमेंट को और मिनिस्टरों को भी उत्तर देने में दिक्कत होती है। यदि सीधे ही पोइन्टेड क्वेश्चन्स पूछ लिये जाया करें तो इससे काफी सहूलियत पैदा होगी। अभी माननीय सदस्य की बहस चली थी। यदि सीधे ही फाइनेन्स ही पूछ लेते तो दिक्कत नहीं होती। और व्यक्तिगत प्रश्न हो तो भी सीधे ही पूछ लिए जाया करें जिससे कि प्रश्नों के उत्तर भी अनुपूरक न रहें और उनके लिए सामग्री जो इकट्ठी की जाती है उसमें भी इस प्रकार से पूरी सूचना एकत्रित की जा सके।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Give some sermons to yourself also to answer straight and to come straight.

श्री किशनाराम : आप भी आंकड़ों से ही बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

पाली में एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

८७१. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली-श्री शंकरलाल (रायपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पाली तहसील की सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कितने फौजदारी मुकदमात इस समय पेन्डिग हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि वर्त्तमान सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट को कलेक्टोरेट का काम भी करना पड़ता है ? यदि हां, तो कौन कौन सा और कितने समय के लिए ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि पाली जिले के लैंड रेकॉर्ड का काम भी एस. डी. ओ., पाली को ही करना पड़ता है और करना पड़ता है तो क्या सरकार बतलावेगी कि ऐसे काम भी उनको रोजाना किस किस समय में करने पड़ते हैं ?

(घ) क्या सरकार सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट पाली, में फौजदारी मुकदमों की संख्या को देखते हुए तथा अन्य कार्य-भार को देखते हुए एक एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करना उचित समझती है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या सरकार उक्त सुझाव को क्रियान्वित करने में असमर्थ है तो सोजत में जो एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उन्हें सप्ताह में दो दिन के लिए पाली तहसील के मुकदमात को सुनने के लिए नियुक्त करना उचित समझती है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) पाली तहसील की सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस समय २६८ फौजदारी मुकदमात पेन्डिंग हैं।

(ख) वर्त्तमान सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कार्यालय की शाखायें सप्लाई, डिस्ट्रिक्ट पूल और रजिस्ट्रेशन का कार्य भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

ब–हैसियत ऑफिसर इन्चार्ज शाखा के सुपरवाइज करना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक घंट प्रतिदिन देना पड़ता है।

(ग) पाली जिले का लैन्ड रेकॉर्ड का काम दिनांक २१. १. ६० से डिप्टी कलेक्टर जागीर के पास ट्रान्सफर कर दिया गया है। इससे पहले यह कार्य एस. डी. ओ., पाली देखते थे।

(घ व ड) इस पर विचार किया जावेगा।

श्री शंकरलाल : विचार कब तक किया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने हुकम दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, आज की प्रश्नावली में श्री भैरोंसिंहजी द्वारा ७ प्रश्न पूछे गये हैं और रूल्स ओफ प्रोसिजर और कन्डक्ट ऑफ बिज़िनेस के रूल ३३ के अन्दर ६ ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : छः ही पूछने दूंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक मैंने नहीं पूछा है, मैं आपकी दिक्कत को समझ गया था।

आर. टी. ए. उदयपुर द्वारा अजमेर भीलवाड़ा रूट पर दिये गये परमिट

८७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) आर. टी ए. उदयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या १२७, तारीख १५।१६ मई, सन् १९५८ द्वारा अजमेर–भीलवाड़ा रूट पर किन किन को परमिट दिया गया तथा किन किन की एप्लीकेशन्स खारिज की गई ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि आर० टी० ए० के प्रस्ताव के विरुद्ध अपीलेट ऑथोरिटी में अपील की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा, कब और इस अपील की सुनवाई के लिये कौन कौन सी तारीखें निश्चित की गई थीं ?

(ग) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर की अदालत से श्री शंकरलाल द्वारा दायर किये गये एक सिविल सूट के परिणाम स्वरूप अपीलेट ऑथोरिटी को इस अपील पर निर्णय न करने का आदेश दिया गया ?

(घ) क्या यह मामला अपीलेट ऑथोरिटी की ओर से कॉन्टेस्ट किया गया था ? यदि हां, तो अपीलेट ऑथोरिटी के वकील कौन थे और उनको इस केस में क्या क्या इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये थे ?

(ङ) क्या यह सही है कि श्री शंकरलाल ने यह मुकदमा अदालत से उठा लिया और अपीलेट ऑथोरिटी के किसी प्रतिनिधि ने इस पर कोई ऐतराज किसी भी तरह का नहीं किया ?

(च) इस अपील का फैसला अपीलेट

(श्री भैरोंसिंह)

ऑथेरिटी द्वारा कब किया गया और किसके पक्ष में तथा सिविल सूट लेने के कितने दिन पश्चात् ? कृपया इस फैसले की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) भीलवाड़ा, अजमेर रूट पर कुल १०० प्रार्थना-पत्र आये जिनमें से निम्नलिखित ६ प्रार्थियों को प्रस्ताव संख्या १२६ द्वारा दिनांक १५।१६ मई, सन् १६५८ को परमिट दिये गये :

१. श्री शंकरलाल निमोदिया

२. श्री मोतीलाल टाक

३. श्री बिहारीलाल वर्मा

४. श्री चुन्नीलाल टाक

५. मेसर्स मेवाड़ रोडवेज़

६. मेसर्स दी नेशनल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी।

उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गये।

(ख) जी हां, २६ अपीलेट ने अपील की जिनकी सुनवाई दिनांक ३०.१.५६,२८.१०.५६,१६.११.५६ और २१.१२.५६ को हुई।

(ग) जी हां, श्री शंकरलाल पुत्र श्रीमोहनलाल ने सीनियर सिविल व एडीशनल सेशन्स जज, जयपुर में सिविल सूट दायर किया जिसकी पेशी ता० १२.१.६० की इत्तला डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट को हुई। इस केस में सिविल जज के यहां से एक इन्जक्शन जारी हुआ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

(च) जिन २६ अपीलान्टों ने अपील की थी उनमें से ६ को परमिट ता० ५.२.६० के फैसले से दिये गये :—

१. राजस्थान मोटर्स

२. श्री गणपतलाल

३. जनरल मोटर बस सर्विस

४. ईसरदास

५. श्री बहादुरमल दासोट

६. कालरा मोटर ट्रान्सपोर्ट कं०

सिविल सूट वापस लेने की इत्तिला का कुछ मालूम नहीं है। अपीलेट कमेटी के फैसले की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट का जयपुर सिटी में लागू होना

८७३. **श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) :**

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट जयपुर सिटी में कब लागू हो रहा है ?

(ख) इसमें देर लगने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । लेकिन लागू करने की निश्चित तारीख देना सम्भव नहीं है ।

(ख) अभी यह विषय सरकार के विचाराधीन है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कार्य-क्षेत्र डिविजन, डिस्ट्रिक्ट या प्रत्येक नगरपालिका के आधार पर हो ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जब यह एक्ट पास हो गया तो यह प्रश्न इतने दिनों तक क्यों विचाराधीन है ? यह तो छोटा सा प्रश्न है ।

श्री सम्पतराम : एक्ट बनने के बाद रूल्स जो बनाने हैं वे विचाराधीन हैं । यह सवाल भी माननीय सदस्य समझें तो छोटा नहीं किन्तु बड़ा सवाल है ।

डॉ० चन्द्रकला : इसको कितना बड़ा सवाल मानते हैं और अब कितना समय लगने की संभावना मानते हैं ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास तराजू तो नहीं है कि जिससे तोल कर निश्चित तौर पर बता दूं । जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है और देश में आवश्यकता महसूस की जाती है विधान सभा ने यह कानून पास कर इसकी महत्ता को जाहिर किया है, फिर भी ये सवाल हल करने हैं कि कहां २ पर ट्रस्ट बनें, किस तरह का स्टाफ होगा, कार्य होगा । कुछ कॉम्प्लीकेटेड फन्क्शन्स दिये हुए हैं । अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड बनाये या कौन, मशीनरी सेट-अप करे ? मशीनरी सेट अप नहीं करते हैं तो जिस कार्य के लिए बनाते हैं; वह कार्य पूरा नहीं होता ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि कानून पास हुए को साल, डेढ़ साल हो गया है और क्या यह देरी इसके लिए नहीं हुई है ?

श्री सम्पतराम : देरी को आप और मैं भी महसूस करते हैं । देरी भी, यदि अच्छे ढंग से कार्य हो तो अच्छी है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जयपुर सिटी में कन्स्ट्रक्शन होते जा रहे हैं और इससे शहर का शो बिगड़ रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री सम्पतराम : लागू होने और न होने से शहर का शो नहीं बिगड़ता है । आज भी म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड इजाजत देते हैं । हो सकता है कि कुछ वर्क्स दे रखे हों ; जिनमें दिक्कतें आ सकती हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राम बाग रोड पर और दूसरी जगह दूकानें बन रही हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है ।

डॉ० चन्द्रकला : अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को वे अधिकार नहीं हैं और वे काम करा रहे हैं वह जयपुर के विकास को देखते हुए ठीक नहीं बैठता है।

श्री सम्पतराम : उसको जल्दी लागू किया जावेगा। काम ठीक नहीं हो रहा है, यह तो एक वेग इम्प्रेशन हो सकता है लेकिन टेक्निकल यह राय नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसे लोग दूकानें बना रहे हैं। अभी इम्प्रूवमेंट बोर्ड को अधिकार नहीं है लेकिन नये कानून के तहत रोक सकेंगे तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री सम्पतराम : कानूनी कार्यवाही होती है वह की जाती है। म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में कई बातें आती हैं। दोनों एजेन्सीज़ एक साथ मिल कर काम कर सकती हैं। फिर भी नोटिस में लाई जावेंगी तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या यह समझा जाय कि मंत्री महोदय शहर में चलते हैं तो क्या अपनी आंखें बन्द करके चलते हैं और वे चीजें उनके ध्यान में नहीं आती?

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिन लोगों ने दूकानें बना ली हैं तो क्या मंत्री महोदय ऑर्डर देंगे कि दूकानें तोड़ दी जायं और पहले जैसा ही कर दिया जायं?

श्री सम्पतराम : निश्चित स्थान बतलायेंगे और इस प्रकार की शिकायत आवेगी तो उसको देख कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : कौन शिकायत करेगा?

श्री सम्पतराम : जिसको तकलीफ है, समाज का भला चाहते हों या उसके रिप्रेजेन्टेटिव हों।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो माननीय मंत्री महोदय ने बताया नहीं कि कितने दिनों में अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट लागू कर देंगे। डेढ़ साल तो निकाल दिया; हो सकता है आगे भी दो साल और निकाल दें और उसके बाद नये चुनाव आ जायं।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का असर पड़ा है, काफी, जल्दी कर देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप भी कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने भी कह दिया है।

आर० टी० ए० उदयपुर द्वारा जे० जी० सिंह ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम परमिट का कैन्सिल किया जाना

८७४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मोटर गाड़ी नं० आर० जे० ई० ४६, आर० जे० ई० ४८, आर० जे० ई० ३६३ का परमिट जे० जी० सिंह ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के

(श्री भैरोंसिंह)

नाम पर था जिसका सन् १६५८ में आर० टी० ए० उदयपुर ने परमिट कैन्सिल कर दिया ?

(ख) क्या यह सही है कि आर० टी० ए० ने यह परमिट इसलिये कैन्सिल किया कि जे० जी० सिंह कम्पनी ने आर० जी० ई० ४६ बालमुकुन्द चौधरी, आर० जे० ई० ४८ जानकीलाल मुनीम तथा आर० जे० ई० ३६३ सिन्दमल सिंधी को बेच दी जिसका प्रमाण जे० जी० सिंह कम्पनी की ओर से सिविल जज, शाहपुरा की अदालत में दिया गया एक बयान माना गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि एस० टी० ए० में जे० जी० सिंह की ओर से अपील की गई तथा सबूत में आर० जे० ई० ३६३ के लिये एक डॉक्युमेंट पेश किया गया जिस पर आर० टी० ए० के तीनों गाड़ियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को खारिज कर दिया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि आर० टी० ए० द्वारा अब आर० जे० ई० ४६ का परमिट आर० जे० एल० ६२८ के नाम पर उस ही बालमुकुन्द के नाम ट्रान्सफर कर दिया गया है ?

(ङ) कृपया आर० टी० ए० व एस० टी० ए० के प्रश्न संख्या क,ग और घ में किये गये निर्णय की तथा प्रश्न ख एवं घ में पेश किये डॉक्युमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, यह सही है कि आर० टी० ए० उदयपुर ने तीनों गाड़ियों के परमिट कैन्सिल कर दिये।

(ख) जी हां, यह सही है कि श्री ज्ञानसिंह के बयान सिविल जज, शाहपुरा की अदालत में व आर० टी० ए० के समक्ष देने पर इन गाड़ियों के परमिट कैन्सिल किये थे।

(ग) जी हां, जे०जी० सिंह कं० ने एस० टी० ए० में अपील की और आर० टी० ए० के फैसले को रद्द कर दिया गया।

(घ) आर० जे० ई० का परमिट गाड़ी नं० आर० जे० एल० ६२८ द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया और यह परमिट जनवरी, १६६० में श्री बालमुकुन्द सत्यनारायण के नाम पर ट्रान्सफर हुआ।

(ङ) आर० टी ए० व एस०टी०ए० के प्रश्न संख्या क, ग में किये निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

जोधपुर डिविजन के बीज उत्पादक कृषि फार्म

८७५. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जोधपुर डिविजन में बीज उत्पादक कृषि फार्म सरकार की ओर से आज तक किन किन स्थानों पर कब कब खोले गये और किन किन स्थानों पर कितने फार्म और खोलने का विचार है ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(ख) पाली जिले में बीज उत्पादक कृषि फार्मों पर आज तक किन किन फार्मों पर कितना कितना स्टाफ काम कर रहा है व कितना खर्चा हुआ है और आज तक कितना बीज किस प्रकार का कितनी मात्रा में तैयार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निम्न स्थानों पर कृषि उत्पादन फार्म खोले गये थे :—

जिला	फार्म का स्थान	वर्ष जिसमें खोला गया
जालोर	रासियावास	१६५८
पाली	सुरायता	१६५८
,,	एरिनपुरा	१६५७
,,	पाली	१६५८
जोधपुर	रामपुरा	१६५८
सिरोही	औराजोड़	१६५८
नागोर	रिणेया	१६५८
,,	हरसोर	१६५७
बाड़मेर	समदरी	१६५७
जैसलमेर	चन्दन	१६५६

द्वितीय योजना के अन्तर्गत इस डिविजन में और कोई फार्म खोलने का विचार नहीं है।

(ख) कितना स्टाफ किस फार्म पर है और उस पर कुल कितना खर्चा हुआ वह निम्न प्रकार है:—

			खर्चा
सुरायता फार्म	फार्म मैनेजर	१	
,,	हाली	३	८,६१०.५८
,,	एल. डी. सी.	१	न. पै.
एरिनपुरा रोड	फार्म मैनेजर	१	२२,०६४
	स्टोर कीपर	१	रुपये
	ट्रेक्टर ड्राइवर	१	
	हाली	५	
पाली	फार्म मैनेजर	१	१७२-
	स्टोर कीपर	१	६२.७६ न. पै.
	ट्रेक्टर ड्राइवर	१	
	हाली	५	

किस फार्म पर कितनी मात्रा में बीज उत्पन्न हुआ उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि इन फार्मों पर खर्चा ज्यादा होता है और उत्पादन कम ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू शुरू में जब फार्म बनाये जाते हैं उसमें जमीन को ठीक करना, ट्रेक्टर आदि खरीदना उसके बाद समरस जमीन को करना ; इसमें काफी समय लग जाता है उसके बाद बीज डाला जाता है। इस तरह से उत्पादन होने में टाइम लगता है।

Page No.18

रूपाहेली निवासी श्री सोहनलाल सुनार की पुलिस द्वारा पिटाई के कारण मृत्यु

८७६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि थाना गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा के थानेदार ने रूपाहेली निवासी श्री सोहनलाल सुनार को किसी मामले में इस वर्ष में गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो कब और किस अपराध में ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार ने श्री सोहनलाल की मार-पिटाई की जिसके कारण उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई और उसको भीलवाड़ा हॉस्पिटल में भर्त्ती कराना पड़ा ?

(ग) क्या यह सही है कि हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में श्री सोहनलाल की मृत्यु हो गई ।

(घ) क्या यह सही है कि श्री सोहनलाल की मृत्यु से पहले उसके परिवार तथा कुछ अन्य लोगों ने एस. पी. भीलवाड़ा को इस पिटाई की शिकायत की तथा इस बात की सूचना भेजी कि पिटाई के कारण उसकी हालत ज्यादा खराब है, इसलिये तुरन्त जांच करवाई जाय; परन्तु कोई जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) श्री सोहनलाल नहीं; परन्तु श्री रघुनाथ आत्मज श्री भूरालाल सुनार, ग्राम रूपाहेली दिनांक २४।११।५६ को तार विभाग के तारों की चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) जो नहीं, श्री रघुनाथ दिनांक ६।१२।५६ को बीमार होने के कारण उसके संबन्धियों के द्वारा चिकित्सालय में भर्त्ती हुआ था ।

(ग) वह चिकित्सालय में ही मर गया ।

(घ) उसके मरने से पूर्व एस. पी. भीलवाड़ा के पास कोई सूचना नहीं आई थी । इसलिये जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई सोहनलाल और वहां के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने इस सम्बन्धी शिकायत गृह मंत्री, आई०जी० पुलिस और एस०पी० महोदय को की है कि रघुनाथ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा मार पिटाई से उसकी मृत्यु हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत आई थी ।

श्री भैरोंसिंह : उस शिकायत की जांच किससे करवाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी.आई.डी. द्वारा ।

श्री भैरोंसिंह : सी. आई. डी. की रिपोर्ट आ गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : सी. आई. डी. ने जो इन्क्वायरी की उसमें एविडेन्स वगैरह रेकॉर्ड की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको

Page No.19

(श्री रामकिशोर व्यास)

बता दूँ कि जिस चिकित्सालय में उसका इलाज हुआ वहां की डॉक्टरी रिपोर्ट है कि इसका कॉज़ ऑफ डेथ इन्जरीज़ नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : मेडिकल रिपोर्ट किस प्रकार से आई, यह बात दूसरी है मैं। यह जानना चाहता हूं कि जब आपके पास शिकायत आई, जिस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई क्या उन लोगों के बयान लिये गये उनसे इस बात की जानकारी की गई कि इस शख्स की मृत्यु वे किस प्रकार से हुई मानते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी. आई. डी. द्वारा जांच कराई गई, एलीगेशन्स प्रूव नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या इस सम्बन्धी जो शिकायत आई वह गलत साबित हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : उस व्यक्ति के थाने में गिरफ्तार करने और उसको रिहा करने के कितने दिन बाद मृत्यु हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मै आपको एक बात बता दूँ कि इसके पांच दिन बाद वह मरा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रिहा करने के बाद ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिहा करने के पांच दिन बाद मरा है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को रिहा किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सात तारीख को रिहा किया गया और १२ को मृत्यु हुई।

श्री भैरोंसिंह : उसका अस्पताल में एडमिशन कब हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख ६ को हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई उसकी लाश को रोक कर भीलवाड़ा नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने जाकर एस. पी. महोदय से शिकायत की कि इस व्यक्ति को थानेदार ने मारा है और उससे जो इन्जरीज़ इसको हुई उसके कारण इसकी मृत्यु हुई है; पुलिस तसल्ली कर सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेडिकल रिपोर्ट से ऐसा ज्ञात नहीं होता। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : उस व्यक्ति को किस-लिये गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारों की चोरी पकड़ी गई थी। उसकी निशादेही से बरामद हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह कहता हूं कि अगर इस मामले की जांच की जायगी तो इस बात के प्रमाण हैं कि पुलिस की हिरासत में लाकर पुलिस

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा मारपीट करने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गये और जिस समय अस्पताल ले गये उस समय वह घायल अवस्था में था और जिस समय घायल था लोगों ने जाकर एस० पी० से शिकायत की कि वह व्यक्ति घायल है और मरेगा, अतः उसका स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन रेकॉर्ड कर लिया जाय। लेकिन पुलिस के अधिकारी वहीं पर बैठे बैठे टेली-फोन से मालूम करते रहे कि उसकी मृत्यु हुई या नहीं और मरने के बाद कहा गया कि अब तो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम भी जितनी तेजी से होना चाहिये नहीं हुआ और उसके लिये डॉक्टर इधर–उधर घूमते रहे और न उन्होंने किसी प्रकार की रिपोर्ट दी। मैं गृह मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि एक आदमी ने नहीं, 'वहां प्रतिष्ठित नागरिकों ने इस बारे में कहा; गृह मंत्री महो-दय जांच करा लें ; मैं प्रमाण देने के लिये तैयार हूं। यह तो उस एक आदमी की मृत्यु का कारण है, न मालूम इस तरह के कितने ही मामले होते हैं। आपकी तरफ से कोई ठीक जवाब नहीं मिलता...

श्री **रामकिशोर व्यास** : आपने तो यह तरीका ही अख्तियार कर लिया है।

श्री **भैरोंसिंह** : जिसकी आत्मा दुखती है वह तो कहेगा ही।

श्री **श्रीभानसिंह** (बयाना) : अभी आपने फर्माया उत्तर देते हुए कि वह तारों की चोरी में पकड़ा गया और उसके बाद तारीख ६ को वह अस्पताल में भर्ती हुआ, तो आपने उसको छोड़ा क्यों ; जब कि चोरी उससे बरामद हुई, why was he discharged ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : वह दोषी तो हो गया, बाद में कोर्ट में चला है।

श्री **भैरोंसिंह** : एक क्वेश्चन थोड़ा और पूछ लूं। सात तारीख को मुकदमे का चालान कर दिया था या चालान करने से पहले ही बेल पर उसे छुड़वाया; यह थोड़ा और बता दीजिये ?

श्री **अध्यक्ष** : वह तो एक्यूज्ड ने एप्लाई किया होगा।

श्री **भैरोंसिंह** : चालान पेश किया कि नहीं ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया ; पर चालान नहीं हुआ। उसने बेल पर छोड़ने का प्रबन्ध कर लिया।

श्री **श्रीभानसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह तो बताया जावे कि चालान करने से पहले ही बेल पर छोड़ दिया गया या चालान करने के बाद छोड़ा गया ?

श्री **अध्यक्ष** : चालान से पहले भी तो बेल हो सकती है।

श्री **भैरोंसिंह** : कहा गया कि कुछ माल बरामद हुआ, अब मजिस्ट्रेट को पुलिस यह कहे कि कुछ तो माल बरामद हुआ है और कुछ होना बाकी है, तो रिकवरी के पॉइन्ट ऑफ व्यू से जमानत पर नहीं छोड़ने के लिये पुलिस कह सकती थी, पर पुलिस हत्या के पाप से बचना चाहती थी और

(श्री भैरोंसिंह)

चाहती थी कि वह छूट जाय। तो यह सारी की सारी चीज कॉन्कोक्टेड है।

श्री श्रीमानसिंह : I think, Sir, presence of accused is very necessary before the bail is granted ; that is according to my knowledge और जब पुलिस की कस्टडी में एक्यूज्ड है तो एन्टीसिपेटरी बेल कैसे कर दी ? बेल एप्लीकेशन उसकी कौन कोर्ट में ले गया था ?

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Presence of accused is necessary.

श्री अध्यक्ष : एक्यूज्ड कोर्ट में हाजिर हुआ होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : The accused was there. एक्यूज्ड कोर्ट में गया था। कोर्ट ने सुना है, आखिर उसको बेल पर छोड़ा है, उसको सुन कर बेल एक्सेप्ट की है।

श्री अध्यक्ष : चालान पेश नहीं हुआ, पर जहां तक उस एक्यूज्ड का ताल्लुक था उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया। कोर्ट ने जुडिशियल लॉक-अप में रखने के बजाय उसे बेल पर छोड़ दिया।

श्री भैरोंसिंह : अब यह मन्त्रीजी ने बताया कि कुछ माल बरामद हुआ ; तो जितना रिकवर उससे हुआ, उस पर वे उसे और पुलिस कस्टडी में रख सकते थे बाकी का माल और बरामद करने के लिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने 'निशादेई' का वर्ड यूज किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पूरा का पूरा माल बरामद हो गया था, उसको बेल पर छोड़ने से पहले ?

श्री रामकिशोर व्यास : कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेन पॉइन्ट यह है कि मुल्जिम कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट ने उसे बेल पर छोड़ दिया। आप इसके बारे में पर्टिकुलरली पूछ लें। मेरा यह सारा केस देखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जितना माल चोरी गया था उतना माल बरामद हो गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इस वक्त निवेदन नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : जिस वक्त कोर्ट से जमानत हुई, क्या उस वक्त पुलिस ने ऐतराज किया था कि माल की रिकवरी करनी है और इसलिये तब तक इसको बेल ग्रान्ट न की जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो पुलिस पैरोकार अपना व्यू पॉइन्ट अदालत में रख देता है। उस पर विचार करना, नहीं करना मजिस्ट्रेट का काम है। बेल पर छोड़ना, न छोड़ना उसके हाथ में है। पुलिस तो फैक्ट्स अदालत में रख देती है।

श्री भैरोंसिंह : यह ग्राउन्ड रखा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारे ही ग्राउन्ड्स रखे होंगे।

Page No.22

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने क्या यह पेश किया था कि इसकी जमानत हो जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो जो लॉ होता है वह होता है। अब इन्डिविजुअल ने कोर्ट में क्या बात कही, पैरोकार ने क्या कहा और अदालत ने क्या कहा, यह तो मैं क्या बता सकता हूं। हां, स्पेसिफिकली आप पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं। अब पैरोकार और हाकिम के बीच क्या क्या बातें हुई, यह आप मुझे पूछें तो मैं कैसे जानकारी दे सकता हूं कि क्या क्या बातें हुई ?

श्री भैरोंसिंह : इस मुकदमे का चालान कब किया गया ?

श्री अध्यक्ष : चालान तो शायद नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास : चालान तो नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : वह २२ को मरा है और सात तारीख को बेल पर छूटा, इस बीच के पन्द्रह दिनों तक पुलिस बैठी बैठी क्या करती रही ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है, बड़ा ग्रेव मैटर है, लोगों की सिक्योरिटी का सवाल है। ऐसे मामलों में अगर सरकार यह कहती है कि 'मुझे पता नहीं;' तो इसका इलाज क्या है ! यह पुलिस रोज आदमी मारती है। अभी एक तो कल-परसों मार दिया। एक यह मार दिया और इस तरह से उन सारे मैटर्स को छिपाने की कोशिश की जा रही है, सरकार इन हत्यारों को संरक्षण दे रही है। तो अब इसका किस तरह से इलाज होगा ? पुलिस की तरफ से ज्यादती होती है, हाउस में हम लोगों तक को कुछ नहीं बताया जा सकता, सदन इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, तो बाकी साधारण जनता की तो बात ही क्या कहनी है ? हम यहां बैठे हुए भी कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि जिससे ऐसे मामलों में गाइडेन्स दे सकें सरकार को ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अर्ज कर दूं। जितनी जानकारी आपने चाही उतनी मैंने खिदमत में पेश कर दी। जितने सप्लीमेंटरी प्रश्न आपने किये उनका जवाब डाइरेक्टली खिदमत में अर्ज कर दिया। अब पैरोकार और हाकिम के दर्मियान क्या बातें हुई, कितनी हुई उसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया कि यह तो वे ही जान सकते हैं। अब आप क्या बात जानना चाहते हैं, और मालूम होगा तो खिदमत में अर्ज कर दूंगा ! दूसरी बात कही कि यह हो जाता है, वह हो जाता है: अब इसमें हम जितनी रेमेडी कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे आपको सन्तोष नहीं होता है तो कोर्ट्स आर ऑलवेज़ ओपन।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार मेरी खुद की पर्सनल इस शिकायत पर कि रघुनाथ सुनार को पुलिस ने मारा है, फिर से इस सम्बन्ध की जांच करने को तैयार है जब कि इसकी डेफिनिट और कॉन्क्रीट एविडेन्सेज़ यहां सदन में प्रस्तुत हुए हैं, मैं सुबूत पेश कर सकता हूं ?

Page No.23

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे सुबूत आप दें तो जांच कराने में सरकार को ऐतराज नहीं होगा, फिर ओपन कर सकते हैं। पर मेडिकल इवीडेन्स....

श्री भैरोंसिंह : मैं बताऊंगा कि मेडिकल एवीडेन्स भी कैसी है।

श्री रामकिशोर व्यास : We can do it.

श्री भैरोंसिंह : आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

दौसा डिपो में बीज हेतु एकत्रित जवार की नीलामी

८७७. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दौसा डिपो में बीज के लिये एकत्रित की गई जवार को नीलाम कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) यह जवार किस भाव पर किस किस व्यक्ति को नीलाम की गई ?

(घ) क्या इस कार्य से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है ?

(ङ) यदि हां, तो कितना ? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसकी अभी इन्फोर्मेशन, पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामधन : कांई जबाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : हाले जबाब आयो नहीं, पाछे आई।

(हंसी)

श्री रामधन : बीच में भी जबाब नहीं दीयो ?

श्री अध्यक्ष : अब अगली टर्न पर दे देंगे।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस विभाग का जबाब नहीं आया करता, क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह।

ग्राम पंचायत बदनोर, तहसील आसीन्द के हरिजनों को तनख्वाह न मिलने के सम्बन्ध में

८७८. **श्री जयसिंह राणावत** (आसीन्द) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) गांव बदनोर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत की तरफ से कितने आदमियों को ग्राम सफाई के काम पर रखा गया था और उनकी प्रति माह कितनी तनख्वाह थी ?

(श्री जयसिंह राणावत)

(२) कितने महीनों का वेतन सफाई-वालों का और बत्तियां जलानेवालों का बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि लगभग १८ महीनों से सफाईवालों को तथा बत्तियां जलानेवालों को तनख्वाह नहीं दी गई है ?

(४) उक्त पंचायत से हरिजनों को वेतन दिलाने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है व अब कब तक उक्त हरिजनों को वेतन मिल जावेगा ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) ग्राम पंचायत की तरफ से सफाई और बत्तियां जलाने के लिये ८ व्यक्तियों को नौकर रखा। इनकी मासिक तनख्वाह ७) रु० है।

(२) उक्त कर्मचारियों को, जब तक उन्होंने काम किया है, उसका पूरा चुकारा हो चुका है, उनकी कोई बकाया पंचायत में नहीं निकलती है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयसिंह राणावत : यह कब हुआ चुकारा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चुकारा हो चुका है।

श्री जयसिंह राणावत : कब हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख तो नहीं है मेरे पास।

श्री जयसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि चुकारा प्रश्न पूछने के बाद हुआ है। दूसरी बात, यह जानना चाहता हूं कि जब पंचायत के पास एक पैसा बाकी नहीं है तो कैसे चुकाया गया ? जितना गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उस सब का अपव्यय होता है और सारा पैसा गबन में जाता है। यह जब शिकायत की गई तो उसके रिश्तेदार ने पैसा देकर बचाया है और उससे इनका चुकारा किया है। क्या सरकार इसकी जांच करावेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आरोप आप स्पष्ट बतावें, क्या आरोप हैं ?

श्री जयसिंह राणावत : इतना तो निवेदन किया स्पष्ट।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका प्रश्न यह है कि तनख्वाह दी गई है या नहीं ? वह दे दी गई, यह आप भी मानते हैं। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री जयसिंह राणावत : पंचायत के पास में एक भी पैसा नहीं है। वहां के प्रधान ने अपने रिश्तेदार को बचाने के लिये प्रश्न पूछने के बाद चुकाया है। वहां का पैसा जो है उसका दुरुपयोग हुआ है और गबन हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रश्न पूछने के बाद चुकारा हुआ है ? अगर ऐसा है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। और क्या ?

श्री जयसिंह राणावत : यह चुकारा पंचायत की रकम से न होकर दूसरों की रकम तत्काल लाई जाकर उससे हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर उसके पास पैसा नहीं था और दूसरी जगह से लाकर चुकाया तो इसमें क्या गुनाह है ?

श्री अध्यक्ष : रुपया वहां इसलिये नहीं बचा कि पहले ही गबन में चला गया था ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपकी शिकायत है तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री जयसिंह राणावत : बहुत गबन हुआ है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसने किया?

श्री जयसिंह राणावत : उसी ने ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बदनोर पंचायत के सरपंच ने ?

श्री जयसिंह राणावत : जी ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो मैं जांच करूंगा ।

प्रश्न संख्या ८७९

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

बड़े कोऑपरेटिव फार्म्स को मिलने वाली सरकारी सहायता

८८०. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या सहकारी मंत्री निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बड़े कोऑपरेटिव फार्मस को सरकार आर्थिक एवं टेक्निकल सम्बन्धी क्या सहायता देती है ?

(२) राजस्थान में ऐसे बड़े फार्मस को अब तक क्या क्या सहायता दी गई है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि नीम का थाना तहसील में ५०० एकड़ जमीन पर सहकारी आधार पर कृषि हो रही है ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने इस फार्म को क्या विशेष सहायता दी है एवं क्या सहायता देने की योजना है और वह कब तक मिल जावेगी ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): इसकी भी सूचना अभी पूरी एकत्रित नहीं हुई ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : देख लिया आपने । इस विभाग का जवाब हमेशा ऐसा ही होता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, द्वारा कम अवधि के भीतर राज्य प्रदर्शनी समिति बुलाना

८८१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Public Relations Minister be pleased to state:-

1. Is it correct that a meeting of the State Exhibition Committee was called by the D. P. R. in the last week of December, 1959 at a

(श्री पी० के० चौधरी)

very short notice to approve the Budget for Bangalore Exhibition which was to start from 1. 1. 60? If so, how many hours notice was given for the meeting, and how many members of the Committee attended the meeting and how much amount was sanctioned by the Committee for the Bangalore Exhibition ?

2. Is it correct that the Committee expressed its disapproval at the practice of the D. P. R. of calling the meeting of the Committee always at short notice and recorded its displeasure at the irregularities that have been committed by the D. P. R. in the management of the exhibition in the past ?

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : 1. Yes, the meeting was called on 24th December, 1959 on 2 hours notice. 5 Members of the Committee were present. The D. P. R., being out of station on that day, was represented by the Deputy D. P. R. A sum of Rs. 45,000/- was sanctioned for Bangalore Exhibition.

2. The Committee expressed its disapproval not at the practice of calling meetings always at a short notice, but only for calling that particular meeting without sufficient notice. It is not true that the Committee has recorded any remarks on the irregularities committed by the D. P. R. at the management of the exhibition.

श्री पी० के० चौधरी : Why this particular meeting was called at such a short notice ?

श्री रामकिशोर व्यास : एजेन्डा जो है, वह घुमा दिया गया था दस तारीख को ही। जो तारीख मुकर्रर की, उसके नोट्स वगैरह पहले ही सर्कुलेट हो गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या मीटिंग को २ घन्टे का नोटिस देकर बुलाया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका एजेन्डा पहले ही सर्कुलेट कर दिया था।

श्री पी० के० चौधरी : बंगलोर एग्जिबिशन के लिए ४५,००० रुपया सैंक्शन किया था और खर्चा कितना किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that he has spent more than Rs. 75,000/- in Bangalore Exhibition ?

श्री राममिशोर व्यास : I cannot say.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये।

बीकानेर नगरपालिका का चुनाव

८८२. श्री मुरलीधर व्यास [बीकानेर

Page No.27

(श्री मुरलीधर व्यास)

मिटी—श्री भीमसेन (लूणकरणसर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर नगरपालिका के कार्यकाल की अवधि कब समाप्त होनेवाली है ?

(ख) क्या बीकानेर नगरपालिका ने इस बात की सूचना सरकार को दे दी है ?

(ग) क्या वहां के नये चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जावेगी ?

(घ) क्या नगरपालिका की स्थिति को देखते हुए सरकार जल्दी चुनाव करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक कर दिये जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) ३ अप्रेल, १९६० को समाप्त हो गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। नये एक्ट के अनुसार पहले बोर्ड के सदस्यों की संख्या निर्धारित करके वार्ड बनाये जाते हैं, फिर वार्डों के आधार पर निर्वाचक नामावली (इलेक्ट्रोरल रोल्स) तैयार किये जाते हैं। फिर चुनाव का कार्य होता है। इस विधा (process) के लिए समय की आवश्यकता है। सरकार इन कार्यवाहियों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयत्न कर रही है। इन प्रारम्भिकताओं (प्रिलिमिनेरीज़) के समाप्त होते ही चुनाव हो जावेंगे।

(घ) इसका उत्तर प्रश्न के (ख) भाग में दे दिया गया है।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०): हरिजनों के कितने वार्ड रिज़र्व किए गए हैं ?

श्री सम्पतराम : वह तो जिस वार्ड में जितना पर्सेन्टेज हरिजनों का होगा उतनी ही सीट्स रिजर्व की होंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

दौसा में करोली के मोटर स्टेन्ड को बालाजी के मन्दिर के पास ले जाना

८८३. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कस्बा दौसा में करोली का जो बालाजी के मन्दिर के पास मोटर स्टेन्ड था, उसको काली के मन्दिर के पास क्यों बनाया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस मोटर स्टेन्ड के परिवर्त्तन से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी कारण यहां की जनता ने स्थानीय एस० डी० ओ० को प्रार्थना-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इस विषय में इस कार्यालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं हुआ और न कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

(ख) इस कार्यालय में इसकी बाबत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामधन : फिर मोटर स्टेन्ड वहां से क्यों हटाया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यहां से कोई ऑर्डर नहीं हुए।

श्री रामधन : यहां से ऑर्डर नहीं हुए, लेकिन वहां से मोटर स्टेन्ड हटा दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : उसके लिए तो नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया।

बारां नगर के विकास हेतु अपेक्षित सहायता

८८४. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां–सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि बारां नगर के विकास हेतु स्थानीय नगरपालिका की ओर से सहायतार्थ धन राशि प्राप्त करने के लिए कोई मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग की पूर्ति के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाया गया ?

(ग) उक्त मांग की पूर्ति किन कार्यों के लिए की गई है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम):

(क) जी हां, २ लाख रुपया सड़क निर्माण के लिए मांगा गया है तथा २ लाख रु० का ऋण बिजली के लिए मांगा गया है।

(ख) दस हजार रुपये का ऋण सन् १९५९–६० में सड़क निर्माण हेतु दिया गया और बिजली की योजना की टेक्निकल स्वीकृति लेने के हेतु चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भेजा गया है।

(ग) सड़कों के निर्माण हेतु।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): इतनी बड़ी राशि मांगी गई थी और उसमें से सिर्फ १०,००० ही दिए, तो वह किस आधार पर दिए ?

श्री सम्पतराम : मांगने वाले तो स्वतंत्र हैं चाहे जितने मांग सकते हैं, लेकिन सरकार सीमित आधारों को ही तो देख कर दे सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : नगरपालिका अपनी आवश्यकताओं के आधार पर मांगती है, वह मांगनेवाले की हैसियत से थोड़े ही आती है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली जिले में वूसी–शिवगंज बस सर्विस को गांव खोड होकर ले जाने की मांग

८८५. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या मन्त्री यातायात विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.29

(श्री शंकरलाल)

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले में बूसी–शिवगंज बस सर्विस को गांव खोड होकर ले जाने की मांग कई गांवों की जनता ने जोधपुर डिविज़न की ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटी को कर रखी है ?

(ख) क्या यह सही है कि बस ऑपरेटरों ने भी जनता की इस मांग को मन्जूर करने में कोई आपत्ति न होने का लिख कर दे दिया है और पाली जिलाधीश ने भी इस मांग को मन्जूर करने की सिफारिश की है ?

(ग) यदि हां, तो यह मांग अभी तक मन्जूर नहीं होने का क्या कारण है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) इसकी जानकारी इस कार्यालय में नहीं है।

(ग) यह मामला आर० टी० ए० जोधपुर के विचार व निर्णय के लिए ता० १–४–६० को होने वाली आर० टी० ए० मीटिंग में रखा गया था परन्तु समय का अभाव होने से इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया।

प्रश्न संख्या ८८६

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८७

श्री मोतीबाबा।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

राजस्थान के रेगिस्तानी एवं अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय-जल की समस्या के निवारण हेतु ऐसी समिति का प्रतिवेदन

८८८. श्री शंकरलाल (रायपुर) : Will the Minister for Local Self Government reply the following question :--

1. Is it correct that the Committee appointed to find a permanent solution of drinking water problem in desert and semi-desert regions of Rajasthan has submitted its report to the Government ?

2. If so, copy of the suggestions made by the Committee be placed on the table of the House.

3. What steps the Government has taken to implement the suggestions ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : This question has already been replied.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मातृ कुंडिया (चित्तौड़) में गांधीजी की मूर्त्ति की कुर्की

८८९. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री भैरोंसिंह)

(क) मातृ कुंडिया, जिला चित्तौड़, में दफा १४५ सी० पी० सी० के अन्तर्गत जो गांधीजी की मूर्ति को कुर्क किया गया था वह वापिस मातृ कुंडिया के रेगरों को सम्भलाई गई या नहीं? यदि नहीं तो क्यों और हां, तो कब?

(ख) यह मूर्ति क्यों कुर्क की गई थी? इस संबंध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां, यह सत्य है कि मातृ कुन्डिया, जिला चित्तौड़ में धारा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत गांधीजी की मूर्ति जो मुतनाजा जमीन पर खड़ी की गई थी उसको सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, कपासिन के आदेश से जमीन मुतनाजा के साथ ही कुर्की में ली गई थी। यह मूर्ति रेगरों को वापस नहीं सम्भलाई गई क्योंकि न्यायालय द्वारा उन्हें देने का कोई आदेश नहीं दिया गया, न रेगरों ने इस बाबत कोई उज्र ही किया।

(ख) जमीन मुतनाजा के सम्बन्ध में मौके पर अशान्ति पैदा होने का अंदेशा होने से धारा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट पर सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट, कोर्ट कपासिन के आदेश से कुर्क की गई और मूर्ति भी जमीन मुतनाजा में थी इसलिए कुर्क की गई थी। इस सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मुकदमे में अन्तिम फैसला सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट न्यायालय से तथा अपीलेट कोर्ट से हो चुका है। रेगरान की ओर से हाई कोर्ट में भी निगरानी की गई जो समेरिली खारिज हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या निर्णय यह हुआ है कि गांधीजी की मूर्ति उस स्थान पर नहीं लगाई जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी पार्टी का हक माना है उस जमीन पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस दिन यह मूर्ति कुर्क की गई उसके पहले जो दो दल आपस में झगड़ा कर रहे थे उनमें अदालत के सामने राजीनामा हो चुका था ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजीनामा हो गया, तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिए हुआ था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजीनामा हो गया था तो फिर झगड़ा किस नाम का ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको इनफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या यह सही है कि इस संबंध की शिकायत होने पर मजिस्ट्रेट के सामने दोनों दलों का समझौता हो गया था और उस स्थान पर मूर्ति लगाना मंजूर करके एक लिखावट लिख दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह मूर्ति अब कहां है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट ने रिसीव की, उसके पास होगी। कोई नरसिंगजी का मन्दिर बताया उसमें होगी।

Page No.31

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जाये।

२३ मार्च, १६६० का स्थगित प्रश्न
पाली तहसील में बकाया बीज की वसूली

६०५. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली—श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली तहसील में किन किन लोगों में अभी तक बीज बकाया है तथा उनसे बीज अभी तक वसूल नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बीज के बकाया की वार्षिक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली की कार्यवाही पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत करने के पहले किसानों को नोटिस वगैरह देने पड़ते हैं, इसलिए वसूली में देरी हो गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या ६७२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७१०

श्री गोवर्धनसिंह केन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७१५

श्री नरोत्तमलाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

३० मार्च, १६६० का स्थगित प्रश्न
बांसवाड़ा वन विभाग में लकड़ी की चोरी के मामले

७३७. **श्री मोगजीभाई** (बांसवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा वन विभाग द्वारा जिले की विभिन्न रेंज चौकियों द्वारा पकड़े चोरी के मामले सरकार के पास आये हैं ?

(२) क्या लकड़ी और इमारती लकड़ी के ट्रक जिन जिन ठेकेदारों के पकड़े गए उनका न्यायालय में चालान पेश किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) वन से चोरी गई लकड़ी पकड़े जाने पर क्या रेंजर्स को ऐसे अधिकार हैं कि वे ऐसे मामले को स्वयं ही निपटा दें ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) लकड़ी व इमारती लकड़ी की

(श्री सम्पतराज)

ट्रकें ठेकेदारों की या अन्य किसी की भी नहीं पकड़ी गई, इस कारण न्यायालय में चालान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां। राजस्थान वन अधिनियम, १६५३ की धारा ६८ के अन्तर्गत फॉरेस्ट रेन्जर्स जिनकी तनख्वाह १००) रु० मासिक से अधिक है उनको ऐसे अधिकार हैं।

श्री भोगजीभाई : क्या ऐसा माना जाये कि चोरी के मामले में एक भी ठेकेदार नहीं पकड़ा गया ?

श्री सम्पतराम : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री भोगजी भाई : जो अदालत ने चालान किये उनका क्या नाम है ?

श्री सम्पतराम : ये ठेकेदारों के नहीं थे, there were 33 cases on 29. 2. 60 out of which 31 were compounded and two were challanged.

श्री भोगजी भाई : कितने केसेज़ थे ?

श्री अध्यक्ष : २ केसेज़ का चालान हो गया है और बाकी समझौते से कम्पाउन्ड कर लिए गए।

श्री भोगजीभाई : रेन्जर्स समझौता किस आधार पर करते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह कानून में व्यवस्था है, उसको माननीय सदस्य देख लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सदन के मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत बनाये गए नियमों का उपस्थापन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत बनाये गये नियम सदन की मेज पर रखता हूँ जो इस प्रकार हैं:—

(१) राजस्थान पंचायत समिति (लोन्स) रूल्स, १६६०

(२) राजस्थान पंचायत समिति टैक्सेशन रूल्स, १६६०

(३) राजस्थान पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट रूल्स, १६५६

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ये रूल्स कब पेश हो जाने चाहिये थे ? हाउस की शुरूआत में हो जाने चाहिये थे वे इतने लेट कैसे हुए ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब तैयार हुए तो पेश हुए।

श्री भैरोंसिंह : १६५६ में तो तैयार होकर लागू हो गए।

श्री अध्यक्ष : दो तो १६६० के हैं।

Page No.33

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ये १६६० के करीब करीब हो सकते हैं। दिसम्बर, १६५६ में हुए होंगे।

श्री भैरोंसिंह : १६५६ में तो रूल्स लागू हो गए और वे अब इतनी लेट पेश क्यों हो रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय ...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, I would like to know that the rules are supposed to be laid before the House for a fortnight under the statute, and now there are hardly 5 days left for the Session. So whether the Hon'ble Member will again lay these rules in the next session. we would like to bring amendment to these rules.

श्री अध्यक्ष : यह तो कानून और रूल्स का प्रश्न है, बाद में तय कर लेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : But he will have to place them again in the next Session when he has failed to place them in due time in this session.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो यहीं रहेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : दुबारा आपको पेश करने पड़ेंगे। अभी सेशन में १५ दिन का समय कहां है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि ये यहीं रहेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : But we have received it late.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यहां वाचनालय में रहेंगे।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : यों तो हमारे घर में भी मिलेगा, गजट में पब्लिश हुआ है।

श्री अध्यक्ष : I think we shall find some way to give full opportunity to the Hon'ble Members.

१२. १० म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६०

(विचारार्थ)

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (एमेंडमेंट) बिल, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

डॉ० चन्द्रकला।

(डॉ० चन्द्रकला के बोलने के लिए खड़े होने पर)

(श्री अध्यक्ष)

आपका सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए संशोधन है । आप उस पर बोलना चाहती हैं ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जी हां । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (एमेंडमेंट) बिल, १९६० सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है । इसके संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । समिति के सदस्यों की नामवालि बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है इस विधेयक के द्वारा हम १९५३ में बने हुए पंचायत कानून के अन्तर्गत संशोधन करना चाहते हैं ; वे संशोधन दो श्रेणियों के हैं । पहली श्रेणी में तो हम तहसील पंचायत को समाप्त करेंगे और दीवानी और फौजदारी न्याय के प्रशासन के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करेंगे । दूसरी श्रेणी के द्वारा हम उन कठिनाइयों को....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पब्लिक ओपिनियन हेतु सरक्युलेशन के लिए बाबू दलीपसिंहजी का प्रस्ताव था । his name was there but he was not called to speak.

डॉ० चन्द्रकला : पढ़ा नहीं जा रहा है, वह उन्हीं का नाम है ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : श्री मूलचन्द डागा के साथ में मेरा नाम है । ठीक है, मैं बाद में कह लूंगा ।

श्री पी० के० चौधरी : But his motion was for circulation for public opinion.

श्री अध्यक्ष : He is not keen to press that.

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, दूसरी श्रेणी के संशोधन वे हैं जिनके द्वारा सन् ५३ के कानून को लागू करने में सरकार को जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के प्रावधान करने की दिशा में संशोधन हैं । सबसे अच्छा तो यह होता कि इस विधेयक को जो राजस्थान की लगभग ८० प्रतिशत गांव की या पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली जनता के प्रशासन और व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाला विधेयक है उस पर उनकी राय ली जाती । इसमें जिन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से संशोधन रखा गया है उसमें से अधिकांशतः कठिनाइयां सरकार की हैं । सरकार ने अपनी कठिनाइयां को दूर करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन सन् ५३ के पंचायत कानून को लागू करने में जनता को कोई भी असुविधा हुई होगी, उनको भी कोई दिक्कत हुई होगी, उनको भी दूर करने की आवश्यकता हो सकती है । इसको सरकार महसूस करे और महसूस करके किसी भी तरह से उनकी राय मालूम करने का प्रयत्न करती तो अधिक अच्छा होता । लेकिन उसका अवसर नहीं है तो कम से कम प्रवर समिति में देकर इस पर अच्छी तरह से सोच विचार किया जा सकता है । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आजकल सरकार ने एक रुख अपना रखा है । वह विधेयक को इतना कम समय देकर सदन में लाती है कि असम्भव सा हो जाता है कि उसके

(डॉ० चन्द्रकला)

विषय पर ज्यादा देर सोच विचार करें, और उसको पास करने की जल्दी होती है। अभी कुछ ही दिन पहले इस तरह के ३, ४ विधेयकों को सदन में समयाभाव के कारण मजबूरन प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को रोक कर उनको यहां पर पास करना पड़ा। यह विधेयक इस तरह का नहीं है। इसमें ज्यादा सोच विचार की आवश्यकता है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने जो सन् ५३ में विधेयक बनाया था वह निश्चित रूप से उस समय एक महत्व था पंचायतों का, लेकिन उसके बाद लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात सोची गयी और हमने उसके द्वारा अपनी सत्ता को ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रित करने की दिशा में प्रयत्न किया। इससे गांव के लोगों में, जनता में, इस बात का एक ख्याल हुआ है कि अब सत्ता ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रित होकर लोगों के, जनता के हाथों में आनेवाली है। ऐसी स्थिति में हमको ऐसा संशोधन लाना चाहिए या इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे हमारा ग्राम स्वराज्य या ग्राम राज्य का नारा सफल हो सके। लेकिन यह जो विधेयक है इससे ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विकेन्द्रीकरण का या पंचायत राज्य या ग्रामराज्य का प्रयोग हम करने जा रहे हैं, यह कोई नया प्रयोग नहीं है। हमारा देश प्रारम्भ से ही एक जनतन्त्रीय देश रहा है। जनतन्त्र का न केवल प्रयोग बल्कि जनतन्त्रीय शासन हमारे देश में खूब अच्छी तरह से फलाफूला है। आज जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसमें शुरू से अंग्रेजी शासन व्यवस्था से मिली हुई जो शासन प्रणाली है उसको भी हम अपना रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी पुरानी परम्पराओं को लाने का भी ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है, और मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार अपनी जनतन्त्रीय प्रणाली को अपनाने में उतनी ईमानदारीसे काम नहीं कर रही है। वह केवल एक नारा देना चाहती है, एक दिखावा करना चाहती है, या दुनिया के सामने यह बताना चाहती है कि हम जनतन्त्र की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः जो प्रयत्न हैं जैसा कि इस विधेयक से दिखता है, वह नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। सचमुच में यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हम किसी तरह से गांव में अपनी सत्ता को विकेन्द्रित कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि ग्राम सभा या ग्राम को सर्वोपरि स्थान दें। लेकिन इस विधेयक के द्वारा ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता है। ग्राम सभा का नाम, जिला परिषद और पंचायत समिति के सम्बन्ध में जो कानून बनाया है उसमें आपने ग्रामसभा की चर्चा अवश्य की है, लेकिन उनको अधिकार इतने नहीं दिये हैं और आर्थिक अधिकारों का जहां तक सवाल है वहां तक पंचायतों को सरकार और जिला परिषदों की ओर देखना पड़ता है। उनको थोड़े से मामूली शासन के अधिकार दिये गये हैं; लेकिन न तो आर्थिक अधिकार हैं और न किसी दूसरी तरह के अधिकार हैं। जो भी न्याय प्रशासन के लिए जिस तरह से करना पड़ रहा है, आज जो न्याय पंचायतें स्थापित करना चाहते हैं उसमें अब जो हम करने जा रहे हैं और आज जो है उसमें विशेष अन्तर जनता

(डॉ० चन्द्रकला)

को नहीं महसूस होने वाला है। जनता को यह लगेगा कि किसी भी तरह से पहले तहसील पंचायत थी, तहसीलदार था, मजिस्ट्रेट साहब थे, तो अब ७ गांवों को मिला कर या ५ गांवों को मिला कर न्याय पंचायत की स्थापना होगी। तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह हम जो ग्रामों को न्याय देने की बात करते हैं इसके लिए न्याय पंचायतें जो हैं वे कई गांवों की नहीं बना कर एक गांव की एक ही अदालत बनायें। यदि हम अपनी पुरानी ग्राम व्यवस्था को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि गांवों में पहले भी न्याय होता था वहां वह ढंग नहीं था और न आज की तरह गुट्टबन्दियां थीं और पार्टीबाज़ियां थीं। वहां हर गांव की पंचायत होती थी और उस पंचायत के अन्दर ही न्याय पंचायत होती थी। गांव के जो बुजुर्ग पंच होते थे वे इकट्ठे होते थे और गांव के बड़े से बड़े मामले का फैसला कर देते थे। और उनका जो फैसला होता था वह सबको मान्य होता था। इसलिये हम जो ५-७ गांवों की पंचायत बना कर उसको न्याय पंचायत बनाने जा रहे हैं वह न करके हर गांव की पंचायत छोटी सी हो और उसके तीन मेम्बर्स हों जो ग्राम सभा के मेम्बर्स में से चुने जाने चाहिये। इससे ज्यादा सुविधा होगी, नहीं तो आज जो न्याय के लिये शहर की तरफ जाना पड़ता है, वकीलों के मुंह ताकने पड़ते हैं, धन बर्बाद होता हैं, समय नष्ट होता है वह बच जायगा; वर्ना जो सात गांवों की न्याय पंचायत बनेगी और वह जो फैसले करेगी उससे हम न्याय सस्ता नहीं दे सकेंगे, सुलभ नहीं कर सकेंगे और इसके साथ साथ और भी दिक्कतें आने वाली हैं। दूसरी बात और है। ऐसा मालूम पड़ा है कि इस तरह की न्याय पंचायतें बनाने में सरकार को लगभग ८ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। विकेन्द्रीकरण के नाम पर आर्थिक भार अधिक से अधिक बढ़ रहा है तो यह कैसा विकेन्द्रीकरण है ? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के साथ अदालत भी होगी तो हर पंचायत का सेक्रेटरी जो वैतनिक होता है वह यह काम भी कर सकता है और इससे न्याय पंचायत का खर्चा बच सकता है। हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो ढांचा चल रहा है उसको बदल करके दूसरा ढांचा बैठाने की जरूरत है। एक तरफ तो वही चलता जा रहा है और दूसरी तरफ आदर्श की बात हम करते हैं। इस तरह की दोहरी व्यवस्था में खर्चा बढ़ता है, उसका जो घाटा होता है और इसकी बुराइयों और नुकसान का परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है और इसके साथ साथ जिस आदर्श और लाभ की कल्पना करते हैं वह नहीं मिलता है। इसलिये मेरा पहला सुझाव यह है जिस पर मैं चाहती हूं कि अच्छी तरह से सोच-विचार करना चाहिये और न्याय में भी विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू करनी चाहिये। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ग्राम की अदालत हो जिसमें मामूली मामले वहीं निपटा देने चाहिये। मानलें कोई ऐसा मामला आता है जिसको गांव नहीं निपटा सकता, अभी यह बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के फैसलों के खिलाफ जिन लोगों को अपील करनी होगी तो वे मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के पास जायेंगे तो वही पचड़ा जनता के पीछे आनेवाला है। उसकी अपील कहां हो, फैसला कहां हो, इस बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर उसी मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के चक्कर में गांव के लोग पड़नेवाले हैं और उन्हें वकीलों का मुंह ताकना पड़ेगा।

Page No.37

(डॉ० चन्द्रकला)

इस तरह की न्याय पंचायत से क्या फायदा होगा, इस विषय पर सोचना पड़ेगा।

इसके साथ साथ हम ग्राम के महत्व को स्वीकार करते हैं क्योंकि ग्राम सभा की बात करते हैं। लेकिन ग्राम सभा का जो महत्व जनतांत्रिक प्रणाली में होना चाहिये, जिस आधार पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना सफल हो सकती है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। ग्राम सभा को अधिक से अधिक प्रधानता देनी चाहिये। ग्राम सभा एसेम्बली की तरह हो, ग्राम में मताधिकारवाला हर एक व्यक्ति उसका सदस्य हो और सरपंच उनमें से चुना हुआ हो। यह ग्राम सभा कम से कम ६ महीनों में एक बार इकट्ठी हो। सरपंच या उप-सरपंच पिछले ६ महीनों का जितना भी हिसाब-किताब या कार्यवाही हो उसे ग्राम सभा के सामने रखे और उसकी सलाह से काम करे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जनता अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगी और वह यह महसूस करेगी कि उसका हक है और शासन में उसका हिस्सा है वर्ना आज जो स्थिति है इसमें वह उदासीन रहता है। हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कर चुके हैं लेकिन जनता उसे अनुभव नहीं कर पाई जब मौका आवे तो पंच चुन दें या सरपंच चुन दें या विधान सभा के सदस्य चुन दें, वोट दे दें। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ऐसा वे महसूस करते हैं। मैं, और सारे माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि जब तक हमारे कार्यक्रम में जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। जब हम जनता में इस तरह की भावना भरेंगे, उनको उनके अधिकार और कर्तव्य समझायेंगे और वे समझेंगे तभी काम सफल हो सकेंगे। छोटी इकाई में इस काम को करने का एक ही उपाय है और वह यह कि ग्राम सभा को अधिकार दें, उनको ऐसा अवसर दें कि वे अपने गांवों का विकास कर सकें।

हमने सहकारिता का नारा दिया है। एक तरफ हम कोऑपरेटिव फार्मिंग, चकबंदी आदि की बात करते हैं और दूसरी तरफ ग्राम सभा को हाथ में रखना चाहते हैं। एक ओर उनको अधिकार देने की बात करते हैं और दूसरी ओर बंधन लगाते हैं। इस विधेयक में यह बात है कि सरपंच आदि पंचायत के १५ रु० किसी के स्वागत सत्कार में खर्च करना चाहता हो तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। वह चाहे जो खर्च करे, उसमें अनुमति की कौनसी बात है। सरकार चाहती है कि धन का दुरुपयोग नहीं हो, हो सकता है कि सरकार ने अपनी कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसा किया हो लेकिन दूसरी ओर सत्ता का लालच बुरा होता है, वह सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। वह चाहती है कि ग्राम पंचायत बने तो भी उसकी चोटी उनके हाथ में रहे, चोटी कहीं उनके हाथ से छूट नहीं जावे, इसलिये तरह तरह के बंधन लगाने और दूसरी बातें करने की कोशिश करते हैं। मैं तो यह कहूंगी कि सचमुच में, सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता और सारी सत्ता देनी चाहिये और वह जिस तरह से चाहे उस तरह से समस्या को हल करने का प्रयत्न करें। आज किसी तरह के नियम बनाते हैं, जितनी योजनाएं बनाते हैं वे सब कागज़ में रह जाती हैं, आगे तक नहीं पहुँच पाती हैं। यदि हम इन समस्याओं को हल करने का भार इन पर छोड़ दें तो जल्दी हल हो सकती

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं। यदि हम ग्राम सभा को छोटी सी इकाई बना कर और उस सभा को सत्ता देकर चलने देंगे तो काम आसान हो जायगा। हमारा काम है कि जनता को इसके लिये तैयार करें, तो लर्निंग बाइ डुइंग को अपनाना चाहिये और इस तरह का उनको मौका देना चाहिये, तभी गांवों की सच्ची उन्नति कर सकती हैं।

इसके अलावा और भी कई बातें हैं। कई बातों को, जब विधेयक एक एक धारा के अनुसार लिया जायगा तब उसके हिसाब से उस समय देखेंगे। लेकिन कुल मिला कर इसके बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम एक ओर तो तहसील पंचायतों को समाप्त कर रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन जो न्याय पंचायतें स्थापित करेंगे, यह सोचने की बात है। हम जानते हैं कि हमारे गांवों में आपसी फूट, दल-बंदी और गुट-बन्दी हैं। ये हमारे चुनावों से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। ये बहुत बड़ी इकाई में तो संभव नहीं हैं लेकिन गांवों की छोटी इकाई में उनको हटाना संभव हो सकता है। जितने फैसले हों वे सर्व सम्मति से हों तो गुट-बंदी खत्म हो जायेंगी। जिनको सरपंच बनना है वह केवल मेजोरिटी नहीं ढूंढेगा, वह केवल आधों को ही अपने साथ नहीं लेगा बल्कि सब को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। अगर फैसला सर्व सम्मति से न हो तो सर्वाधिक मत से, सर्व सम्मति के नजदीक लगभग ८० प्रतिशत से कम का सवाल नहीं होना चाहिये, ९० प्रतिशत के करीब रखें। फूटवाले मामले मेजोरिटी में होते हैं। आधे से एक भी अधिक हो तो उनकी विजय हो जाती है माइनोरिटी घाटे में रहती है। हम रोज देखते हैं, बहुमत का कुपरिणाम सामने आता रहता है। तो गांवों में यह करना पड़ेगा कि वहां पर जितने फैसले हों, जितने निर्णय हों वे सर्व सम्मति से हों। यदि सर्व सम्मति से न हों तो ज्यादातर सर्वसम्मति के नजदीक से हों तो इस तरह से गांवों में सद्भावना पैदा कर सकेंगे। एक दूसरे के प्रति कुभावना नहीं होगी। इसके अलावा इस विधेयक में प्रावधान रखा है कि पंचायत के सरपंच वगैरह अच्छी तरह काम नहीं कर सकें और इस तरह पंचायत के निर्माण में दिक्कत आये तो एक प्रशासक नियुक्त गवर्नमेंट कर सकती है। यह ठीक है कि पंचायत का काम चलाना पड़ेगा और अगर पंचायत का किसी प्रकार निर्माण नहीं हो सकेगा तो उसकी कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रशासक की आड में गवर्नमेंट सत्ता को जनता छीन लेती है। हम सब देखते हैं, कि सरकार इस विधेयक में कोई समय निश्चित नहीं करती, इसमें समय निश्चित करना चाहिए कि प्रशासक अमुक समय तक प्रशासक रहेगा और पंचायत के निर्माण करने का काम कर देगा; नहीं तो प्रशासक की अवधि बढ़ती जाती है और हम पंचायत की बात क्यों करें, हम जयपुर नगरपालिका के प्रशासक को कब से भुगत रहे हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रशासक को नियुक्त करने का मतलब क्या होता है। इसलिए प्रशासक को नियुक्त करने के बाद उसके लिए समय निश्चित करना चाहिए कि प्रशासक इतने समय से ज्यादा नहीं रहेगा और जो उस समय तक रहेगा, उसमें वह प्रयत्न करेगा कि किस तरह पंचायत का जल्दी से जल्दी निर्माण कर दे। तो जो

(डॉ० चन्द्रकला)

सारे संशोधन सदन के सामने रखे हैं, उन संशोधनों में ये सारी बातें होतीं लेकिन हम सब जानते हैं कि पंचायत शासन की कल्पना करते जा रहे हैं, वह यह है कि जनता शासन अपने हाथ में ले ले, अपनी व्यवस्था अपने आप करे, अपने न्याय कार्य को अपने आप सम्भाले, आर्थिक साधन उसके पास हों, उसके द्वारा अपना और अपने क्षेत्र का विकास करें, उनकी शक्ति का उपयोग देश और राष्ट्र के निर्माण में हो सके, इस दृष्टि से पंचायतों का निर्माण करना है और पंचायतों के साथ ही जो न्याय पंचायतें बनाई जा रही हैं उसका उद्देश्य यह है जो सन् १९५३ में पंचायत एक्ट लागू किया उसमें आज संशोधन करने जा रहे हैं। तो यह अच्छा अवसर है कि पिछले अनुभवों का लाभ उठा कर इस कानून में संशोधन करके जो इसकी मूलभूत भावना है, ग्राम राज्य और ग्राम स्वराज्य की, जिस कल्पना को बापू ने दिया है, और जिसका संदेश विनोबा देते फिर रहे हैं, उस मूलभूत भावना को चरितार्थ कर सकें। उसके लिए आवश्यकता यह है कि इस पर अधिक सोच-विचार किया जाय क्योंकि यह विधेयक, जैसा मैं पहले कह चुकी हूं, एकांगी है, इसमें एक दृष्टिकोण है और इसमें जनता का दृष्टिकोण सम्मिलित हुए बिना पंचायत कानून के सफल होने में संघर्ष होना स्वाभाविक है और फिर कुछ दिनों के बाद चल कर संशोधन की बात सोचनी पड़ेगी। या तो यह मान कर बैठ जायेंगे कि जनतंत्र में पंचायत राज्य अच्छी तरह सफल नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वैसे तो हर मनुष्य छोटी-मोटी भूल कर सकता है, मगर जहां अच्छी चीज मिल जाय, वहां से ले लेनी चाहिए। एक ओर तो हमें आधुनिक शासन व्यवस्था पश्चिम से मिली, भारी भरकम प्रशासन मिला हुआ है और दूसरी ओर पंचायत वगैरह विकेन्द्रित शासन व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं तो दोनों को हम चाहते हैं, दोनों सत्ताओं के लिए चाहते हैं कि दोनों हमारे यहां रहें। लेकिन इस तरह काम चलनेवाला नहीं है। हम यह महसूस करते हैं कि प्रशासन का खर्चा बढ़ता जा रहा है और जो खर्चा दूसरी जगह विकास के कार्यों में लगा सकते हैं वह बहुत सारा खर्चा इसमें करते जा रहे हैं। पहले जो पंचायतें थीं उनमें खर्चा नहीं था। पंच, सरपंच, उप-सरपंच किसी पर खर्चा नहीं था। आज सरपंच आता नहीं है, उसके पहले ओनरेरियम की, अलाउन्स की, वेतन की बात पैदा हो जाती है। यह स्वाभाविक है। इसलिए सरपंच को अवैतनिक करना है तो उस पर ऊपर से सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें बहुत अधिक खर्चीली व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हमको ऐसी व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, जो सस्ती हो। जब हम न्याय पंचायत बनाने जा रहे हैं तो हमको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि हमारे यहां जो न्याय व्यवस्था थी उसको हम भुगत चुके हैं, वकीलों की जो सोसाइटी है शहर में, उसके पास दौड़ना पड़ता है, इसके साथ ही पैसा देते हैं, समय देते हैं। समय बरबाद करते हैं फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। वह न्याय सस्ता और सुलभ मिले और गांवों में मिले तो वे अपना काम करते हुए भी

(डॉ० चन्द्रकला)

वहां व्यवस्था कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस उद्देश्य से विधेयक रखा गया है, उसमें जो यह बात है कि हमें न्याय पंचायतें बनानी हैं, यह ठीक है लेकिन इसके साथ साथ जो अब तक कमियां अनुभव की हैं, जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए प्रावधान करना जरूरी है, जिनसे सरकार कमियों को दूर कर सके और कइठिनायों को हल कर सके। इसके साथ ही जनता की ओर से कुछ कठिनाईयां हो सकती हैं , तो जनमत जानने के लिए दूसरा संशोधन है नहीं, मेरा प्रस्ताव तो प्रवर...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : माननीय सदस्या कुछ कठिनाइयां बता सकें तो अच्छा होगा।

डॉ० चन्द्रकला : जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव है। लेकिन चुनाव के पहले पहले कानून बनाना चाहते हैं मंत्री महोदय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : कठिनाइयां जनता को होती हैं, वे कहां कहां सामने आती हैं, यह कानून पांच वर्ष से चल रहा है, कठिनाइयां जो आ रही होंगी उनकी माननीय सदस्या को जानकारी नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे उदाहरण पेश हो जायं ।

डॉ० चन्द्रकला : इसलिए तो मेरा प्रस्ताव है कि इसको पास करने की जल्दी में न पड़ें। हमको चुनाव करने हैं। उसके बाद फिर बैठ कर, इकट्ठे होकर विचार कर लें। अभी इस विधेयक को प्रवर समिति में दे दिया जाय, वे अच्छी तरह से सोच–विचार करके विधेयक को हाउस के सामने लायें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीपसिंह।

श्री दलीपसिंह (बारां) : अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत कानून में जो संशोधन लाया गया है उसमें मेरा सुझाव है कि इसको पहले जनमत जानने के लिए पब्लिक में प्रसारित किया जाय और खास तौर पर इसको ग्राम पंचायत के पास भेजा जाय, जिनको रोजमर्रा के कामों का अनुभव है, और रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयां पेश आती हैं, उनके लिए जो संशोधन लाना चाहते हैं, उनकी यह राय जानने के लिए हर एक ग्राम पंचायत के पास एक हिन्दी की कॉपी भेजी जाय और दो महीने की अवधि रखी जाय ताकि इसके अन्दर हमारी ग्राम पंचायतों की राय आ जाय और उसको जान कर फिर संशोधन लाये जायं ताकि जिस रूप में सरकार इसमें सुधार लाना चाहती है, एक तसल्ली बख्श रूप में उन सुधारों को ला सके। जयपुर से आने वाली आदरणीया बहिन सदस्या ने जो इसके मुतल्लिक बहुत सी बातें कहीं हैं उनमें मैं तकरीबन उनसे सहमत हूं, जो कुछ विचार उन्होंने यहां जाहिर किये हैं; केवल एक में बात मैं जरूर उनसे मतभेद रखता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, एक स्वीपिंग वर्डिक्ट दे दिया कि सरकार एक बनावट बना रही है और वास्तव में वे अधिकारी जो हैं, रियाया को सुधारना नहीं चाहते, जनता को सुधारना नहीं चाहते। इसके मुतल्लिक मेरा अपना अनुभव है, मैं कई वर्षों तक ग्राम पंचायत का सरपंच

(श्री दलीपसिंह)

रहा हूं और बल्कि मैं यह अर्ज करूं कि सन् १६२२ में मैंने अपने इलाके में, पंजाब के जालन्धर जिले में वर्कर के तौर पर एक ग्राम पंचायत बनाई। उस वक्त अदालत से वाक हाउस का आन्दोलन था। उस वक्त का मेरा अनुभव है। उसके बाद राजस्थान में जब आया तब मैंने अपने इलाके में कुछ गांवों को मिला कर एक प्राइवेट ग्राम पंचायत बनाई, जो बहुत वर्षों तक अच्छी तरह काम करती रही, जिससे जनता ने काफी फायदा उठाया। उसके बाद फोर्मर राजस्थान बना, और १६४८ में पंचायत कानून उसने बना दिया और बहुत जल्दी उसे लागू कर दिया। उस वक्त मुझे मौका मिला पंचायत में काम करने का बतौर सरपंच के। इस वक्त भी मैं तहसील का सरपंच हूं मुझे....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपकी पंचायत हटाई जा रही है।

श्री दलीपसिंह : जो कठिनाइयां उनके रोजमर्रा के काम में पंचायतों को पेश आती हैं, उनका मुझे काफी अनुभव है और मैं चाहता हूं कि और पंचायतों से और पंचों से भी उनका जो इस सम्बन्ध में अनुभव है इसे जाना जाय ताकि जैसे सरकार इसके जरिये नेक नियती से, सिन्सियरली चाहती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें और जनता ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाये, ग्राम राज्य कायम हो और जो हमारे पूज्य बापू का मिशन था, लक्ष्य था उसको पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है और इस दिशा में कदम उठा कर सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसी साल भारतवर्ष में सबसे पहले करके क्रेडिट लिया है तो यह तो कोई बात नहीं है कि सरकार कोई बनावट करती है।

मैं उसमें मोटे तौर पर कहूँगा कि बहुत सी चीजें जो संशोधन के तौर पर लाई गई हैं वे बहुत अच्छी हैं, पर न्याय के मुतल्लिक मेरा मतभेद है। मेरा यह ख्याल है कि यदि इसको पंचायतों की राय जानने के लिये भेजा जाय तो बहुत सी पंचायतें मेरी राय से इत्तफाक करेंगी। पहले भी हमने गलत चीज रख दी थी कि पंचायतों के, तहसील पंचायतों के फैसलों का रिविज़न डिस्ट्रिक्ट सेशन जजी में रखा गया था। वह भी हमने गलत तरीका अख्त्यार किया था। दरअसल ग्राम पंचायतों का उद्देश्य यह है कि मामले की असलियत जान कर पंच न्याय करें। पंच लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं, जाब्ता फ़ौजदारी, जाब्ता दीवानी के मुताबिक फैसला नहीं करते, वे तो असलियत निकाल कर फैसला दे देते हैं। जब वकील साहबान के पास वह फैसले जाते हैं तो वे बाल की खाल निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो अपीलें सेशन जजी में गई होंगी, उनमें बहुत से फैसले, हालांकि उन्होंने असलियत को जानते हुए वे फैसले दिये होंगे पर कानूनी खामियों की वजह से सेशन जजी में उलट-पुलट हो गये। इसमें प्रोविज़न रखा है कि ग्राम पंचायतों की अपील मुंसिफ के यहां और फौजदारी केसेज़ की अपील मजिस्ट्रेट के पास और फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जजी में जावे। मेरा ख्याल है, यह तरीका गलत है, पंचायतों के अन्दर ही यह चीज रहनी चाहिये, पंचायतों के बाहर नहीं जानी चाहिये जहां कि कानून पेशा लोग उसको फिर चक्कर में डाल दें। तो मेरा तो अर्ज करना है कि गांव गांव की पंचायतें

(श्री दलीपसिंह)

बनाई जायं, जैसा कि मेरी बहिन ने पहले कहा, चाहे छोटा ग्राम हो या बड़ा ग्राम हो ग्राम के इन्तजाम के लिये पंचायत होनी चाहिये। मैंने यह देखा है कि छोटे छोटे गांव नजरन्दाज कर दिये जाते हैं। जिस गांव के मेम्बर ज्यादा होते हैं वे विकास के कामों में ज्यादा फायदा उठा लेते हैं इसलिये न्याय के अलावा इन्तजामी मामला नहीं की ग्राम सभा को सौंप देना चाहिये। उसका नाम चाहे ग्राम सभा रख लिया जाय या ग्राम पंचायत रख लिया जाय, चाहे वह गांव ४ झोंपड़ियों का, ५० घरों का या १०० घरों का हो, उनकी अलग पंचायत बनाने की आवश्यकता है।

न्याय के लिये जिस तरह कि आदरणीय बहिन ने तजवीज़ किया है, ग्राम-ग्राम में नहीं हो तो आबादी मुकर्रर कर दी जाय कि इतनी आबादी पर एक नुमायन्दा आगे न्याय पंचायत में जायेगा। मौजूदा पंचायतें हैं उन्हीं में से ५ पंचायतों की एक न्याय पंचायत बनाई जाय। इससे आम लोगों को दिक्कत पेश आयेगी, लोगों को दूर दूर जाना पड़ेगा और न्याय नहीं मिलेगा। इस वख्त पांच, सात पंचायतें तहसील में हैं, नजदीक से न्याय हासिल कर लेते हैं, यह करने पर इससे वंचित रह जायेंगे। कम से कम १,००० की आबादी पर एक न्याय पंचायत में एक नुमायन्दा भेजा जाय और १०,००० की आबादी पर एक न्याय पंचायत कायम कर दी जाय और १:३ का कोरम रखा जाय, नहीं तो ४ रख लिया जाय। वे लोग बैठ कर फैसला कर लें। उस फैसले पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत समिति बनाई गई है, ब्लॉक बनाये गये हैं, उसमें हर विभाग के मुतल्लिक काम करने के लिये जिस प्रकार ७ कमेटियां बनाई गई हैं उसी प्रकार क्यों नहीं ७ मेम्बरों की एक न्याय कमेटी बना ली जाय जो कि न्याय पंचायत की अपील सुन लेवे ? उनके फैसले से यदि कोई असंतुष्ट हो तो हमारे पास जिला परिषद है जिस प्रकार इन्तजामी मामलों की अपील पंचायत समिति के पास और जिला परिषद के पास जाती है उसी तरह न्याय संबन्धी मामलों की अपील भी इनके पास चली जाय और यहीं तक रीविजन के आखिरी अधिकार हों, इनसे आगे अपील न जाय। तीनों पंचायतें, न्याय पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों ही यदि पक्षपात करें, न्याय नहीं करें, यदि इन तीनों से न्याय नहीं मिलता तो-तो फिर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, यह सारा सिस्टम ही फैल होगा। बाल की खाल निकाल कर मामलों को और झगड़े में न डाला जाय, सीधा और सरल व सस्ता न्याय जनता को इस तरीके से दिलाया जाय। मोटे तौर पर तो मुझे यही अर्ज करना है।

इसमें इन सब बातों के अलावा और भी कई चीजें दुरुस्त करनी हैं। पंचायत समिति की राय जान कर अर्ज किया है। इस लिये मेरा अर्ज करना है कि इस बिल को जनमत के लिये भेज दिया जावे और दो महीने में इसकी राय जान कर, इसको फिर पास कर दिया जावे।

श्री शंकरलाल : जनमत पर मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : जनमतवाला अब किसी

(श्री अध्यक्ष)

का नहीं माना जायगा ।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० सदन के समक्ष विचाराधीन है ! उसके सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको अभी सीधा इस सदन द्वारा स्वीकार करने के स्थान पर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

इसका कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि मेरी ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी लोगों की यह मान्यता है कि पंचायतें हमारे देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी परम्परागत प्रथा रही है । इसके सर्वथा अनुरूप संस्थाएं हैं । हमारे देश के प्राचीन इतिहास से लेकर अंग्रेजों के आगमन काल तक यहां पंचायतों के द्वारा ही कम से कम गांवों में न्याय ही नहीं बल्कि बहुत कुछ अंशों तक स्वायत्त संस्थाएं भी चलती थीं । लेकिन विशेष रूप से पंचायतें अपने न्याय के लिये ही प्रख्यात रही हैं । गांवों में आज भी यह भावना बनी हुई है कि कोई भी छोटे-मोटे झगड़े हो जाते हैं तो वे अपने गांव के पंचों के सामने रखते थे । पुराने समय में आज की तरह से पंच चुने हुए नहो होते थे मगर पुराने तरीके में लोग किसी को अपना पंच या मुखिया मान लेते थे जो उनके झगड़े निपटाते थे । उसमें गांवों के अनपढ़ लोग होते थे और वे न्याय करते थे । लोगों की उनमें यही धारणा रहती थी कि पांच पंच परमेश्वर के समान होते हैं । कोई भी पांच पंच गांव के बैठ गये तो वे अवश्य न्याय करेंगे, यह उनकी धारणा थी; जैसे आस्तिक लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यत : गांवों में न्याय पंचायतों से ही होता था और गांव-वाले शुरू से ही इसकी तरफ आकर्षित रहे हैं और हमारा देश इसके लिये प्रसिद्ध रहा है ।

हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि पिछले २०० वर्षों में हमारे यहां से यह प्रथा समाप्त हो गई । अंग्रेजों ने कर वसूल करने और दूसरी प्रकार से शासन का प्रभाव बढ़ाने के लिये देश की प्राचीन संस्था को समाप्त किया और उनके स्थान पर उन्होंने छोटी और बड़ी अदालतें कायम कीं और उनके द्वारा हमारे देश का जितना शोषण हुआ उसके लिये हमारा इतिहास साक्षी है । आज हमारे देश के स्वतन्त्र होने के बाद यह परम आवश्यक है कि हम फिर से पंचायत प्रथा को प्रचलित करें । हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले यह ऐलान किया था कि देश के स्वतन्त्र होने पर अदालतों के बदले पंचायतें स्थापित होंगी और देश में इतने झगड़े और मुकदमेंबाजी होती हैं वे समाप्त होंगी । इसके बाद भी देश के स्वतन्त्र होने के बाद हमारा जो संविधान बना उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में इसी प्रकार की स्वतन्त्र संस्थाओं की व्यवस्था करेगी और उसके अनुसार हमारे राज्य में

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सन् १६५३ में यह पंचायत अधिनियम लागू हुआ। लेकिन पंचायत अधिनियम में जिस प्रकार का प्रावधान रखा गया था उसमें ग्राम पंचायतें हैं वे ही पंचायतें शासक का काम करती थीं, वे ही आजकल के नये युग के अनुसार विकास का काम करती थीं और उन्हीं के सुपुर्द लगभग न्याय का काम भी था और यह निश्चित बात है कि उन ग्राम पंचायतों से जनता को जितना न्याय मिलना चाहिये नहीं मिलता था और जनता को शिकायत थी कि उनको इन पंचायतों से उचित न्याय नहीं मिलता। इतना ही नहीं मेरा अनुभव है और शायद और भी माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि पंचायतों में चुने हुए पंच आते हैं और सरपंच आते हैं वे न्याय करना चाहते थे और करते थे तो उन पर मतदाताओं की धमकी होती थी। खुल्लमखुल्ला धमकी देते थे कि अच्छा अबकी तुमने फैसला मेरे खिलाफ किया है, देखता हूं कि आयन्दा किस प्रकार चुन कर आ जाते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देकर बता सकता हूं कि कितने ही न्यायप्रिय और ईमानदार पंचों और सरपंचों ने दुबारा चुनाव नहीं लड़े और इसी वजह से नहीं लड़े कि हम क्यों इस प्रकार के लोगों के रोष के पात्र बनें। उन्होंने चुनावों में लड़ने से इन्नकार कर दिया लेकिन उन्होंने न्याय की रक्षा की। तो इससे यह अनुभव जरूर होगा कि जो न्याय की व्यवस्था पहले होती थी वह पंचायतों द्वारा होती थी और यह प्रणाली कोई नई नहीं थी। पंचायतों के द्वारा न्याय हासिल करने की लोगों को आवश्यकता थी और मैं समझता हूं कि यहां पर न्याय पंचायतों का आपने प्रावधान किया है वह उसी कमी को पूरा करने के लिये किया है और इसमें एक चीज़ अवश्य ऐसी आनी चाहिये जिससे कि पंच और सरपंच के पदों के लिये खड़े होने वालों के लिये किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हर व्यक्ति को भय और आशंका होती थी वह अब इसमें नहीं रहेगी क्योंकि उनका चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हम इस समय पूर्ति कर देते हैं तो फिर लोगों को शिकायत यही रहती है कि कुछ अधिकार सम्बन्धी न्याय पंचायतें, कुछ सरकारी नियंत्रण और कुछ और हैं जिनको दूर करना परम आवश्यक है। इसलिये फौरन इसकी पूर्ति की जावे। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। यहां हमारे सामने जो कुछ विधेयक जिस रूप में आया है उसमें एक चीज़ थी थोड़ी सी जिसमें कुछ आशंका थी वह धारा ३ है, उसमें है। जहां 'एक ग्राम' शब्द के पश्चात् शब्द 'अथवा किसी गांव के किसी भाग' लिखा है इससे कुछ शंका पैदा होती है। क्या इसके द्वारा ग्राम के टुकड़े किये जावेंगे ? इसका स्पष्टीकरण किया जाता। मैं यह कहूंगा कि इसके पहले यह निश्चय किया गया है कि गांव छोटा हो या बड़ा, जो म्युनिसिपैलिटी की परिभाषा में नहीं आता है तो पंचायत के रूप में वह जैसे का तैसा रहेगा। तो इन शब्दों को यहां रखने से कुछ शंका पैदा होती है कि गांवों के कुछ भागों से मतलब टुकड़ा करने जैसी भावना है। लेकिन कुछ स्पष्टीकरण ऐसा किया गया है कि मुख्य गांव के टुकड़े न होकर कोई ढाणियें जैसे होती हैं उससे इसका मतलब है। मैं इस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

संबन्ध में संशोधन देना चाहता हूं। यदि इस भाग से उद्देश्य यही हो तब तो मैं कोई इस संबन्ध में संशोधन देना ठीक नहीं समझता लेकिन यदि इससे मुख्य गांव के टुकड़े होने का मतलब है तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। मैं यह कहूंगा कि गांव की इकाई पूर्णतया कायम रहनी चाहिये, यही उचित होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): गांव के टुकड़े नहीं होंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धन्यवाद। इसके साथ साथ पंचायतों को जो सहवरण का रखा है उसमें एक चीज यह है कि पहले अपने यहां तहसील पंचायत और जिला परिषद का विधेयक पास किया था, उसमें जो बातें रखी थीं उससे दूसरी तरफ जाने का आभास यहां मालूम होता है। इसमें सहवरण करने का अधिकार यद्यपि आरंभ में पंचायतों को दिया गया है लेकिन यदि पंचायतें किसी प्रकार सहवरण कराने में असफल हों तो यह पंचायतों को नहीं रह कर जिला के कलेक्टर को दिया गया है। यह इसकी धारा ७ के अन्तर्गत (३) में बताया गया है। यदि ऐसा सहवरण करने के लिये बुलाई गई पंचायत की प्रथम बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर पंचायत व्यक्तियों का अपेक्षित संख्या में सहवरण करने में विफल रहे तो कलेक्टर वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों का मनोनयन करेगा तथा इस प्रकार से मनोनीत प्रत्येक व्यक्ति यथाविधि सहवृत किया गया माना जावेगा।

इसका मतलब यह है कि जो पंचायतों को अधिकार है सहवरण का, पंचायतों को करना चाहिये और पंचायतों के असफल होने पर उसका अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। अगर इस प्रकार के अधिकार पहले जिला परिषद में या तहसील कमेटी को दे चुके होते तो उसका कुछ औचित्य समझ सकते थे मगर पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। राजस्थान पंचायत समिति के अधिनियम ११ (१) के अनुसार आपने यह रखा कि कलेक्टर बैठक बुलाएगा और जितने भी सदस्य होंगे, कलेक्टर अपने आदेश से स्वयं बैठक बुलाएगा और बैठक में सभापतित्व करने का कलेक्टर के अतिरिक्त अतिरिक्त कलेक्टर,एस. डी. ओ. को पॉवर होगी। सहवरण करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं दिया गया वह बैठक बुलाने का अधिकार कलेक्टर को है, लेकिन सभापतित्व कलेक्टर या एसिस्टेन्ट कलेक्टर या एस. डी. ओ. करेगा, यह अधिकार ये। सहवरण तो पंचायतें ही करेंगी। ऐसी अवस्था में फिर यह किस प्रकार संभव नहीं हो सकता है कि सहवरण करने में वे क्यों असफल रहें? असफल रहते हैं कोरम न रहने के कारण या और किसी कारण से, उसमें भी प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद उसमें सहवरण नहीं होता है तो एडजोर्न कर दी जावेगी और फिर एडजोर्न करने के बाद में वह मीटिंग फिर बुलाएगा और उसमें कोरम का लिहाज नहीं रखा जावेगा। कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर या एस. डी. ओ. या जो भी अधिकारी होगा सहवरण जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उनकी सहायता से कर लेगा। पंचायतों का सहवरण तो पंच लोग ही करेंगे लेकिन व्यवस्था कोई राजकीय अधिकारी करेगा। उसमें मनोनयन, नोमिनेशन का आधार हो जाता है वह नहीं रहेगा, सहवरण ही रहेगा। उसकी

Page No.46

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वह विधि नहीं होगी जो कि जिला परिषद और पंचायत समितियों में कर चुके हैं। यदि प्रभारी मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेते हैं तो प्रवर समिति में इस प्रकार का संशोधन लाया जाय और उसमें वाद-विवाद करने के बाद निष्कर्ष पर पहुँचें जिससे कि इन पंचों की भी हैसियत वही होगी जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के पंचों की होती है। मनोनयन न होकर सहवरण हो सकेगा और यहां जो इंगित किया गया है कि सहवरण करने में वे असफल रहें तो कलेक्टर खुद करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर,, एस. डी. ओ. कोई भी करायेगा, यह आवश्यक नहीं रहेगा। एक तो यह चीज़ है।

दूसरा, इसमें यह भी रखा है कि कतिपय स्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति। अब तक म्युनिसिपैलिटीज़ अपने काम में असफल होती थी, उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी होती थी तो राज्य सरकार उनको सुपरसीड करके उन पर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक नियुक्त करती थी। यह होता था। लेकिन न्याय पंचायतों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो, यह समझ में नहीं आता है। पंचायतों के लिए कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा? आम तौर पर म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं; वे तहसील, कस्बों में होती हैं, सब-डिविज़न के स्तर पर कस्बे होते हैं या जिला स्तर पर कस्बे होते हैं, तो वहां पर तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर हो जावेगा लेकिन न्याय पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर कहां का जाकर बैठेगा? और क्यों एडमिनिस्ट्रेटर रखा जावे जबकि तहसील पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों में इसका प्रावधान नहीं है। वहां यह कहा गया है कि ऐसी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होगी तो राज्य सरकार स्वयं व्यवस्था करेगी। वहां पर प्रशासक नहीं रखा है। वहां पर राज्य सरकार किसी अधिकारी द्वारा व्यवस्था करायेगी। पंचायतों के लिए अधिकार होता है, एक प्रशासनिक अधिकार होता है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वह अधिकार भी उसी प्रकार का हो जिस प्रकार की भावना से ये पंचायतें होती हैं? इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासनिक अधिकारी न होकर वही पुराना तरीका रहे जिस प्रकार का तरीका जिला परिषदों और पंचायत समितियों में रखा है। वही तरीका इसमें रखा जावे, यह उचित भी है।

सबसे बड़ी चीज़ जो इसके सम्बन्ध में, न्याय पंचायतों के लिए है, यह मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में उस ओर स्पष्ट रूप में इंगित किया था कि आज जो पंचायतें काम करती हैं उनको दिक्कतें आती हैं और उनको देखते हुए उन दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने भी इस प्रकार का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा है:—

"One of the bones of democratic village administration in some areas has been the intensification of factions and feuds, often also of separatism arising out of caste distinctions. The system of electoral contests at village level has often added to these. The committee to report on the problems of reorganisation appointed by the Planning Commission's Panel on

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

Land Reforms considered this particular problem and observed that" Efforts should be made to ensure that elections to the village panchayat are made, as far as possible, by the general consent of the people and the bitterness and hostility created by electic campaigns is avoided.

तो यह मैं समझता हूं कि हमारी न्याय पंचायतों में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जो भी तरीका आज हमारे चुनावों का है, जो वास्तव में एक तथ्य है, उनसे गांवों में प्रेम, सौहार्द्र और भ्रातृ-भाव पंचायतों के द्वारा पैदा करना चाहते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। चुनाव आम तौर पर दलगत आधार पर होते हैं, दलों के आधार पर और दलगत आधार पर नहीं होते हैं तो जात पांत के आधार पर होते हैं और चुनावों को लेकर लोगों में आपस में झगड़े-फसाद होते हैं और इनसे जातिगत झगड़े और आपसी रंजिश पड़ जाती हैं। तो हमको न्याय पंचायतों के लिए इस प्रकार का भी इसमें प्रावधान रखना पड़ेगा कि वे इन झगड़ों से किसी प्रकार मुक्त रह सकें। अब क्या व्यवस्था हो ? यह तब ही दे सकते हैं जब कि प्रवर समिति के सम्मुख यह विधेयक हो। उसमें यह भी सुझाव है, जैसा आचार्य विनोबा भावे सारे देश में प्रचार कर रहे हैं कि पंचायतों को दलगत राजनीति से दूर रखा जावे और पंच और सरपंच एक मत से हों। यह असंभव चीज नहीं है। यद्यपि आज की राजनीति ने गांवों के वातावरण को बिल्कुल दूषित कर दिया है। भोले भाले-किसानों में कलुषित भावनायें इस दलगत राजनीति ने पैदा कर दी हैं; फिर भी हमको देखना होगा कि न्याय पंचायतों और पंचायतों के चुनाव ठीक प्रकार से हों, दलगत राजनीति से दूर हों। हमने पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनावों के लिए २१४,२१३ का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं हमारे देश की परम्पराओं को देखते हुए न्याय पंचायतें सर्व सम्मति से चुनी हुई हों, कोई दूसरी गुन्जाइश न हो इधर उधर जाने की। यह व्यवस्था तब ही कर सकते हैं कि इसको इस समय पारित न करके कुछ समय के लिए प्रवर समिति को भेज दें जहां पर इस प्रकार की बातों पर विचार हो।

ऐसे कितने ही मुद्दे इस विधेयक में आते हैं और जैसा मैंने आरम्भ में ही कहा था कि यह विधेयक बड़े महत्व का है। हमारे देश में जनतन्त्रीय पद्धति पर शासन चल रहा है। इसकी मूल जड़ पंचायतें ही होंगी। पुराने जमाने में भी ग्रामीण राज्य होते थे, जबकि सरकारें आती थीं और बदल जाती थीं, बड़े बड़े महायुद्ध हुए, एक हुकूमत बदली, दूसरी जगह हुकूमत चली, बादशाही बदली और बादशाही बनी, लेकिन ग्रामीणों के वातावरण में कोई परिवर्त्तन नहीं आता था, वे बदस्तूर काम करते थे। आज सरकारें होती हैं और कल बदल जाती हैं। लेकिन हम उस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे कि उन सरकारों के बदलने से उनके ऊपर उसका असर न हो। छोटी पंचायतें बनाने का यही उद्देश्य है कि एक दूसरे से लोग परिचित हों। दुर्भाग्य से आज पंचायतों में चुन कर पंच और सरपंच आते हैं, मुझे कहने में दुख होता है, वे आशा और आकांक्षा के अनुकूल नहीं होते। जिस पंच और सरपंच के लिए ग्रामवासी परमेश्वर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

की भावना रखते थे आज वे नहीं आते हैं। वो ही तिकड़मी, जोड़तोड़ वाले लोग जो खास तौर पर गांवों में आतंक फैलाये हुए होते हैं, ऐनकेन प्रकारेण चुन कर आ जाते हैं। आज यह जो पंचायतों की स्थिति है वह हम अनुभव कर रहे हैं।

इसलिए जबकि हम एक नया संशोधन ला रहे हैं, एक नया विधेयक हमारे सामने आया है तो मैं इसके लिए प्रभारी मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसको अभी पारित करने का प्रयत्न न करें बल्कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें। बातें तो और भी बहुत सी हैं किन्तु अभी उन सबको बताने का समय नहीं है; इसलिए मैं चाहूंगा प्रवर समिति द्वारा एक एक धारा उपधारा पर इस प्रकार से विचार और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था सोचें जिससे हमारी ये न्याय पंचायतें न्याय मन्दिर का रूप हों और वास्तव में न्याय देने वाले भगवान् स्वरूप हों। ऐसे कानून को जल्दी में पास कर लेते हैं तो इससे कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बाद यदि दो चार, पांच महीने का समय भी लग जाता है तो भी कोई बात नहीं है। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि हमारी न्याय पंचायतें वास्तव में न्याय पंचायतें बनें। हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। वहां पर बहुत अर्से से न्याय पंचायतें अलग बनी हुई हैं। वहां के अनुभव से हम फायदा उठावें इसलिए कुछ दिनों के लिये इसको स्थगित करके प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो बहुत उपयुक्त होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मेरा सुझाव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय का प्रश्न है राजस्थान का हर नागरिक यह चाहता है कि मुझको न्याय मिले और वह भी जल्दी और सस्ता मिले। इस न्याय को जल्दी देने की नीति को अपना कर ही पंचायत कानून बनाया गया। इस पंचायत कानून के जरिये से जिस नीति को हम लेकर चलते हैं उस नीति से जनता को वास्तविक फायदा नहीं पहुँचा इसलिए सरकार ने न्याय पंचायतों को अलग करने का सुझाव दिया। आप कितनी ही पंचायतें अलग करें जहां तक चुनाव प्रणाली का प्रश्न है यही प्रणाली रही तो पंचायतें सफल नहीं हो सकती। आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि वर्त्तमान में जो पंचायतें हैं क्या उनको न्याय करने का अधिकार नहीं है? पंचायत कानून के अन्तर्गत भी दीवानी दावे सुनने का अधिकार पंचायतों का था फौजदारी मामले भी उनके दायरे तक सुनते थे और इसके अलावा प्रशासन संबन्धी मामले भी उनके अधीन थे। एक तरफ तो हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ न्याय पंचायतों में वही चुनाव की प्रणाली अपना रहे हैं। हम जहां तक न्याय देना चाहते हैं वहां तक तो ठीक है लेकिन जो इसके लिये चुनाव प्रणाली आपने रखी है वह तो आप यह मान कर चलें कि चुनाव पार्टी बेसिस पर होंगे और जितने भी चुन कर आते हैं वे पार्टी बेसिस पर आते हैं। सरकार के दिमाग में और जनता के दिमाग में यह होता है, यह सोचा जाता है कि यह फलां पार्टी का

(श्री लक्ष्मीचन्द)

आदमी नहीं वाजिब कोई मांग है सच्ची बात है तो वह पार्टी बेसिस पर निर्णय देगा। जहां सरकार नहीं सुनती तो पार्टी बेसिस पर चुना हुआ न्याय पंचायत का पंच किस प्रकार से सुनेगा ?

१.१४ म० प०

(श्री.निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार जिस कानून के जरिये चुन कर आती है आखिर वह भी पार्टी बेसिस पर आती है। जहां तक न्याय करने का प्रश्न है,यह शंका होती है कि जब कोई पार्टी का चुनिन्दा आदमी होता है तो पार्टी वाले उसको दबा सकते हैं और इस तरह से वह न्याय से डिग जाता है, सच्चा न्याय नहीं कर पाता। इसका परिणाम यह होता है कि जो न्याय पाने वाला है वह उससे सच्चे न्याय की आशा नहीं कर सकता। इस प्रकार आप कानून के अनुसार कितनी व्यवस्था कर दें लेकिन जहां तक चुने हुए आदमी का सवाल है वह न्याय नहीं कर सकेगा और न करेगा। चुन कर आने वाला आदमी हमेशा अपनी पार्टी की बात मानेगा। वह यह सोचेगा कि जिस पार्टी से चुनकर मैं आया हूं, जिसकी मदद से मुझे यह जगह मिली है इस धारणा को जब वह अपने दिल में रखता है तो उससे न्याय की आशा नहीं की जा सकती, वह तो अन्याय ही करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वे न्याय करने वाले हों फिर भी उनको अन्याय करने के लिये मजबूर किया जायगा। मजबूर नहीं होगा तो मेंजोरिटी के जरिये उसको बाध्य होकर जो मेजोरिटी चाहेगी वह करवायेगी। अगर वह मेजोरिटी का कहना नहीं मानता है तो उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जायगा। इस तरह से न्याय करने वाले भी अन्याय करने की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे सकता हूं। जहां तक न्याय का सवाल है सांचोर की ग्राम पंचायत ने पानी प्रबन्ध का करने के लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये। चूंकि पंचायत के जरिये पानी का प्रबन्ध करना है इसलिये कोई टेन्डर नहीं आये। एक-दो आये भी तो वे हाई रेट्स के थे। तो पंचायत के लोगों ने सोचा, पंचायत इतना पैसा तो दे नहीं सकती आमदनी तो इतनी ही होगी वैसी हालत में एक ठेकेदार को बुला कर कहा तुम चक्की लगा दो पंचायत खर्चा देगी। वह ४०० रुपये में उसको ठेका दिया गया। साल भर तक तो उसने चलाया। उसको मालूम हो गया कि अब ठेका रहने वाला नहीं तो उसने मांग की ६०० रुपया कर दिया जाय। ठेकेदार को यह विश्वास हो गया कि दूसरा ठेकेदार तो आने वाला नहीं, टेन्डर कोई दूसरा देगा नहीं अगर काम कराना होगा तो मुझे ६०० रुपया देंगे। लेकिन पंचायत इस स्थिति में नहीं थी। उन्होंने नये ठेकेदार को खड़ा किया और उसको ४०० रुपया दिया उससे एग्रीमेंट लेकर एक्जीक्यूट करा दिया। ठेकेदार ने इसकी रिपोर्ट की कि टेन्डर बिना इन्वाइट किये ही एक ठेकेदार को पानी ठेका दे दिया गया। ग्राम पंचायत के हित में था इसलिए उसने इस प्रकार का निर्णय बिना टेन्डर इन्वाइट किये ही ले लिया। उसकी अपील तहसील पंचायत में हुई। उस तहसील पंचायत में कुछ आदमी उस ठेकेदार के पक्ष के थे, उस पर तहसील पंचायत ने निर्णय दे दिया कि इस फैसले को रिवाइज़ कर दिया जाय चूंकि टेन्डर लेना जरूरी था। जब टेन्डर इन्वाइट नहीं करते हैं तो ६०० रुपया पानी के लिए देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.50

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इसमें न्याय कहां हुआ मेजोरिटी तहसील पंचायत में उन आदमियों की थी। मगर आज हमको देखना यह है कि जो काम ४०० में होता है उसके लिए ६०० रु० क्यों दें ? पुराने ठेकेदार को देते हैं तो ६०० रुपया देना पड़ता है और नये को ४०० रुपये देना पड़ेगा। अगर हम कानून को लेकर चलें तो कानून के अन्तर्गत यह जरूरी है कि टेन्डर इन्वाइट करना चाहिये। लेकिन जहां रुपये कास वाल है एक तरफ तो ६०० रुपया देना पड़ता है और दूसरी तरफ वही काम चार सौ में हो जाता है। इसमें सही न्याय क्या हो सकता है ? जिस संभावना को लेकर चलते हैं उस भावना को पंचायत के जरिये या तहसील पंचायत के जरिये कानून में नहीं ला सकते।

आप न्याय पंचायतों को अलग करना चाहते हैं, यह तो ठीक है किन्तु जहां आप चुनाव प्रणाली वही रखना चाहते हैं तो जो चुनाव पार्टी बेसिस पर होंगे वहां पर न्याय की आशा नहीं की जा सकती। या तो आप कानून को विथड्रॉ कर लीजिये और आप यदि चुने हुए आदमियों का ही विश्वास रखते हैं तो हमारी पंचायतें पहले से मौजूद हैं वे ठीक हैं। अगर उनमें विश्वास नहीं रखते हैं तो यह एक प्रकार से धंधा हो जायगा कि चुनकर जो लोग आ गये वे कमाई करेंगे, चाहे वे न्याय करें या अन्याय करें। पंचायतों को ये अधिकार पहले से हैं फिर आप चुनाव में ही विश्वास करते हैं, तो उन्हीं में यह अधिकार रहने दीजिये, यही ठीक था। आप अपील का प्रोविजन तहसील पंचायतों से हटाना चाहते हैं और वह अधिकार मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट में रखना चाहते हैं। न्याय पंचायतें आप अलग करना चाहते हैं और वह अधिकार चुने हुए लोगों को देना चाहते हैं, यह उचित नहीं होगा। अगर चुन जाने पर वह पार्टी का ध्यान नहीं देता है तो उसका आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर न्याय पंचायत में गलत आदमी को चुनकर भेजते हैं तो कोई बात सही हो और मेजोरिटी उसके पक्ष में नहीं है तो वह काम सही नहीं हो सकेगा जिस प्रकार से मेजोरिटी चाहेगी उसमें न्याय करेगी। अगर आप मेजोरिटी के द्वारा ही न्याय करवाना चाहते हैं तो आपको न्याय पंचायत की जगह मेजोरिटी पंचायत में रख देना चाहिये, ताकि मेजोरिटी से यह भी तय कर लिया जाय कि न्याय करने वाला भी कौन हो। फिर चाहे उसके द्वारा न्याय हो या अन्याय। जब न्याय नाम है तो चुनिन्दा आदमी न्याय नहीं कर सकता। आज मिनिस्टर भी नहीं कर सकते तो वहां के एक छोटे तबके के आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है ? तो इस पंचायत एक्ट का नया नाम न्याय पंचायत एक्ट न रख कर मेजोरिटी पंचायत एक्ट रखना ही ज्यादा उपयुक्त होगा।

दूसरी बात आपने इस कानून के अन्तर्गत यह रखी कि पंच वही घोषित किया जावेगा जिसने चुनाव में ३।४ वोट हासिल कर लिये हैं। हमारी विधान सभा के चुनावों में भी इस किस्म की व्यवस्था कहीं नहीं है। यहां तो चाहे एक ही वोट का अन्तर हो, चुना हुआ समझा जावेगा, पर वहां न्याय पंचायत में ३।४ वोट हासिल करना जरूरी रखा। यहां जहां एक वोट की मेजोरिटी से आकर आदमी न्याय के कानून बना सकता है, पर वहां न्याय पंचायत में न्याय करने वाला ३।४ वोट से आना जरूरी समझा गया तो इस प्रकार की चुनाव

(श्री लक्ष्मीचन्द)

की प्रणाली उचित नहीं कही जा सकती ।

इसमें आपने ३० साल की अवधि तय की जब कि कानून बनाने वाली इस विधान सभा के लिए भी आपने २५ वर्ष से अधिक नहीं रखी। २५ साल की उम्र वाला कानून बना सकता है, पर उस कानून के अनुसार न्याय देने वाले की उम्र ३० साल की होनी जरूरी समझते हैं, वह उस उम्र का न्याय नहीं कर सकता, यह कैसा आपका भेदभाव है ?

तीसरी बात आपने रखी कि मीटिंग के १५ दिन के अन्दर कोऑप्ट मेम्बर को आप नहीं करते हैं तो कलेक्टर कर देगा उसे मनोनीत । एक तरफ तो आप पॉवर देना चाहते हैं जनता को, पॉवर को विकेन्द्रित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से पॉवर को केन्द्रित करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं । आपको ऐसा अधिकार देना था तो पंचायत समिति को, जिला परिषद् को देते । फिर १५ दिन की अवधि भी कम है । हो सकता है, इस अवधि में मीटिंग नहीं बुलाई जा सके तो अवधि अधिक होनी चाहिये । नहीं तो होगा क्या, इसका बहाना भी बनाया जाकर कलेक्टर चूंकि पार्टी पॉवर का आदमी होता है तो झट से वह सरकार की पार्टी के आदमी को भी मनोनीत कर सकता है । तो इस प्रकार की व्यवस्था कानून में नहीं होनी चाहिये ।

ऑडिट के बारे में आपने प्रोविज़न किया । इसमें आपने तहसील पंचायत और पंचायत समिति पर विश्वास नहीं किया । ऑब्जेक्शन के मुतल्लिक रिप्लाई वगैरह का जिम्मा कलेक्टर के दायरे में रखा वह सेटिस्फाई हो जावेगा तो वही निर्णय कर देगा । आपका न्याय पंचायत पर, अपनी पंचायत समिति पर और तहसील पंचायत पर विश्वास नहीं । आपका विश्वास अपने कलेक्टर पर अधिक है । तो इस तरह जहां आपने अपने कलेक्टर को इतना सुरक्षित रखा है वहां न्याय पंचायत वगैरह पर आपने अविश्वास प्रकट किया है । कलेक्टर के हाथ में आपने न्याय पंचायत तक को डिज़ोल्व करने का पॉवर रखा है, जब चाहे तब वह उनको खतम कर सकता है । इससे लगता है सरकार वास्तव में पॉवर हाथ में रखना चाहती है, देना नहीं चाहती । पंचायत को तो आपने आगे कर दिया बदनामी का बोझा उठाने के लिये । सरकार को करना है वह तो वह अपनी मर्जी से करेगी और बदनामी पंचायत को उठानी होगी ।

सिविल-दीवानी के मामले मुन्सिफ के पास अपील में जावेंगे । क्रिमिनल केसेज़ की अपील मजिस्ट्रेट के पास जावेंगी । आज हमारा न्याय और प्रशासन अलग नहीं है इसलिये कह नहीं सकते कि मजिस्ट्रेट न्याय कर सकेगा । क्योंकि हम रात-दिन देखते हैं कि मजिस्ट्रेट पार्टी इन-पॉवर के हाथ के नीचे दबा रहता है, पार्टी के इशारे के अनुसार काम करना पड़ता है क्योंकि वह डाइरेक्ट हाई कोर्ट के नीचे नहीं है । तो ऐसी स्थिति में जब तक क्रिमिनल के मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के नीचे नहीं दे दिये जाते तब तक क्रिमिनल के पॉवर, अपील सुनने के, मजिस्ट्रेट को नहीं दिये जाने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको एक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इसमें जो मोटी मोटी खामियां हैं उन पर विचार करके समिति अपनी रिपोर्ट दे सके और इसके बाद में उस पर हाउस में डिस्कशन हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीजगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा संशोधन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसके उद्देश्य को पढ़ने के पश्चात् इस विधेयक को पढ़ा जावे तो पंचायत विभाग को जिस प्रकार की कठिनाइयां आती गईं उनको दूर करने के लिये इसको बनाने में आपका ध्यान अधिक लगा है बजाय इसके कि जनता को कोई सही राहत देने की बात आपके ध्यान में थी। आपने इसका नाम न्याय पंचायत बिल रखा है, पर इसमें ऐसी बातें भी कई मोटे रूप में डाल दी गई हैं कि अगर उनको गम्भीरता से नहीं पढ़ें और नहीं विचार करें उन पर, तो इसमें यह सबसे बड़ी खामी रह जावेगी।

इसमें चुनाव की प्रणाली को भी पलटने का प्रयास किया गया है और वे चुनाव गांवों में हो सकेंगे भी कि नहीं यह शंकाशील है। आज तक जो चुनाव हुए हैं उनमें भी कई जगह लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। पर अब जो ३।४ की बात रखी गई है तो अब उसके लिये कौनसी प्रणाली अपनाई जावेगी, इसका कोई खुलासा इसमें नहीं दिया गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट की तरह है। वहां निश्चित् मिकदार से एक वोट भी कम आया तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव माना नहीं जाता। तो इसी तरह ये चुनाव किस प्रणाली से होंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया, अगर इतने वोट एक बार नहीं आये तो दुबारा चुनाव करावेंगे या करेंगे ? केवल यह कह कर सन्तोष कर लिया : "Provided that a persou shall not be deemed to have been elected a Sarpanch unless he secures not less than three-fourths of the total number of votes cast at the election." इससे बड़ी गड़बड़ी होने की सम्भावना है। तो ऐसी स्थिति में केवल विभाग में बैठ कर कानून को गढ़ लिया गया है। वास्तव में जो कठिनाइयां आनेवाली हैं इससे उनका पूरा अन्दाज नहीं लगाया गया है।

अब इसके बाद में यह पता नहीं कि राजस्थान सरकार एक प्रान्त में किस किस प्रकार के कानून बनाती है और लोगों से किस किस प्रकार की अपेक्षायें करती है। सरकार ने पंचायत समिति और जिला परिषद का एक कानून बनाया और जब पंचायतों का सवाल आया तो दूसरा कानून बना दिया। पंचायत समिति और जिला परिषद को तो कोऑप्शन करना पड़ता था। उनके लिए, महिलाओं और पिछड़ी हुई जातियों के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद का कोऑप्शन का प्रोविज़न रखा था। वैसे इसमें भी कोऑप्शन का प्रावधान रखा है लेकिन दोनों में काफी परिवर्तन है। इसका अर्थ तो यह है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो कोऑप्शन का प्रावधान रखा था उसको सरकार ने अयोग्य मान लिया है और इसी कारण अब नये ढंग से कोऑप्शन की प्रणाली को अपनाया गया है। पहले सरपंच का चुनाव होगा और पंचायत समिति और जिला परिषद में क्या होता था कि जब समिति गठित होती थी तो जो सदस्य थे वे बैठ करके कोऑप्शन करते थे महिलाओं और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए और

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सारे कोऑप्टेड सदस्य और इलेक्टेड सदस्य अपने प्रमुख अथवा प्रधान का चुनाव करते थे। लेकिन यहां क्या रखा है कि पहले तो जो पंच हैं वे सरपंच का चुनाव करें और उसके बाद में कोऑप्शन का प्रावधान रखा है। इसका अर्थ यह है कि आपस में गड़बड़ी होगी...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : लेकिन सरपंच के चुनाव तो डाइरेक्ट हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : यह जरा खड़े होकर जोर से बोलो।

श्री सोहनलाल भटनागर : He has understood.

श्री अर्जुनदास : जरा जोर से बोलो, हिम्मत है तो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : न्याय पंचायतों का गठन किया जा रहा है वह भी अलग ढंग से किया जा रहा है। सारे क्षेत्रों में अलग अलग पंचायतों का सर्किल बनाया जायेगा और इसको वही प्रणाली दी है जो कि हमारी राज्य सभा की है। जैसे सीधे राज्य सभा में चुनाव होता है उस प्रकार की चुनाव की प्रणाली न्याय पंचायतों को दी है। अब प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन देते हैं वह किस ढंग से देते हैं, वह दूसरी बात थी। पर जैसी हमारी राज्य सभा की प्रणाली है कि हर दो साल में लोग रिटायर होंगे और बाकी के सदस्यों का फिर चुनाव होगा यानि जो राज्य सभा की प्रणाली है उसका न्याय पंचायत में रख दिया। मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों के लिए यह एक अजीब ही प्रणाली होगी, यह किसी प्रकार भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे पंचायत समिति और जिला परिषद की टर्म फिक्स की हुई है उसी प्रकार से न्याय पंचायतों की भी टर्म फिक्स कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। जिस प्रकार से उनका टर्म है उसी तरह से इसका भी रहता तो यह समझ में आने वाली बात थी। जिस तरह से पंचायतों का टर्म ३ साल का है और एक पंचायत गई और दूसरी आई इसी प्रकार से न्याय पंचायतों का भी टर्म होता तो अच्छा रहता। इसमें जो रिटायरमेंट का प्रोविज़न रखा है वह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। यह जो परीक्षण हम करने जा रहे हैं वह किसी प्रकार से भी ठीक नहीं होगा। जहां तक न्याय पंचायतों के गठन का प्रश्न है इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि न्याय पंचायतों की स्थापना एक प्रकार से प्रारम्भिक सीढ़ी थी एग्ज़िक्यूटिव से जुडिशियरी को अलग करने की और इस सिद्धान्त को जो सरकार ने स्वीकार किया है उसके लिए मुझे खुशी है। पहले आपस में बहुत झगड़े हुआ करते थे और विकास के कार्यों में बाधायें आती थीं। अब जितने भी प्रशासनिक मामले हैं उनका संबंध इससे नहीं रहेगा और यह ठीक बात है। लेकिन इसके साथ ही यदि कोई मामला पंचायत समिति तय करे तो उसकी अपील तहसील पंचायत को होती है और जो अपील का प्रावधान उसमें रखा है वह प्रावधान इसमें नहीं है। पहले ऐसा होता था कि सारी अपील पंचायत समिति को जाती थी और फिर तहसील पंचायत में जाती थी बीच में ऐसा प्रावधान किया कि पंचायत समिति को जायेगी। जो फौजदारी का मामला है वह मजि-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

स्ट्रेट के पास दे दें। जितने भी एक्ज़ीक्युटिव मामले हैं वे पंचायत समिति में जायेंगे। तो वे पंचायत समिति के पास न जाकर मजिस्ट्रेट के पास जाने चाहिए क्योंकि उनमें कई ऐसे मामले भी आ सकते हैं कि जिनमें कानून की बात आये। तो जैसे सिविल जज और मुन्सिफ को किया है उसी आधार पर उन मामलों का अधिकार इसी अदालत को दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अब समितियों के सुपरसेशन और डिज़ोल्युशन का अधिकार सरकार ने ले लिया है। अब इसके अन्दर संशोधन करके इस प्रकार का अधिकार सरकार ने लिया है इन न्याय पंचायतों के लिए। न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में सरकार जब चाहे तब उनको डिज़ोल्व कर सकती है। वैसे तो सरकार कहेगी कि इस प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा तो ये लोग मनमानी करेंगे! मगर जो जुडिशियल ऑफिसर्स आपने बैठा रखे हैं तो उनके मनमानी करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। किसी ने कोई काम कानून के विरुद्ध कर दिया है तो उनके ऊपर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट बैठा दिये हैं। कोई आदमी जिसके विरुद्ध कि काम हो रहा है वह मुन्सिफ के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। यदि हम यह देखें कि प्रशासनिक मामलों में कोई निर्णय ले लिया है तो सरकार को अधिकार दे देते हैं कि पंचायत समिति का निर्णय है वह गलत किसी प्रकार से होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार का प्रावधान किया है तो जब हमने इतना बड़ा प्रावधान कर दिया है तो फिर हमने उनको भंग करने का और उनको डिज़ोल्व करने का या उनको सुपरसीड करने का अधिकार लिया है, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत चीज़ है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जितने भी कानून बने हैं, जिला परिषद का कानून बना, नगरपालिका का कानून बना उन सारे कानूनों के अन्दर इस प्रकार का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लिया है कि जब चाहे उनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। अब सरकार ने सोचा कि जब कि उनमें हमने यह अधिकार लिया तो इसमें भी लेना चाहिए। तो वही नियम अगर इसमें लागू करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। नगरपालिका के काम में और इसके काम में बहुत अन्तर है, इसलिए वह अधिकार यहां लें तो ठीक नहीं रहेगा। इसके अन्दर इस प्रकार का भी प्रावधान किया है कि जो पंचायतें हैं उन्होंने किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया है और वह ठीक नहीं है तो सरकार ने उनको भी इसके द्वारा वेलीडेट कर दिया है। Validation of levy of certain taxes. जो राजस्थान का कानून था उसमें संशोधन करते हुए लिखा है कि जो टैक्सेशन हैं वे सही हैं या गलत हैं यानि स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसके अन्त में लिखा है : "They are being actually recovered and collected even though such duties may not have been specified at the time of such imposition and levy" इसका मतलब कानूनी खामियां थीं और इस बीच में अगर पंचायत समिति ने वसूल कर लिया है तो हम कई वर्षों के बाद कानून बना रहे हैं और एक धारा के अन्तर्गत उनको वेलीडेट करते जा रहे हैं। जैसी कि सरकार की आदत है कि जो पहले वह गलत काम कर जाती है उसको

Page No.55

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वेलीडेट करा लेती है। उसी प्रकार का इतना बड़ा कानून जिसमें पंचायत के नियमों में संशोधन हुआ है और होना तो था संशोधन पंचायत एक्ट में; पर इसके द्वारा जो गलत टैक्स पहले हुआ था उसको वेलीडेट कर दिया, यानि कितना बड़ा संशोधन इसमें करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतनी सारी बातें जो हैं जल्दी से इस विधेयक को पारित करें और आज तो इसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा और ३ दिन क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा। मैं समझता हूं कि यह समय पर्याप्त नहीं होगा। जो दिक्कतें अब तक आई हैं, जैसा मैंने बताया कि विभाग में इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन किस पंचायत को किस आधार पर हटाया जा सकता है, इसका उदाहरण मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने पंचायत का रखना चाहता हूं। उस पंचायत में वास्तव में आवश्यकता है कि पंचायत विभाग हस्तक्षेप करे लेकिन कोई कानून नहीं है। इस कानून में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैंरूंपुरा में एक पंचायत है। वहां पर सरपंच थे उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। दुबारा चुनाव हुआ और उसमें चुन कर वही दुबारा सरपंच बने और दुबारा फिर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। तिबारा चुनाव हुआ और तिबारा वही सरपंच चुन कर आ गये और तिबारा भी अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ पास हुआ फिर चौथी बार चुनाव होता है और चुनाव में वे ही सरपंच चुने जाते हैं। जब वे सरपंच बन कर बैठते हैं तो फिर पंच मिल कर उनके खिलाफ अविश्वास रख देते हैं और उस सरपंच को हटा देते हैं। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि यह गैरकानूनी है। इस प्रकार का कानून पास कर दिया कि सरकार सुपरसीड कर दे। व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा होती हैं और वह पंचायत पिछले तीन साल से कोई काम नहीं कर सकती। इस झगड़े से पिछले तीन साल बीत गये और कोई काम नहीं हुआ। हमारे पास में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि इस प्रकार के जहां झगड़े हों वहां पर हम हस्तक्षेप कर सकें। इस प्रकार की जहां व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं और पंचायतें कुछ काम नहीं कर सकती हैं उसके लिए कुछ प्रावधान इस बिल में नहीं हैं, लेकिन जहां पर अपने पास में अधिकार लेने की बात है तो केवल अधिकार लेने मात्र के लिये ही यह संशोधन आया है। इस संशोधनात्मक विधेयक पर हम गम्भीरता से विचार कर सकें एक जगह बैठ कर, सारे सदन में विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि हम इसके अन्दर जो न्याय पंचायतें बनने वाली हैं वे अक्टूबर से काम करना शुरू करेंगी इसलिए सरकार चाहती है कि जल्दी से इसको पास करें, तो हम जून के महीने में जैसा कि पिछली बार सदन का सत्र बुलाया था उसी तरह से जून के महीने में सदन का सत्र बुला लिया जाय और केवल इसी विधेयक पर विचार कर लिया जाय। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति एक्ट में भी संशोधन आने वाला है जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में संकेत था कि जिला परिषद् एक्ट में संशोधन लायेंगे तो उस पर और इस पर साथ साथ बैठ कर विचार कर लें क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिन्कड हैं। उस लिंक के अधार पर बैठ कर

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विचार कर सकें । इसलिए यदि जून के महीने में इस पर बैठ कर विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा । इस बीच में प्रवर समिति इस पर विचार कर लेगी । तो प्रवर समिति इस प्रकार से विचार कर सके, यह मेरा संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा भी प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का था ।

श्री उपाध्यक्ष : वह अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष कई माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । अन्य कई माननीय सदस्यों ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय । मैं दोनों तरह के प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

यह कोई मूल बिल नहीं है, ओरीजिनल बिल नहीं है; केवल एक एमेंडिंग बिल है । इसमें बहुत लम्बा चौड़ा सिद्धान्त नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत विचार-विमर्श किया जाय । इसमें तो वैल थोट, वैल कन्सीडर्ड और थ्रेश्ड आउट प्रोपोज़ल्स का ही समावेश किया गया है कि जिस पर सदन में बिना प्रवर समिति को सुपुर्द किये ही निर्णय लिया जा सकता है । आपको याद होगा कि गई बार जिला परिषद् और पंचायत समिति विधेयक जब विचारार्थ था इस सदन में तब कई माननीय सदस्यों ने जिनमें यदि मैं गलत नहीं हूं तो जो हमारे प्रस्तावक महोदय हैं इस प्रस्ताव के उन्होंने भी यह आवाज़ उठाई थी कि न्याय पंचायतें कायम हों । जुडिशियरी को ग्राम पंचायतों से अलग किया जाय और न्याय पंचायतों के सुपुर्द किया जाय और उस वक्त काफी चर्चा हुई थी । वे ही माननीय सदस्य आज यह कहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति को या जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय, यह समझ में आने जैसी बात नहीं है, बल्कि यह एक थ्रेश्ड आउट प्रोपोज़ल है जो कि पहले सदन के समक्ष आ चुका है । इसलिए जनमत जानने की या प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की कोई बात रहती नहीं है ।

हम जानते हैं कि हमारी पंचायतें जो इस समय हैं वे बहुत सीमित क्षेत्र में हैं, छोटे से दायरे में हैं और अब आगे चल कर दायरा इससे भी छोटा होने जा रहा है । इस छोटे से दायरे में दीवानी और फौजदारी मुकदमात को फैसले करने का अधिकार है तो निश्चित है कि छोटा दायरा होने से कोई पार्टी जो हार जाती है वह पंचायत का विरोध करती है और धीरे-धीरे दलबन्दी का रूप धारण कर लेती है । इसलिए पंचायतों के सरपंच अक्सर दलबन्दी के शिकार हो जाते हैं और चूंकि जुडिशियरी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के अधिकारों से सत्ता की खुराक मिलती है और मुकद्दमेंबाजी में निर्णय देने की वृत्ति रहती है इसलिए वे सत्ता प्रिय हो जाते हैं, और सत्ता प्रिय होने से सारा समय मुकद्दमों के निर्णय करने में लगा देते हैं और हमारे विकास के कार्य यों ही पड़े रह जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक सा है कि जो मुकद्दमें-बाजी का निर्णय देने का तरीका है यानी जुडीशियरी है उसको उन पंचायतों से जो विकास का कार्य करेंगी अलग किया जाय।

दूसरा दोष यह भी आ गया है कि हम देखते हैं कि विकास के कार्य सारे जनसहयोग और जनसम्पर्क के माध्यम पर आधारित हैं। उसके लिए ग्राम पंचायत कार्य करती है तो बेजा दबाव भी दे देती है और न्याय को साधन बना लेती है। अगर किसी का कोई मुकद्दमा चलता है तो वे कहते हैं कि इतना सहयोग दे दो, इतना श्रमदान कर दो तो मुकद्दमें में तुमको न्याय मिल जायगा और तुम्हारा जुर्माना माफ हो जायगा। इस प्रकार की शिकायतें रहती हैं दोनों के शामिल रहने पर। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इम्पार्शियल (Impertial) जस्टिस नहीं मिलता है, निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता है और स्वेच्छा का जो एलीमेंट है कि श्रम-दान, जनसम्पर्क और जनसहयोग स्वेच्छा से होना चाहिए, उसमें भी न्याय साधन बनकर अनड्यू इन्फ्ल्युएन्स का आधार बन जाता है।

तीसरी बात यह है कि लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का मूलाधार पंचा-यतें हैं और पंचायतें इस तरह से जुडीशियरी के कामों में लग जाती हैं तो उनके पास काम पहले से अधिक बढ़ गया है तो वे जुडीशियरी पर लगे रहेंगे तो यह योजना सफल नहीं हो सकेगी। इन कारणों का हम विवेचन करें और इसका हल खोजने की कोशिश करें तो जुडीशियल पंचायतें कायम करने के अलावा और कोई हल नहीं निकल सकता है क्योंकि सीमित दायरे से निश्चय ही अब दायरा बड़ा हो जायगा, ५, ७ पंचायतों का एक पंचायत सर्किल कायम होगा और इसके अन्दर हर पंचायत अपना एक प्रतिनिधि भेजेगी। एक एक प्रतिनिधि मिल कर एक चेअरमेन का इलेक्शन करेंगी, उसके बाद में हर पंचायत के लिए अलग अलग बैंचें कायम की जायेंगी। जिस जगह पर जो बैंच जायगी वहां पर उस जगह का आदमी शामिल नहीं होगा। उससे निष्पक्षता रहेगी, न्याय भी सही मिलेगा और खर्चा भी कम होगा और उसमें वे लोग भी नहीं हो सकेंगे जो पंचायतों के, पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के, स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के सदस्य हैं। यह व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। यदि कहीं पर माइनर डिटेल या प्रोसीजर में कुछ तरमीम करना है तो उसके लिए प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाना ही हल नहीं होगा। यहां पर सेकण्ड रीडिंग के वक्त एमेंडमेंट के जरिये वह हो सकता है।

दूसरी तरह का प्रावधान जो कि प्रस्ता-वित बिल में किया गया है वह केवल अधि-कारों के सम्बन्ध में है, जब कि सन् ५३ में इस प्रकार की पंचायतें कायम की गई थीं और जब पंचायत एक्ट पास हुआ था उस वक्त में शुरूआत का मामला था इसलिए अधि-कार कुछ कम दिये थे, मसलन पहले १००)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रु० का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया था। हमारे इतने वर्षों के अनुभव ने यह बता दिया कि ग्राम पंचायतें यह काम कर सकती हैं और मुकद्दमें का फैसला ठीक तरह से कर सकती हैं और अब न्याय पंचायतें अलग बन रही हैं इसलिए इस बार १००) रु० के बजाय २५०) रु० कर दिया गया है दीवानी दावों के सम्बन्ध में।

दूसरी व्यवस्था इसमें यह की गई है कि पहले यह डर था कि मुमकिन है कि दीवानी और फौजदारी के मुकद्दमों का निर्णय ठीक तरह से नहीं दे सकें इसलिए जुरिस्डिक्शन का सवाल था। तो कन्करेन्ट जुरिस्डिक्शन रखा था। कोई चाहे तो सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स में इस्तगासा या दावा कर सकता है और चाहे तो पंचायत में कर सकता है। ८–१० वर्ष के अनुभव ने हमें बताया कि ग्राम पंचायतें इस काम को ठीक तरह से कर सकती हैं। खास तौर से न्याय पंचायतें अलग, निष्पक्ष आदमियों की कायम की जा रही हैं तो निश्चय है कि और भी ठीक तरह से कर सकेंगे। इसलिए कन्करेन्ट जुरिस्डिक्शन को एक्सक्ल्यूज़िव जुरिस्डिक्शन में बदल दिया। न्याय पंचायतों का सिविल और क्रिमिनल केसेज़ का एक्सक्ल्यूज़िव जुरिस्डिक्शन हो इस तरह का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। तीसरा है, आये दिन एसेम्बली में प्रश्नोत्तरकाल के समय पंचायतों के बारे में सुनने को मिलता है कि फलां सरपंच से खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ, फलां का टर्म खत्म हो गया लेकिन वे चार्ज नहीं देते हैं, दूसरे चुने हुए सरपंच को चार्ज नहीं दे रहे हैं या सरकारी व्यक्तियों को चार्ज नहीं दे रहे हैं। आये दिन यह डिफिकल्टी प्रश्नोत्तर के समय आती रही है। ऐसी डिफिकल्टीज़ को हल करने का प्रयत्न इस विधेयक में किया गया है। यदि किसी सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है या अन्य किसी कारण से वह अलग होता है और ऑथोरिटीज़ को या पंचायत को चार्ज नहीं देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय, या कोई पंचायत डिज़ोल्व हो जाय तो उसके स्थान पर कौन काम करे, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय या क्या किया जाय, इस तरह की डिफिकल्टीज़ को हल करने का प्रयत्न किया गया है। यह प्रावधान किसलिये रखा है इसके बारे में एक माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार को मुश्किल आती है उसको हल करने के लिये रखा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कोई मुश्किलात नहीं आती हैं, मुश्किलात उन पंचायतों को आती हैं जिनको चार्ज नहीं मिलता है और उनका काम सफर करता है। यह सरकार की डिफिकल्टी नहीं, बल्कि पंचायतों की डिफिकल्टीज़ हैं जिनको हल करने का प्रावधान किया गया है।

बाकी के कांसीक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, ये थी टायर्स कहलाते हैं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन Scheme के। तीनों का in conformity with each other होना चाहिये इसलिये समान provisions का समावेश किया है। पहले पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट में इन प्रावधानों को इन्कोरपोरेट नहीं किया था इसलिये इस तरह के वाकयात का समावेश नहीं करने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के कारण बहुत चर्चा का विषय बन गया था इसलिये इसका प्रावधान किया गया है । एक बात यह है कि हमारे मंत्रीजी बहुत बड़े सर्वोदयी नेता हैं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही प्रावधान इसमें किया है। पर प्रावधान यह है कि कोई भी पंच या सरपंच चुना हुआ घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसको तीन चौथाई मत न मिलें....

श्री अर्जनदास (अजमेर पश्चिम) : किसी को नहीं मिले तो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आगे आता हूं। वास्तव में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम जन सम्पर्क और जन सहयोग पर आधारित है। ज्यादा जन संपर्क मिलने से ही योजना सफल हो सकती है और ज्यादा सहयोग तभी मिल सकता है जब कि पंचायत में ऐसे व्यक्ति हों जिनको अधिक से अधिक व्यक्ति चाहते हों। सबके लिये एक्सेप्टेबल आदमी हो तो ज्यादा सहयोग मिलेगा । सबका सहयोग न भी हो तो नीयर टू युनेनिमिटी हो, इसलिये तीन चौथाई या ७५ प्रतिशत का प्रावधान किया है : 3/4ths of the persons who come to vote and elect the Sarpanch; यह प्रावधान वैसे आदर्श की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। बल्कि हमें इस बात का सबूत मिलता है कि मंत्रीजी हमको कहां ले जाना चाहते हैं और राज्य सरकार का क्या मकसद या मंजिल है। एक ही मंजिल है और एक ही उद्देश्य है और वह यह कि फैसला सर्व सम्मति से हो। अधिक से अधिक आदमी सर्व सम्मति से चुने जायं । ७५ प्रतिशत करके सर्व सम्मति में थोड़ा रिलेक्सेशन किया गया है। जहां तक आदर्श का सवाल है यह बहुत सुन्दर है। लेकिन केवल आदर्श पर ही आधारित नहीं होना चाहिये। हमें यह देखना पड़ेगा कि यह आदर्श ऊंचा है, इसमें प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ कितनी आयेंगी। एक एक सीट के लिये हम देखते हैं कि आम तौर से तीन चार केन्डिडेट्स खड़े हो जाते हैं। इस प्रावधान का मतलब यह होगा कि कम से कम ७५ प्रतिशत मत एक ही आदमी को मिलें और बाकी सबको मिलाकर २५ पर्सेन्ट या उससे कम मत मिलें । तब जाकर चुना हुआ घोषित किया जा सकता है, वर्ना नहीं। इस प्रावधान के होते हुए डिफिकल्टी यह आयगी कि कई स्थान पंच और सरपंच के रिक्त रह जायेंगे क्योंकि उनको ७५ पर्सेन्ट वोट नहीं मिलेंगे । इसका मतलब यह होगा कि कोई नहीं चुना जायगा तो वेक्यूम क्रिएट होगा और एक स्थिति यह पैदा होगी कि इसकी पूर्ति के लिये गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी। अव्वल तो नोमिनेशन में काफी टाइम लगेगा और काफी स्थान रिक्त रहेंगे और नोमिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। हम नहीं चाहते कि नोमिनेशन को बढ़ावा मिले। तीसरा नतीजा यह होगा कि चुनावों की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकि काफ़ी स्थान रिक्त रहेंगे, फिर ६ महीनों में इलेक्शन होंगे । इलेक्शन होने पर फिर वही नतीजा रहा तो फिर इलेक्शन होगा। इस तरह से चुनाव की संख्या में वृद्धि होगी। इन तीनों कारणों से ऐसा अंदेशा है कि यह प्रेक्टिकल नहीं मालूम होता। इस आदर्श की प्रशंसा करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में विचार किया जाय और इसका कोई प्रेक्टिकल सोल्यूशन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

निकाला जाय जिससे पंचायतें सफलतापूर्वक चल सकें और साथ ही साथ नीयरनेस टू युनेनिमिटी के प्रिन्सिपल को भी ठेस नहीं पहुंचे। इसके लिये २।३ (दो तिहाई) का बहुमत अच्छा रहेगा। जब पंचायत समिति और जिला परिषद् का बिल पारित हो रहा था तब उसमें भी ऐसा प्रावधान था कि ग्राम विकास का कार्य दो तिहाई के बहुमत से हो। उसमें भी नीयर युनेनिमिटी थी, पहले ३।४ का प्रावधान था लेकिन बाद में दो तिहाई किया गया। यह ऐसा है जो १।२ से अधिक है और तीन चौथाई से कम है, बीच का मीडियम रास्ता है। जिसके आधार पर इस समस्या को हल कर सकते हैं।

सबसे बड़ी बात इसमें है वह सर्विसेज़ की है। पंचायतें करीब ३ हज़ार से अधिक संख्या में हैं। उनके सेक्रेट्रीज़ होते हैं। हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिये अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की है। उनकी सर्विसेज़ का रिक्रूटमेंट, ट्रान्सफर्स, डिसिप्लेनरी एक्शन वगैरह की सारी कार्यवाही वह कमीशन करेगा। लेकिन पंचायतों के सेक्रेट्रीज़ वगैरह की व्यवस्था पंचायतों के ऑफिसर-इन-चार्ज करेंगे। मेरी यह मान्यता है कि सर्विसेज़ के रूल्स और रेगुलेशन भी पंचायत समिति व जिला परिषद् के समान होने चाहिये और वे तभी हो सकते हैं जब कि पंचायतों के स्टाफ को भी उसी लेवल पर लाया जाय और जो कमीशन बना है उसमें इनका भी समावेश हो जाय जिससे पंचायतों के सेक्रेट्रीज़ के दिमाग में जो असंतोष होने वाला है वह दूर हो जायगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह न तो हेस्टी लेजिस्लेशन है और न यह हेस्टी लेजिस्लेशन की परिणाम स्वरूप ही है, इसलिये न तो इसे जनमत के लिये भेजना चाहिये और न प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। जो बातें इन्कोरपोरेट करनी हैं वे अमेंडमेंट के जरिये की जा सकती हैं।

श्री **भीमसेन** (लूनकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक का मूल उद्देश्य न्याय पंचायतें कायम करने और तहसील पंचायतों को खत्म करने का है। खास उद्देश्य यही बताया गया है और इसके साथ साथ कॉसीक्वेन्शियल अमेंडमेंट आये हैं वे पेश किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश बलवन्तराय मेहता कमेटी ने भी की है और जहां तक हिन्दुस्तान का विधान है उसमें भी हम इस प्रिन्सिपल को मान चुके हैं कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ जो गांवों की समस्याएं हैं और गांवों का जैसा वर्तमान ढांचा बना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय लेना है, हालांकि न्याय पंचायतें हिन्दुस्तान के एक ही प्रदेश यू० पी० में हैं। यू० पी० की न्याय पंचायतों का जो अनुभव हमने किया उसके बारे में काफी आशाएं हमारे सामने आ रही हैं। वहां के लोगों को जो अधिकार दिये थे उनका पूरा सदुपयोग किया, उसी नाते हमारे यहां भी न्याय पंचायतें कायम की जा रही हैं। इस मौके पर हम चाहेंगे कि जो न्याय पंचायतें बनाई जा रही हैं, उसके साथ साथ गांव के

(श्री भीमसेन)

लोगों को और न्याय देने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार मिलें । हमारे यहां गांवों के अन्दर छोटे छोटे झगड़े होते हैं, जैसे खेत के रास्ते का झगड़ा है, खसरा और गिरदावरी के कलेक्शन के झगड़े होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे रेवेन्यू के केसेज़ आते हैं, उनके लिए भी न्याय पंचायत के पास अधिकार होने चाहिए । इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जैसा यू० पी० में पंचायत राज कानून है, जिसमें एक स्पेशल प्रोविज़न है, एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन न्याय पंचायतों को दिया गया है, अगर दोनों पार्टी रजामन्द हों, किसी केस का डिसीज़न कराने के लिए, समझौता करने के लिए, तो न्याय पंचायत को जुरिस्डिक्शन होना चाहिए कि न्याय पंचायत उस केस का फैसला कर सके । हालांकि उसमें यह प्रोवीजन रखना चाहिए कि जो ऐसा केस हो, वह अदालत में पेंडिंग नहीं हो, उसके अलावा दोनों पार्टी रजामन्द हों, तो न्याय पंचायत को अधिकार होना चाहिए कि वह फैसला कर सके । इस तरह से, मैं समझता हूं अगर कानून में प्रोवीज़न होगा, तो जैसा कि सिद्धान्त है कि सस्ता न्याय हमें देना चाहिए, वह गांव के लोगों को गांव के स्तर पर मिल सकेगा ।

दूसरा प्रोवीज़न जो इसमें रखा गया है, वह यह है कि न्याय पंचायतों के जो केसेज़ हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आज-कल अदालत के जुरिस्डिक्शन में हैं, वह जुरिस्डिक्शन समाप्त करने जा रहे हैं और न्याय पंचायत को उनके पूरे अधिकार दे रहे हैं । इसके बारे में हमको सतर्कता बरतनी होगी, हमें ऐसा प्रोवीज़न करना होगा, क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, वकील लोग बहुत होशियार होते हैं, वे पंचायत के जुरिस्डिक्शन को खत्म करने के लिए ऐसे एलीगेशन्स और कम्प्लेन्ट्स कर सकते हैं कि पंचायत के जुरिस्डिक्शन के केस को अदालत ले ले । इसलिए इसमें ऐसा प्रोवीज़न हो कि इन कोर्स ऑफ इन्क्वायरी यह समझें कि न्याय पंचायत के जुरिस्डिक्शन का केस है तो ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वह न्याय पंचायत को केस ट्रान्सफर कर दे । इस तरह का प्रोवीज़न होगा, तो मैं समझता हूं कि जो न्याय पंचायत को जो अधिकार दे रहे हैं, वह पूरा उनको मिल जायगा । इसके साथ साथ इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनके बारे में काफी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । जैसे यू० पी० पंचायत राज के कानून में सिक्योरिटी फोर ब्रीच ऑफ पीस का पंचायतों को अधिकार दिया है । जो गांव की शांति को भंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसे अधिकार देने चाहिए पंचायत को कि ऐसे आदमियों की जमानत ली जा सके । तो जो गांव की शांति भंग करने वाले हैं, उनके लिए अधिकार मिल जाय ।

ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनको इस बिल में इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए । हम ऐसा मानते हैं कि इस बिल में जब हम अमेंडमेंट करने जा रहे है तो पूरी तरह छानबीन कर लें, और जो गांव की आवश्यकताएं हैं, उनको देखते हुए इस बिल में प्रावधान कर सकें, इसलिये मेरा यह प्रस्ताव था कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए ताकि गांव समाज में जो दिक्कतें आ रही हैं पंचायतों के सम्बन्ध में, वे दूर की जा सकें ।

(श्री भीमसेन)

एक प्रोवीजन इसमें रखा था जिसमें पंच और सरपंच के इलेक्शन के लिए रखा है कि थ्री फोर्थ मेजोरिटी से इलेक्शन हो। सैद्धान्तिक तौर पर यह अच्छा है कि कोई भी पंच या सरपंच चुना जाय, उसे जनता का ज्यादा से ज्यादा विश्वास प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, किन्तु इसको व्यवहारिक रूप में देखना पड़ेगा। अगर तीन-चार आदमी खड़े हो जाते हैं, उस सूरत में एक आदमी इलेक्ट होता है, उसको बेअर मेजोरिटी मिलना मुश्किल सा हो जाता है। यह व्यवहार में किस तरह आयेगा, यह समझ में नहीं आता। इस बारे में काफी सतर्कता से काम लेना चाहिए कि किस तरह का प्रोवीज़न करना चाहिए।

दूसरे, जो पंचायत की मेम्बरशिप के लिए रोक लगाई है, उसमें यह है कि ३० साल का आदमी होना चाहिए और अच्छी तरह हिन्दी पढ़ने-लिखने वाला होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राजस्थान विधान सभा के सदस्य, या लोक सभा के सदस्य हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या प्रतिबन्ध नहीं है कि वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है; तो मेरी समझ में नहीं आता कि न्याय पंचायत के जो पंच बनते है, सदस्य बनते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन लगानी कैसे चाहिए। न्याय पंचायत का कोई मेम्बर हो, उसमें कॉमन सेन्स होनी चाहिए, वह आदमियों को जानता है, उनमें न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन काफी होती है। इसलिए यह प्रतिबन्ध लगाना कि वह हिन्दी पढ़ा लिखा होना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह अच्छा नहीं है। चेअरमैन के लिए आप प्रतिबन्ध लगा सकते हैं कि चेअरमैन ऐसा होना चाहिए, जो हिन्दी पढ़ लिख सके, एवीडेन्स रिकार्ड कर सके और जजमेंट लिख सके।

इस तरह से बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें तो वहां बैठ कर डिटेल में सब बातों पर विचार कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव यही है और जो माननीय सदस्य ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह आज पंचायत अमेंडमेंट बिल हाउस के सामने आया है, इस बिल के लिए कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा खुद का ऐसा ख्याल था कि राजस्थान सरकार जिला परिषद बिल और पंचायत बिल, इन दोनों को देखते हुए अगर यह बिल बनाती तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि जो जिला परिषद बिल है और पंचायत समिति बिल हैं, उनके अन्दर भी कई कमियां हैं, वे कमियां भी इस पंचायत बिल से जुड़ी हुई रहती है। तो वह और यह बिल आज साथ साथ लाये जाते और पहले सिलेक्ट कमेटी के सामने कुछ दिन पहले भेज दिया जाता और जब ऐसा नहीं किया तो आज जब कि यह बिल हाउस के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सामने आता है तो कुछ माननीय सदस्य कहेंगे ही कि इसको सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। मेरा खुद का विचार इस बिल को देखते हुए, जो कि रखा गया है, यह है कि इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में अगर बिल नहीं जाता है तो इसमें जो कमियां माननीय सदस्य ने हाउस के सामने बताईं उनके लिए माननीय सदस्य ने कहा कि क्लॉज बाई क्लॉज विचार करते समय वे कमियां जरूर मिट जायंगी। परन्तु जब कि क्लॉज बाई क्लॉज के लिए चार दिन का समय रखा है तो वे कमियां कैसे मिट जायगी, वे कमियां मिट सकेंगी या नहीं ? इसका नतीजा यह होगा कि बाद में अमेंडमेंट आयेंगें, संशोधन बिल आयेगा और उसमें कमियां रहा जायंगी। तो जो भी कोई बिल सदन के सामने आवे, तो हाउस के सामने वह बिल रखा जाय, उसके पहले उसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, और सिलेक्ट कमेटी में उसमें अच्छी तरह संशोधन करके उस बिल को हाउस के सामने रखे तो ज्यादा अच्छा हो। जैसे इस बिल के अन्दर रखा है कि थ्री फोर्थ मेजोरिटी से पंच या सरपंच चुना जाय और बाद के अन्दर उसमें यह रखा है कि सरकार उसको नोमीनेट करेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, जो थ्री फोर्थ मेजोरिटी का सवाल है, यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि इसमें यह नहीं किया कि थ्री फोर्थ मेजोरिटी जो कि वोटर लिस्ट है, उसका सरक्यूलेशन किया जायगा....

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या किया जायगा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जांच-पड़ताल।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : वह मन्त्री महोदय को भी मालूम नहीं है और उनको क्या मालूम रहेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जांच पड़ताल की जायगी, वह वोटर लिस्ट पर की जायगी, या जो गांव के अन्दर लोग रहते हैं उनसे की जायगी। एक तो इसमें यह प्रोविजन नहीं किया है। दूसरे, ऐसा है कि अभी शुरू शुरू इसमें बिल में ऐसा करने पर बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आयेगी काफी, गांव के इस तरह के पंचों के और सरपंचों के नाम आयेंगे जिनको कि नोमीनेट किया जावे, इसमें सरकार के सामने दिक्कत आवेगी, इसलिये भी दिक्कत है इस बिल के अन्दर अभी फिलहाल फिफ्टी-फिफ्टी कर दिया जाता तो मेरे कुछ माननीय सदस्य मान भी लेते कि वोटर लिस्ट के फिफ्टी २ वहां रहने वाले होंगे तो उनको पंच-सरपंच चुना जायगा, तो मान लिया जायगा। सरकार ने जो नोमिनेट करने का अधिकार रखा है वह नहीं रखा जाता तो अच्छा रहता।

दूसरा कोऑप्शन का रखा है, वह नहीं रखा जाना चाहिये था। जब आप जाति भेद मिटाना चाहते हैं हिन्दुस्तान के अन्दर और इस हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के विरोध में हूं कि आप कहें कि दो महिलाएं ली जावें, एक हरिजन लिया जावे, क्या महिलाओं को भी हमारी जाति से अलग रखना चाहते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : आपके तो नहीं हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे तो नहीं है।

श्री अर्जनदास : उम्र लिखी होगी, कितनी होगी ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो चुनाव में महिला खड़ी हों, हरिजन खड़ा हो, कोई भी खड़े हों....

श्री उपाध्यक्ष : तो महिलाओं के विरोध में हैं आप ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : विरोध में नहीं हूं महाराज, पर नोमिनेट किया जाता है उसके विरोध में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो महिलाओं के साथ हैं ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनके पीछे हूं साहब, मैं तो, वैसे तो अकेला हूं महाराज। महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, पर उनको उतने ही अधिकार दिये जायं जितने पुरुषों को हैं। आपने नोमिनेट करने का किया है कि अलग चुनी जायं तो महिलाएं बहुत नाराज हो जायेंगी महाराज।

(हंसी)

हरिजनों का किया है तो मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान में तो कम से कम ऐसा न करें; जैसे जिला परिषदों में, पंचायतों में आपने किया और हर एक्ट में ऐसा किया करते हैं, मनुष्य के घर से मैं भी पैदा हुआ और आप भी...

श्री उपाध्यक्ष : सब एक रंग के कहां पैदा हुए, अलग अलग रंग के पैदा हुए।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अलग अलग रंग के है। रंग तो अलग अलग हो सकता है, खून तो एक है। भले ही मेरा शरीर चीर कर देख लीजिये आपके और मेरे शरीर में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

एक माननीय सदस्य : marvellous.

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो कोऑप्शन का प्रोविज़न है, वह भी सरपंच चुना जाय इसके बाद रखा है, ३० वर्ष की उम्र रखी है। सारे हिन्दुस्तान का कानून बनाने के लिये २५ वर्ष की उम्र है, पर न्याय पंचायतों में ३० वर्ष की उम्र रखी गई है। इस तरह की कई खामियां हैं। तीन चार दिन में पास करने का कहते हैं तो शनिवार, रवीवार की तो छुट्टी है महाराज; तो यह कर दिया जाय कि सिलेक्ट कमेटी तीन दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे, वह अमेंडमेंट बिल को अच्छी तरह से देख कर इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करे, इससे काफी सहूलियत माननीय सदस्यों को भी होगी और माननीय उपाध्यक्ष आपको भी होगी। नहीं तो यह होगा कि पंचायतों के अन्दर सब लोग चाहते हैं कि हमारी पंचायतें अच्छी तरह से चलें, पंचायतों का काम अच्छी तरह से हो, दिक्कतें दूर हों। न्याय पंचायतें बनाई हैं, इसके लिये खुशी है और सरकार को कहता हूं कि जमीन देने के लिये पंचायतों के फैसले की अपील पंचायत समिति में रखी है, इसका भी न्याय पंचायत के अन्दर प्रावधान करना चाहिये क्योंकि वहां पंचायत

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

समिति के अन्दर भी कई तरह के झगड़े होते हैं। विकास के काम पंचायत को दिये हैं तो पंचायत एक्ट में गलत दिया है। वह भी प्रोविजन होना चाहिये कि जितने जमीनों के मामले, सिविल और फौजदारी मामले होंगे वे सारे के सारे न्याय पंचायतें सुनेंगी।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मेरी मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना है कि आप इस बिल को इस हाउस में ही पास कर लीजिये, पर एक सिलेक्ट कमेटी बना कर, उस सिलेक्ट कमेटी से सिफारिश करवा कर इसी सेशन में इसको पास करवावें तो ज्यादा अच्छा है।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Ranawat.

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में बिल नं० १४, राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल पर बहस चल रही है। इस पर माननीय सदस्यों के दो तरह के विचार आये हैं। कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस बिल को जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाय और कुछ माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कहा है। पहले विचार वालों से मैं इसलिये सहमत नहीं हूं कि हम लोग माननीय सदस्य, मेरे सिवाय जो यहां इकट्ठे हुए हैं....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आप क्या अमाननीय हैं ?

श्री जयसिंह राणावत : जनता की राय के प्रतीक हैं और खामोख्वाह इस बहाने इस बिल में देर नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा बिल है।

दूसरी राय प्रवर समिति के सुपुर्द इस बिल को किये जाने की है। उससे भी मैं इसलिये सहमत नहीं हूं कि आम जनता के रात-दिन के कामों के लिये सरकार किस तरह कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसका जनता का रोज मर्रा के कामों में सम्पर्क नहीं होता। आज के युग में जनता की सबसे पहली और आवश्यक सीढ़ी ग्राम पंचायतें हैं। वे कितनी कुशल हैं और कितनी नहीं, इसी पर जनता सरकार की कुशलता को आंकती है। तो ऐसे शुभ काम में जितनी देर हुई उतनी ही काफी है और अब देर करना उचित नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो बिल आया है उसको तत्काल, इन्हीं दो चार दिनों में पास कर देना चाहिये।

यहां पर यदि मैं इस बात का भी उल्लेख नहीं करूं तो ठीक नहीं होगा कि दैव योग से जो पोर्टफॉलियाज़ बदले गये हैं और जिन मंत्री महोदय के हाथ में यह विभाग जाना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रसंग से परे है, नहीं उल्लेख करें तो ठीक होगा।

श्री जयसिंह राणावत : जहां जाना चाहिये, वहीं गया है।

मैं थोड़ा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायतों के अन्दर स्टाफ और क्लर्क नियुक्त होते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी नियुक्त कर दिये जाते हैं जो गवर्नमेंट से निष्कासित होते हैं, जिन पर

(श्री जयसिंह राणावत)

गबन वगैरह के केस लगे हुए होते हैं अथवा फिर भी कुछ पंचायतें ऐसे लोगों को रख लेती हैं तो इस प्रकार के पॉवर को रखना या नहीं रखना इस तरह अधिकार पंचायत समिति या जिला परिषद पर जाने चाहिये ताकि इस तरह से उन लोगों की सर्विसेज़ की गारन्टी भी हो जाएगी और उनको पंचों और सरपंचों पर नहीं रख कर इन दोनों संस्थाओं के सुपुर्द करना चाहिये। इस प्रकार के प्रावधान का इसमें अभाव दिखाई दे रहा है। इन लोगों की सर्विसेज की गारन्टी नहीं होने से इनको हमेशा सरपंच जो भी होता है उसका मुखापेक्षी रहना पड़ता है और वे जो कुछ उनसे कराना चाहते हैं, कराया जा सकता है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

इसके अलावा अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी राय जाहिर की कि उम्र और पढ़ाई की जो कैद रखी है वह नहीं होनी चाहिये। उन्होंने इस सभा और लोक सभा का हवाला देते हुए बताया कि हम लोगों के लिये कोई उम्र और पढ़ाई की कैद नहीं है। इसलिये इसमें क्यों किया जावे ? माननीय उपाध्यक्ष, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि हम लोग न्याय के सम्बन्ध में फैसले नहीं करते हैं। न्याय के लिये विधान बनाते हैं यह सही है, लेकिन फिर भी रात दिन के फैसले हमारे यहां पर नहीं होते हैं। इसलिये वह जो उम्र का प्रश्न रखा है वह ठीक है और इसमें कोई हेरफेर करना उचित नहीं समझता।

२.२० म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

(एक माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंच की तरफ से बोलने लगे)

श्री सभापति : श्री लादूराम।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०): सभापति महोदय, आज इस पंचायत विधेयक पर जो जनरल डिबेट शुरू हुई है कि इस बिल को जन-जागरण के लिये भेज दिया जावे या प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, इसके संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो न्याय पंचायतें बनाई जा रही हैं और इसके द्वारा जो पब्लिक को हम न्याय देने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह बिल जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और हमें इसको बहुत ही बारीकी से और विचार से और देख कर पास करना है। इसलिये जरूरी होता है कि जितने भी कानून हाउस द्वारा बनाये जाते हैं और उनका पालन होता है वे हम लोग रात दिन देखते हैं। यह भी बिल पब्लिक की भलाई के लिये, पब्लिक को ज्यादा फायदा मिले और अच्छा और उत्तम न्याय मिले, इन विचारों को लेकर यह जो बिल पेश हुआ है इसके लिये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसमें जो खामियें हैं और उनको देखा जावे तो उन कमियों को निकाल कर ही इस बिल को पारित किया जावे और यह पारित करने के लिये हाउस में भी आया है इसलिये हमारा इस पर अधिकार होता है कि इसकी खामियों को देख कर इस बिल को किस ढंग से अच्छा, मजबूत और पब्लिक को न्याय देने के लिये बनाया जावे, बनावें। माननीय सभापति महोदय, जो बिल हाउस में पेश होता है और उसमें जब देखते हैं अभी एक माननीय सदस्य बोल रहा था....

एक माननीय सदस्य : बोल रहे थे ।

श्री लादूराम सुलाणियां : बोल रहे थे या बोल रहा था, एक ही बात है । उन्होंने महिलाओं और हरिजनों के लिये एक विशेष बात बताई । मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा कि महिलाओं को नोमिनेशन से लिया जाए, किसी हद तक उचित माना जाता है; लेकिन एक हरिजन लिया जावे तो मेरी समझ में नहीं आता कि पब्लिक में वह भी आ जाता है । उसकी ५० या ४० प्रतिशत आबादी होती है । इसलिये जब एक आदमी लिया जाएगा तो वह किस प्रकार अपनी राय दे सकता है ? इसलिये जितने न्याय पंचायतों में सदस्य लिये गये हैं उसमें कम से कम उसकी आबादी ५० प्रतिशत होनी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि आप एक सदस्य लेकर उन ५० प्रतिशत लोगों की जो वहां रहते हैं, के हितों की किस प्रकार से रक्षा करा सकते हैं ? और वह एक सदस्य भी जो लिया जावेगा वह इस ढंग से लिया जावेगा जो उन्हीं लोगों के, बहुमत के लोगों के विचारों के माफ़िक होगा और वह जिन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा उनके विपक्ष में नहीं बोल सकेगा और उनको न्याय नहीं दिला सकेगा । जब वह उन लोगों को न्याय नहीं दिला सकेगा तो ऐसी स्थिति में न्याय पंचायत में एक हरिजन सदस्य का कोई महत्व नहीं रहेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि एक हरिजन सदस्य जो आपने रखा है उसको भी नहीं लिया जावे । जब आपने मनुष्यता के अधिकार बराबर रखे हैं तो जिस प्रकार दूसरे लोग चुनाव लड़ कर आते हैं उसी प्रकार वे भी चुनाव लड़ कर आ जावेंगे । अगर आ जावेंगे तो आ जावेंगे और नहीं आ सकते हैं तो नहीं आवें । यह भेदभाव बरता जाता है, यह उचित नहीं है । यह कहां की मनुष्यता है कि जहां पब्लिक के आधे हिस्से के लोगों के लिये आपने रखा है कि चुनाव में आवे और आधी जनता के लोग हैं उनका एक सदस्य नोमिनेशन से लिया जावे और वह भी इस ढंग से लिया जावे जिससे उनके अधिकारों का सदुपयोग नहीं हो ? इस हिसाब को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई सदस्य रखा जावे तो आधे पंच रखे जावें । जैसे अगर किसी न्याय पंचायत में १० पंच सदस्य हों तो ५ सवरण हों तो ५ अनुसूचित जातियों के हों और वह जो जनगणना के हिसाब से आबादी है उसके हिसाब से हों । यह क्या कि आप यह कहें कि जिस मनुष्य के लिये दो रोटी की भूख हो उसको आप आधी रोटी का टुकड़ा डाल यह कहें कि तुम इसी से संतोष करो तो यह तो, उचित नहीं होगा । वह भूखा कैसे रह सकता है ?

अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि आज हमारे यहां विधान सभा को छोड़ कर जो भी चुनाव के जरिये हैं उनमें हरिजन पंच लिये जाते हैं, उनके प्रति जो रवैया बरता जाता है उसके लिये मुझे दुःख के साथ आपको कहना पड़ता है कि जब से चुनाव होते हैं उसके बाद तीन तीन बैठकें पूरी निकल जाती हैं, फिर भी उसका नोमिनेशन नहीं होता है और वहां पर हरिजन प्रतिनिधि नहीं होने से वहां पर हरिजनों के अधिकारों का हनन होता है । जब नोमिनेशन रखा जाता है तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि जिस समय चेयरमैन का चुनाव हो उसी दिन हरिजन सदस्य परिगणित जाति का भी नोमिनेशन कर दिया जावे और जब तक उसको नोमिनेट नहीं किया जावे उनको न्याय देने का अधि-

(श्री लादूराम मुलाणिया)

कार नहीं देना चाहिये । आज भी मैं आपको बताऊं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में कई बैठकें हो गई हैं लेकिन नहीं लिये गये हैं । अगर इस तरह से उनके अधिकारों का हनन होता जावे तो उनकी रक्षा के लिये सरकार की तरफ से बिल में आना चाहिये, वह नहीं लिया गया है। आपने लिखा है कि एक सदस्य लिया जावे अगर नहीं आवे । एक तरफ तो हम देखते हैं कि हम उनका विकास करें और सब को बराबर के अधिकार दें और दूसरी तरफ आप एक छोटा सा टुकड़ा डाल कर उनके अधिकारों का हनन करें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ये न्याय पंचायतें बनाई जा रही हैं उसमें अगर एक हरिजन किसी वार्ड से आ गया तो आप नोमिनेट नहीं करेंगे और अगर एक भी हरिजन नहीं आता है तो उसके लिये एक को लिया जावेगा । मनुष्य के अधिकार हैं, सबको बराबर हैं, ऐसी स्थिति में जब उसको पूरा प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता है तो इस बिल को मैं यही कहूँगा कि सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना बहुत जरूरी है । वहां पर सिलेक्ट कमेटी इसको क्लॉज बाई क्लॉज देखेगी और फिर हाउस में पेश करेगी इससे हाउस का काफी समय बच सकता है और इसमें जो खामियें रह गई हैं उनको निश्चित रूप से निकाला जा सकता है । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से पहले माननीय मंत्री इसको देखें और जो संशोधन करना चाहें कर सकते हैं । मैंने जो बातें निवेदन की हैं उसको देखते हुए इस पर विचार करें और राजस्थान में करीब १।।। करोड़ की आबादी है उसमें से ५० प्रतिशत जनता हरिजन है और उनका एक सदस्य आपने लिया है । मैं यह कहूँगा कि उनके अधिकारों का हनन होता है। देश के स्वतन्त्र होने के साथ ही देश में जितने नागरिक हैं उनको समान अधिकार दिये हैं, उनका पालन किया जाए। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सदस्य आने के बाद में जो सदस्य आने वाला है उसके मार्ग में रोक लगावें, यह उचित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरजोर शब्दों के साथ इसका विरोध करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे और जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उनका मैं समर्थन करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना बहुत जरूरी है ।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लछमणगढ़): सभापति महोदय, आज इस विधेयक पर बहुत चर्चा हुई है उसको मैंने ध्यान से सुना है। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसको प्रवर समिति में विचार करने के लिए भेज दिया जाय । इसमें मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि साल खत्म होने से पहले ही चुनाव होंगे, इसलिए इस पर इसी सेशन में विचार किया जाय क्योंकि प्रवर समिति में जाने के बाद यह बिल अगले सेशन में आवेगा और उसमें समय लगेगा तो चुनाव नहीं हो पायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कोरम नहीं है ।

श्री किशनसिंह बाटड़ : (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा ....

Page No.69

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(गणपूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

जारी रखिए।

श्री किशनसिंह बाटड़ : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि केन्डीडेट खड़ा होने के लिए ३० वर्ष की उम्र रखी है यह ठीक है क्योंकि न्याय पंचायतों में न्याय की दृष्टि से प्रौढ़ व्यक्ति होने जरूरी हैं। इसलिए विधान सभा में अनुभवी कानून बनाते हैं, फैसला हमारे दिमाग में नहीं था, बैठ कर विचार नहीं कर रहे हैं लेकिन इस उम्र के ही फैसला करनेवाले हों, यह मैं ठीक मानता हूं।

इसके साथ साथ दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने कहा कि सदस्य खड़े हों वे पढ़े-लिखे होने चाहिये। आपसे मैं अर्ज करूंगा कि यह प्रतिबन्ध तो अध्यक्ष के लिए रखिये। सदस्य के लिए यह प्रतिबन्ध रखने में दिक्कतें पड़ती हैं। राजस्थान के गांवों में शिक्षा की कमी है! अभी तो १२ वर्ष से शिक्षा की शुरूआत हुई है, पहले शिक्षा नहीं थी। १८, २० वर्ष के तो आपको पढ़े लिखे मिल जावेंगे, ३० वर्ष के अच्छे हिन्दी पढ़े-लिखे होने चाहिये, यह आपको नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष के लिए तो अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को रखिये सर्टिफिकेट भी उनके लिए लागू करें तो लागू कर दीजिये, लेकिन सदस्य के लिए जो यह प्रतिबन्ध लगाया है इसको आप वापिस ले लीजिये और छोड़ दीजिये। मैं आपको बताऊं कि गांवों में पंचायतों में ऐसे पंच भी हैं जो कुछ नहीं पढ़े-लिखे हैं, अंगुठा टेकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था उन बातों पर वे ठीक ढंग से सोचते हैं और फैसला करते हैं। आप लोगों को हम लोगों की बातों की कद्र करनी चाहिये और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मेरे समर्थन में होंगे कि अध्यक्ष के अलावा सदस्य कम पढ़े-लिखे हों तब भी उनको चुन लिया जाय।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ कठिनाइयां हैं उनको सुनने के बाद इस विधेयक को इसी सेशन में पास कराया जावे। इतना ही मुझे बोलना है। मैंने दो बातें कही हैं उनकी ओर अवश्य ही ध्यान दिया जावेगा।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, इस सदन के समक्ष राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक जो आया है, मैं समझता हूँ वह एक इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसका ताल्लुक किसी एक वर्ग या किसी एक पार्टी से नहीं है बल्कि राजस्थान की आम जनता से जिसका ताल्लुक है और जब राजस्थान में शासन के ढांचे को विकेन्द्रित प्रणाली के द्वारा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और पंचायतें इसकी बुनियाद हैं तो मैं समझता हूँ पंचायतें ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान के प्रशासन पर इस संशोधन विधेयक का प्रभाव पड़ेगा; तो इस पर हमें बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह एक ऐसा विधेयक है जब कि केवल यह कहा जाता है कि यह तो एक संशोधन रखा गया है। मैं समझता हूँ, राजस्थान पंचायत अधिनियम ५३ में बना और ५४ में उसका संशोधन हुआ। उसके पश्चात् ५६ में फिर संशोधन

(श्री शंकरलाल)

हुआ और पंचायत समितियों और जिला परिषद् एक्ट के द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम को भी संशोधित किया गया। इस तरह से पांच-पांच संशोधन ला रहे हैं। पंचायत का कानून तो सरल कानून होना चाहिये और जो एक ऐसा कानून होना चाहिये जो अधिक पेचीदा न हो, जिसको आम ग्रामीण जनता समझ सके। अध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों से इसका ताल्लुक है वास्तव में प्रजातन्त्र के युग में उस जनता की राय जानना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। यहां जब जनमत की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है ? विधेयक का सम्बन्ध ग्रामीण जनता से है, पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से सम्बन्ध है। तो ऐसे विधेयक के लिए जनता की राय जानना चाहिये। एक तरफ कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि हर एक काम ग्राम सभाओं से हों, ग्राम सभाओं से कराये जायें तो फिर ग्राम सभा करके पहले इसके बारे में राय जानी जाय, पंचायतों से राय जानी जाय, पंचायत समितियों से राय जानी जाय, जिला परिषदों से राय जानी जाय जिससे हम एक ऐसा विधेयक बना पायेंगे जिसको बाद में हमें संशोधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो, आज जल्दी में इसको पारित कर देंगे और कल ही राय आने वाली है पंचायतों और पंचायत समितियों की ओर से यह कमी इसमें रह गयी है। इसका राजस्थान पंचायत एक्ट नाम रखा गया और पंचायत समितियां और जिला परिषदों के लिए अलग कानून है, इसकी यह जो स्थिति है वह दोषपूर्ण है। एक तरफ जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लिए अलग कानून है और उस कानून से राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत संशोधन किया गया। यह संशोधन उस कानून में है जो ५६ में बनाया गया है। उस एक्ट में पंचायत एक्ट संशोधित कर दिया, उसका नाम अलग रखा और अब पंचायत का एक्ट संशोधित कर रहे हैं। यह कानून तीन तरफ हो गया। ५३ में कानून बना, जिला परिषद् और पंचायत समितियों का कानून बना और यह संशोधित विधेयक पंचायत एक्ट के लिए आ गया। यदि एक गांव के आदमी को एक्ट देखना होगा पहले वह ५३ में निकले कानून को देखेगा, दूसरे पंचायत समितियों और जिला परिषद के कानून को देखेगा और फिर यह संशोधित विधेयक भी देखेगा और अलग अलग सरकुलर्स गवर्नमेंट के निकलते हैं उनको भी वह देखेगा। पंचायत का कानून तो इतना सरल और आसान होना चाहिये कि आम जनता उसको पढ़ सके, समझ सके और इन सब का एक जगह कॉम्बिनेशन होना चाहिये। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों का एक कानून होना चाहिये। लेकिन अफसोस है कि राजस्थान पंचायतों का कानून अलग बना रहे हैं और पंचायत वह आदमी कन्फ्युजन में पड़ जावेगा, समितियों और जिला परिषदों का अलग है। दुविधा में पड़ जावेगा, ग्रामीण जनता भूल-भूलैया में पड़ जावेगी। यह नहीं समझ सके कि आखिर ये अलग अलग कानून क्यों बनाते हैं ? सारे कानून को मिला कर एक ही कानून बनाना चाहिये जिसमें पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद् के कानून हों। अगर इसको जनमत को प्रसारित करने के

(श्री शंकरलाल)

लिए तैयार नहीं हैं तो वास्तव में प्रवर समिति इसको देखे और इस पर गंभीरता से विचार करे, कन्सोलिडेटेड कानून लाये जिसमें आगे जाकर बार २ संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े और ग्रामीण जनता के लिए इतना सरल कानून हो जिसको ग्रामीण जनता आसानी से समझ सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो कानून बनते हैं उनमें हम देखते हैं कि बार बार संशोधन आते रहते हैं। यह इसलिये होता है कि हम कानून को जल्दी में पास कर देते हैं और आगे जाकर हम देखते हैं उसमें काफी खामियां रह गई हैं। इसलिये कोई भी कानून बनायें उसको पूरी तरह से सोच-विचार कर बनायें ताकि जनता को पर्मानेन्ट राहत मिल सके....

श्री **दलीपसिंह** (बारां) : यह तो ५३ के बाद ६० में ही आया है।

श्री **शंकरलाल** : जिला परिषद् का कानून बना है उसके अन्दर भी हमने अमेन्डमेंट किया है। उसी प्रकार से तहसील के सरपंच हैं वे बड़े जिम्मेदार आदमी हैं वे भी इस बात को समझ नहीं पाते तो वे ग्रामीण जनता को किस प्रकार समझा सकेंगे? हम इस चीज को मान कर चलें कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सफल बनाना है तो हमें जल्दी जल्दी इस प्रकार कानून में परिवर्त्तन नहीं करना चाहिये। जल्दी जल्दी करने पर हो सकता है कि हम भूल कर बैठें। जहां हम इस प्रकार के कानून बना रहे हैं, नियम बनाने जा रहे हैं, सारे कार्य निर्धारित करने जा रहे हैं वैसी हालत में हमें गंभीरतापूर्वक सोच-विचार कर कदम उठाना चाहिये।

यह जो संशोधन बिल लाया गया है उसके उद्देश्य और कारणों को हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि हम तहसील पंचायतों को एबोलिश करना चाहते हैं उसकी जगह रखना चाहते हैं मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा पॉवर देना चाहते हैं और इसीलिये न्याय पंचायतें बना रहे हैं और इसी आधार पर जुडिशियरी को एग्ज़ीक्युटिव से अलग कर रहे हैं। जहां तक जुडिशियरी को एक्ज़ीक्युटिव से अलग करने का सिद्धान्त है गवर्नमेंट अपने कोर्ट्स में, अपने ऑफिसेज़ में इस सिद्धान्त को लागू न करके पहले पहल पंचायतों पर लागू करना चाहती है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं; लेकिन यह देखना पड़ेगा कि जहां हम न्याय पंचायतें बनाना चाहते हैं एक तरफ तो चुनाव करना चाहते हैं दूसरी तरफ चुने हुए व्यक्तियों के फैसले होंगे उनकी अपील होगी मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स के सामने। ये दो विपरीत सिद्धान्तों का मेल करने का सरकार प्रयत्न करती है। एक तरफ तो चुने हुए आदमी न्याय करें और उसकी अपील ऐसे आदमियों के पास जाय जो सरकार द्वारा नोमीनेट किये हुए हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? एक तरफ तो चुने हुए आदमियों को न्याय करने का अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ उनकी अपील सुनने का अधिकार नोमीनेटेड आदमियों को देना चाहते हैं; यह उचित नहीं है। इस तरह से तो यह पता चलता है कि चुने हुए आदमियों को अधिक महत्व देना नहीं चाहते। आप यदि यह मानते हैं कि न्याय करने वाला आदमी चुना हुआ नहीं होना चाहिये तो वैसी हालत में न्याय देने के

(श्री शंकरलाल)

लिये आप क्वालिफाइड और योग्य आदमी रखिये। नहीं तो जहां तक अपील सुनने का प्रावधान है वह आप चुने हुए आदमियों के हाथ में ही रखिये। न्याय पंचायतें आप चुनाव के आधार करना चाहते हैं और उसकी अपील मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स के सामने रखना चाहते हैं जो कि चुने हुए आदमी नहीं हैं। तो यह हमारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ओर कदम है, उसके अन्दर न्याय पंचायतों का रूप जो हमारे सामने आया है उसके अनुसार अपीलेट पॉवर्स को सेन्ट्रलाइज़ किया जा रहा है। पहले यह था कि तहसील पंचायत में अपील होती थी वह चुनी हुई बोडी होती थी, इस तरह से अपीलेट के पॉवर्स चुनी हुई बोडी से हटा कर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स को देना चाहते हैं। इसमें क्या सिद्धान्त है, यह हमारी समझ में नहीं आया। आप तहसील पंचायतों की जगह न्याय पंचायतें कर रहे हों, यह बात नहीं; आप पंचायत के अन्दर ही न्याय व्यवस्था को अलग कर रहे हैं। एक पंचायत विकास का काम करेगी दूसरी न्याय का काम करेगी। इस तरह से न्याय पंचायतें और दूसरी पंचायतें अलग अलग होंगी। लेकिन जहां तहसील पंचायत को अपील सुनने के पॉवर्स थे वह अपील सुनने के पॉवर्स हम मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं। किस प्रकार का यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन है? जनता के हाथ में जो पॉवर दे रखे थे वे हम मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं, इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। आखिर हम न्याय पंचायतें कायम कर रहे हैं उसके लिये एक प्रणाली होगी। जहां तक चुने हुए आदमियों की अपील सुनने का और रीविज़न के पॉवर्स जो सेन्स कोर्ट को रखे हैं वे तो ठीक हैं। चुने हुए आदमी न्याय करें और न्याय पंचायतों का निर्माण चुने हुए आदमियों से करके हम चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले। लेकिन जहां तक अपीलेट पॉवर्स इलेक्टिव बोडी को न देकर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट्स को दिये हैं, इस स्थिति पर हमें विचार करना पड़ेगा।

इसके साथ साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा है। इस कानून के अन्दर यह नई चीज़ आने वाली है। यह भी विकेन्द्रीकरण प्रणाली के विपरीत है। विकेन्द्रीकरण की प्रणाली को मजबूत करने के लिये हम कानून बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटर की प्रणाली मुकर्रर करना चाहते हैं यह तो उस डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति का प्रावधान पहले नहीं था फिर जब सरकार की नीति यह होती है एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करने की तो फिर जनता के हाथ में पॉवर देने की क्या बात रह जाती है? इसको किस प्रकार से डीसेन्ट्रलाइजेशन कह सकते हैं? दूसरी तरफ यह प्रावधान रखा है कि थ्री फोर्थ वोट प्राप्त करने पर ही वह न्याय पंचायत के लिये चुना जा सकेगा। अगर किसी को थ्री फोर्थ वोट प्राप्त नहीं हुए तो फिर क्या होगा, सरकार ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। यदि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाता है तो वह इस बात पर विचार कर सकती है। यह ठीक है कि जो न्याय पंचायतों में चुने जायं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त हो। लेकिन आखिर इस प्रकार के विश्वास प्राप्त करने का तरीका क्या हो। आप कहते हैं कि थ्री फोर्थ वोट्स

(श्री शंकरलाल)

आने चाहिये। अगर नहीं आते हैं तो क्या होगा ? आप उसके लिये कह सकते हैं कि दुबारा चुनाव करवायेंगे अगर दुबारा भी थ्री फोर्थ वोट हासिल नहीं कर सका तो फिर तिबारा करवायेंगे। इस तरह से आप कितनी बार चुनाव कराते जायेंगे ? इस तरह से नहीं होगा तो आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे। आपने पचास प्रतिशत मेजोरिटी को ठीक नहीं समझा आपने यहां मेजोरिटी को तवज्जुह नहीं दी, क्या ? कौनसा ऐसा कानून है ? किस सिद्धान्त के आधार पर आप इसको बना रहे हैं कि थ्री फोर्थ वोट हासिल किये आप उसको न्याय पंचायत में नहीं चुन सकेंगे ? यह ठीक है कि आप यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विश्वास प्राप्त हो। ऐसा नहीं होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देंगे। डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल है कि जहां मेजोरिटी चाहे वह एक ही मत से क्यों न हो उसको मानना चाहिये ! आप इस डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल से यहां से हटते हैं वैसी हालत में आप पंचायत का बिल्कुल खात्मा कर देते हैं और प्रशासक को नियुक्त करते हैं यह अन-डेमोक्रेटिक है। सरकार इस तरह से यह सब अधिकार प्रशासक के हाथ में देना चाहती है। यह भी जो इस कानून के अन्दर है इसका स्पष्टीकरण करना होगा, किस हालत में और किस प्रकार चुनाव होंगे, किस आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा ? प्रशासक हमें रखना चाहिये या नहीं, इस बात पर सिलेक्ट कमेटी में ही अच्छी तरह से विचार हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आया कि जो बहुत सी पंचायतें चार्ज नहीं देतीं, तो इसके लिये जो प्रावधान रखा गया है पहले वाले कानून में और इस संशोधन में भी तो वह एक्स्ट्रीम पर हम करने जा रहे हैं। आपने चुनी हुई बोडी पर कन्ट्रोल करने का अधिकार अपनी नौकरशाही के एक पुरजे कलक्टर के हाथ में दे दिया है। जो पॉवर कि जिला परिषद या पंचायत समिति को होना चाहिये।

आपके इस एक्ट के नाम से पता लगता है कि आप पंचायतों के लिये कानून बना रहे हैं पर जब पॉवर देने का आप का प्रावधान देखते हैं तो इससे इसका मेल नहीं बैठता। जब हमारे यहां जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के अलग अलग कानून हैं तो उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से जनता की समझ में कुछ नहीं बैठता कि यह गोरखधन्धा क्या है। ऐसी दशा में अगर इस लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण आपको सफल बनाना है तो इसकी सफलता के लिये आप सरल और ठोस कानून बनावें जिसे जनता समझ सके। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत सबका कानून मिला कर आप एक कन्सोलिडेटेड कानून बनावें और इसके लिये इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये ताकि जितने कानून जो जिला परिषद और पंचायत समित से सम्बन्ध रखने वाले हैं उन सब को स्टेडी करके ऐसा एक सार्वत्रिक कानून बनाया जा सके जो विधान की तरह से सरल और ठोस हो और जिसे बार बार संशोधित भी करने की आवश्यकता न पड़े। ग्रामीण जनता इससे भ्रम में पड़ती है, जब आप बार बार संशोधन लाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के

(श्री शंकरलाल)

पश्चात् ही इसे सदन में लाया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : Mr. Chairman, I am of the opinion that the Bill that is before the House has been placed by that Hon'ble Member whose general tendency is that he can put his hands into the pockets and rights of others without making them known about his intention. The general tendency of the Hon'ble Member is not really to get done directly what he wants to do.

This Bill is very important from one angle atleast and that is the Hon'ble member feels that the majority for the election of the Panch or Sarpanch be fixed at 3/4 th. Keeping the majority at 3/4 th level, really the Hon'ble Minister thinks that there will be no election hereafter and the Government will itself nominate. This is the indirect way of telling this. This is the indirect way of saying that the Government shall be nominating Panch or Sarpanch. Keeping the majority at 3/4th it shows, I am sure, that in 99.9 cases, there will not be any elections. That is what the Hon'ble Member in-charge of the Bill really means to do. But he feels shy in telling us in open what he proposes to do. If the Hon'ble Member wishes to do it, I will request the House and say that the Government means to keep the power of nomination in their own hands.

Another thing that I observe is that very often, we are going on passing Legislation and we are going on making amendments. The very idea of moving amendments speaks very ill of the matter. I believe the Government should be careful enough to pass law only after they are sure that this is a perfect Law and it will not need any amendments, in the near-future, atleast. The Bill itself says that the Government wants to amend various provisons in the Bill which was passed very recently, If we pass this Bill hastily we will again be falling in the same trap and soon after we will be moving amendments. Therefore, I may say to the Hon'ble Member-in-charge of the Bill not to be hasty enough, not to get this Bill passed as is desired but to send it to the Select Committee which can consider it clause by clause and give you a perfect Law. I will, therefore, request the Hon'ble Member-in-charge of the Bill not to feel shy but to be bold enough to face the Select Committee.

On my enquiry, I was told that of all the Hon'ble Ministers in Rajasthan, probably there is one who has never been able to face the Select Committee before this. I don't know how far it is perfectly right, but I am told that the Hon'ble Member never allowed to face his Bill before the Select Committee. The Hon'ble Member feels shy in facing a Select Committee. But I will beg...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): But he is prepared to face the Assembly.

श्री अर्जुनदास : Here you have got a brute majority in the House.

श्री सभापति : Why do you repeat the word 'shy'?

श्री अर्जुनदास : Facing in the House is some thing different and to face a Select Committee is different. What is needed to face a Select Committee is boldness. I will beg of you to challenge and let us see your boldness. Please accept and do it.

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति : No other member ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर....

(श्री भैरोंसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति : Yes, आप बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं भी पसन्द करूंगा आपको सुनना।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार के विधेयक की कई दिनों से इन्तजार की जा रही थी और इसलिए शायद इस विधेयक का आज स्वागत किया जावे तो मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ; स्वागत इसलिये नहीं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपत्ति के साथ ही स्वीकार करेंगे। अभी यह तो कहें कि खुशी हो गई है। मैंने कहा कि आपने कहा कि मुझे आपत्ति नहीं होगी, कभी तो यह कहा करें कि खुशी होगी।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : आगे कहूंगा। मैंने जो आपका यह स्वागत किया है वह इस पर्पज़ से किया है कि इस बिल से मुझे भी खुशी है। वह खुशी इसलिए नहीं कि बिल आपने पेश किया है बल्कि खुशी इसलिए है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बात को सरकार के समक्ष रखा था कि जो अधिकार पंचायतों को सरकार दे रही है उनका सदुपयोग ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से हो, इसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिये; और उस व्यवस्था की ओर इस बिल के द्वारा सरकार ने अपनी मन्शा प्रकट की है। सबसे पहले, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह कानून हम विधान सभा में या लोक सभा में बैठनेवाले सदस्यों के लिए नहीं बना रहे हैं यह कानून जो बार एसोसियेशन में बैठने वाले वकील हैं उनके लिए नहीं बनाया जा रहा है या उन लोगों के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा है जो कि केवल मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट या लॉ ग्रेजुएट्स हैं बल्कि यह कानून उस जनता के लिए बनाया जा रहा है

(श्री भैरोंसिंह)

जिसका बहुमत है और बहुमत आज राजस्थान में बदकिस्मती से उन लोगों का है जो अशिक्षित हैं। कानून बनाते हैं हम। उनके लिए तो आवश्यकता इस बात की होती है कि हम इस बात का भी प्रयत्न करें कि कानून इतना स्पष्ट होना चाहिये कि साधारण से साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी उस कानून की मोटी से मोटी अड़चन को समझ सकें। डीसेन्ट्रेलाइजेशन का जहां हमने सिद्धान्त स्वीकार किया है उस सिद्धान्त का उचित उपयोग करना यह है कि जो लोगों को सत्ता मिली है वह सत्ता क्या है, इसको पहचान लें और उस सिद्धान्त को किस प्रकार से एक्सरसाइज़ करना चाहिये, इसका ज्ञान उनको मिले जाये। अब सबसे पहले उनको यह ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसकी क्या व्यवस्था हमने कर रखी है? हमने एक तो पंचायत का कानून बना रखा है 'राजस्थान पंचायत अधिनियम', वह कानून बन गया और उस कानून में भी यदि मैं गलत नहीं हूं तो लगभग २५८ धारायें हैं। ज्यादा हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं :...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पंचायत अधिनियम में ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें २५८ धारायें हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ६२ या ६४ धारायें हैं।

श्री भैरोंसिंह : खैर कम होंगी। लेकिन वह अलग से अपना कानून है। उसके साथ साथ हमने जिला बोर्ड का कानून बनाया था, वह कानून भंग हो गया। तहसील पंचायत के सम्बन्ध को लेकर एक अलग संशोधन पेश किया; एक संशोधन नहीं, बल्कि अलग से कानून बना। तो आज राजस्थान में दो कानून हो गए। एक तो 'राजस्थान पंचायत अधिनियम' और दूसरा कानून 'राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम', यह दो कानून बन गये। अब दूसरे कानून को पास हुए कुछ महीने हुए और यह तीसरा संशोधन पेश कर दिया। सबसे पहले इस कानून की मन्शा को समझने के लिए यदि एक व्यक्ति किसी प्रकार का प्रयत्न करता है तो सबसे पहले उसको पंचायत का एक्ट अप-टू-डेट अमेंडेड खरीदना पड़ेगा। आज यदि पंचायत का कानून बाजार में जाकर खरीदें तो अप-टू-डेट अमेंडेड नहीं मिलेगा। प्रेस में जायेंगे तो केवल पंचायत एक्ट मिलेगा और उसके साथ ही साथ जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी जो अलग अलग कॉपीज़ बनी हुई हैं वे कॉपीज़ मिल जायेंगी, इनकी अलग से कॉपियां खरीदनी पड़ेंगी। अब उसके बाद में पंचायत समिति का कानून बना। इसमें नई चीज़ है सो है लेकिन जितनी पंचायत एक्ट में धारायें हैं उन धाराओं में तरमीम करके नये कानून की शक्ल दी है। यदि इस एक्ट को कोई व्यक्ति समझना चाहे तो एक के बिना दूसरे की स्टेडी नहीं की जा सकती। दोनों की ही कम्पेरेटिव स्टेडी करने वाला व्यक्ति उस सारे कानून को समझ सकता है कि राज्य सरकार ने कौन सा कानून बनाया है और उसका किस प्रकार से अमल होगा और अब तीसरा

(श्री भैरोसिंह)

संशोधन कर दिया और संशोधन भी छोटा मोटा नहीं; मैं ऐसा समझता हूँ कि कई बातों को लेकर जो पंचायत के कानून में पहले प्रावधान रखा था बिल्कुल उनके विपरीत दूसरे प्रावधान रख कर नई व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो जहां पंचायत एक्ट में इस प्रकार का संशोधन लाने की व्यवस्था कर रहे हैं उस संशोधन के द्वारा केवल एक पंचायत एक्ट में ही संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि इस संशोधित बिल के द्वारा दोनों अधिनियमों का संशोधन पंचायत एक्ट और तहसील पंचायत का एक्ट बना हुआ है उसमें यह संशोधन होगा। सभापति महोदय, यदि मैं यह कहूं कि किसी प्रकार से भी यह उचित चीज नहीं है....

श्री **हरिभाऊ उपाध्याय** : तहसील पंचायत का कोई एक्ट नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह** : मेरा मतलब पंचायत एक्ट और पंचायत समिति एक्ट से है। इन दोनों में आप इस संशोधन द्वारा संशोधन कर रहे हैं। ऐसा यह प्रस्तावित संशोधन विधेयक है। अब परिस्थिति आती है कानून दो में हम संशोधन करें। मैं समझता हूँ कि यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया को सामने रखा जाये, पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के द्वारा कन्वेन्शन्स को सामने रखा जाये और उस कन्वेन्शन के द्वारा प्रणाली को एडॉप्ट किया जाये तो किसी प्रकार भी यह उचित प्रणाली नहीं होगी। पर कानून एक बनायें और उसके द्वारा संशोधन दो में करें यह कहां तक उचित है ? अब उसके बाद जहां तक पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस या पार्लियामेंटरी कन्वेन्शन्स का क्वेश्चन आता है मैं सभापति महोदय, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल अनुचित है और इसको किसी प्रकार से सदन यदि प्रोत्साहन देगा तो हम गलत परम्पराओं का निर्माण करेंगे और इसका प्रभाव दोनों के ऊपर समान रूप से पड़ेगा। यहां, जैसा मैंने पहले कहा था कि कानून जरा स्पष्ट होना चाहिए। अब स्पष्ट है या नहीं, इस सम्बन्ध में देखना चाहें तो जैसा मैंने निवेदन किया कि कानून ३ बन गए और तीनों कानून ऐसे बन गए कि एक कानून पंचायत एक्ट का बन गया, दूसरा पंचायत समिति का कानून बन गया और तीसरा संशोधन विधेयक। आज कोई भी साधारण श्रेणी का व्यक्ति इन तीनों चीजों की कम्पेरेटिव स्टडी नहीं करेगा तब तक राजस्थान में डीसेन्ट्रलाइजेशन क्या हुआ है इसका ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे बाहर से आनेवाला कोई राष्ट्रपति इसकी तारीफ कर दे, चाहे अच्छे-अच्छे समाचारपत्रों में राजस्थान के डीसेन्ट्रलाइजेशन की तारीफ कर दी जाये, चाहे मुख्य मन्त्रीजी राजस्थान को लेकर समूचे देश में घूम जायें कि मैंने राजस्थान में सबसे पहले डीसेन्ट्रलाइजेशन की शुरूआत की है, तो मैं भी कह सकता हूं यदि राजस्थान के किसी ग्रामीण से पूछा जाये कि इससे उनको किस प्रकार की सत्ता मिली है और उसके लिए क्या प्रावधान है और किस प्रकार से उनका उपभोग कर सकते हैं तो वह ज्यादा से ज्यादा कह सकता है कि जो डेवलपमेंट फण्ड्स पहले डेवलपमेंट कमेटी के मार्फत देते थे आज वह डाइरेक्ट देते हैं और इसके अलावा बाकी इस कानून में क्या लिखा है, हमें ज्ञान नहीं है; ऐसा आज एक ग्रामीण कहेगा। आज

(श्री भैरोंसिंह)

कई पंचायत समितियों के प्रधान इतने काबिल भी हैं कि इस कानून को वे ठीक तरह से इन्टरप्रेट भी कर सकते हैं लेकिन अधिकांश लोग जिनसे इसका सम्बन्ध है उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे इस प्रकार की कानूनी भाषा को समझ कर तीनों की कम्परेटिव स्टडी करके क्या-क्या पॉवर्स मिली हैं, इसका वे सही प्रकार से अन्दाजा लगा सकें। सभापति महोदय, हमारी सरकार कानून बनाती है, सदन में आश्वासन भी देती है और अपने विभागों से लिखित-रूप में सरकुलर्स भी जारी करती है कि हिन्दी में काम किया जाये। माननीय मन्त्री महोदय जिनको मैं नहीं कह सकता कि उनमें इस लैंग्वेज की किसी प्रकार की विद्वत्ता है लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस भाषा में लिखे हुए कानून सही ढंग से माननीय मंत्री महोदय भी इन्टरप्रेट नहीं कर सकते। इसका मैं एक सबूत भी बता दूं। एक प्रश्न के समय में एक धारा जिसका अर्थ कुछ और था और सरकारी अधिकारियों ने दूसरा बता दिया और जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है उसका समुचित उत्तर इस प्रकार का है जो कि वास्तव में गलत है। तो जो आपके सामने दिक्कत आ रही है कि आप स्वयं ही अंग्रेजी में बना हुआ कानून ठीक ढंग से इन्टरप्रेट नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साधारण आदमी इसको ठीक तरह से इन्टरप्रेट करके इसमें जितने भी आनेवाले कॉम्पलीकेशन्स हैं वह उनसे बच जायें ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांधीवादी होने के नाते, हिन्दी प्रेमी होने के नाते, कवि होने के नाते और साहित्यिक होने के नाते आपको हिन्दी से प्रेम है और आपके द्वारा अंग्रेजी का कानून जिसमें आप अपने आपको पारंगत नहीं मानते हैं साधारण लोगों के लिए वह कानून आता है तो मैं समझता हूं कि कोई स्वामी इस कानून में इन्टरप्रिटेशन में कर देंगे जिसका असर ग्रामीण जनता के ऊपर पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में सही बातें बैठाने का प्रयत्न करूंगा तो पीछे से दूसरे मन्त्री महोदय, शायद उनको दूसरे ढंग से डिस्टर्ब करके फिर, से उनका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपने उनकी (राजस्व मन्त्री की) तारीफ नहीं की इसलिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : आपको सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन मैं समझता हूं कि आप मन्त्री महोदय को सही समझाने की बात कह कर उनकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा कम कर रहे हैं। वह ऐसा नहीं है कि आपको....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपके लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आपकी राय को कर सकें....

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें मेरे बहाने से कह दें, वह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा कि आप अपने आपको योग्य मान कर उनको समझाने की बात कहें।

सभापति महोदय, इसलिए....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए बुजुर्गों के सामने कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा था कि ऐसी स्थिति के अन्दर, सभापति महोदय, इस कानून का एक रूप होकर पंचायत अधिनियम, तहसील पंचायत और जिला परिषद का कानून और यह संशोधन विधेयक, इन तीनों का एक रूप होकर नये सिरे से वह कानून विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता तो हम किसी प्रकार की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा कानून बना कर हम सारे नागरिकों के सामने रख देते और कह दिया जाता कि इसमें १२०, १३० या १५० कुल धाराएं हैं। इन धाराओं में इस प्रकार के नियम बनाये हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लो ताकि इस बात का पता लग जाय कि कानून क्या है, सरकार क्या व्यवस्था चाहती है और उस व्यवस्था को लाने के लिए हमें किस प्रकार के कार्य करने हैं -? आज वह मुश्किल है। सरकार से केवल यह निवेदन करूंगा कि पुराने कानून के अनुसार ६१ तक नये इलेक्शन कराने के लिए कमिटेड है। ६१ से पहले कोई यदि चुनाव होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जहां तक सरकार जल्दी ही चुनावों के बारे में आतुर हो तो उस आतुरता के कारण यदि सरकार जल्दी ही चुनाव कराना चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह कानून हमने पेश किया है। हमारे सामने लॉ डिपार्टमेंट है और किन्हीं माननीय सदस्यों का जो कि एक्सपर्ट हैं उनका यदि सरकार सहयोग चाहे तो सहयोग देने को तैयार हैं। उस स्थिति में २, ३ और ४ दिन के अन्दर पूरा कम्प्रिहेन्सिव बिल ड्राफ्ट किया जाकर यदि विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय और उस पर सारा विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वास्तविक रूप में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन क्या है, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जनता की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसका एक स्पष्ट रूप से खाका हम घर घर में, राजस्थान के प्रत्येक ग्रामीण के मस्तिष्क के अन्दर बैठा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय यदि इस बिल को वापिस लेकर कॉम्प्रिहेन्सिव बिल सदन में पेश करने की चर्चा करें तो सदन उस प्रकार की कार्यवाही का निश्चित रूप से स्वागत करेगा।

अब केवल यह प्रश्न आता है कि हमें केवल इस सेशन के अन्दर ही यह कानून बनाना है और आगे सेशन बुलाने की व्यवस्था कब होगी और किस प्रकार से सारी व्यवस्था हो सकती है तो मैं कह सकता हूँ कि यदि सरकार बिल्कुल इस मामले को लेकर चले तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कानून बना सकना मुश्किल चीज़ नहीं समझता। इस सेशन में, इस सत्र में इस प्रकार का कानून विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता और सदन में कह कर कानून को पारित नहीं किया जा सकता, यदि इस प्रकार की कोई अड़चन पैदा होती है आगे। तो सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस प्रकार का आश्वासन दिला सकता हूं कि जल्दी से जल्दी कानून

(श्री भैरोंसिंह)

को पारित करवाने में जितना सहयोग चाहेंगे उतना निश्चित रूप से मिलेगा।

अब इन बातों के आगे मुझे सदन का ध्यान इस बिल की उन महत्वपूर्ण बातों की ओर भी दिलाना है जिनका मैंने स्वागत किया है। सभापति महोदय मुझे अच्छी तरह से याद है और माननीय मन्त्री महोदय जो पहले थे इस विभाग के उनको भी याद होगा कि इस सदन के अन्दर केवल मैंने ही नहीं बल्कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि न्याय पंचायतें अलग से कायम की जायं। अब यदि यह कहा जाय कि सरकार ने पिछले अनुभव के कारणों से इस प्रकार का कोई डिसीज़न लिया है तो मैं उसको कोई बुरा नहीं मानता कि सरकार ने अनुभव के आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया होगा। लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं कि जिन बातों का यदि राजस्थान में अनुभव नहीं मिला और राजस्थान के बाहर किसी दूसरे राज्य में हमको इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ है तो उस अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिये। जिस समय यह कानून आया था उस समय संशोधन पेश किया गया था और यू. पी. का हवाला दिया गया था कि वहां पर न्याय पंचायतें किस प्रकार से काम कर रही हैं और न्याय पंचायतों को कितने और किस प्रकार के अधिकार हैं, उन अधिकारों का किस प्रकार से हमारे यहां प्रयोग किया जा सकता है, ये सारी बातें सदन के सामने प्रस्तुत की गई थीं। लेकिन उस समय सरकार ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया। आज सरकार ने सारी चीजों का अपने आप में अनुभव करके उस चीज को स्वीकार किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो तरीका बनाया है न्याय पंचायतों के गठन का कि किस प्रकार से उनका गठन होगा, गठन के अन्दर रोटेशन का सिस्टम इसमें रखा है और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की है कि न्याय पंचायतों में कौन कौन, किस प्रकार से सदस्य हो सकते हैं, उसमें लिखा है :

"यदि वह धारावाहिक, स्वच्छन्द और और सुपाठ्य रूप से हिन्दी-पढ़ने लिखने में असमर्थ हो, या"

सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय भी जानते होंगे, सदन के कई माननीय सदस्य भी इस बात से परिचित होंगे कि इन लाइन्स का किस प्रकार से इन्टरप्रिटेशन होता है। मैंने कई हाई कोर्ट के केसेज़ पढ़े हैं। म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर जहां पर कई लोगों के इसीलिए पर्चे खारिज़ कर दिये गये थे कि वे हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ लिख नहीं सकते थे, और पंचायतों में भी इस प्रकार के कई पंचों के जो कोर्ट्स में गये थे उनके जजमेंट पढ़े हैं और जजमेंट पढ़ने के बाद में फिर आज इस प्रकार के शब्द आये हैं, 'धाराबाहिक, स्वच्छन्द और सुपाठ्य' तो मैं समझ नहीं पाया हूँ कि सरकार किस प्रकार से इनको इन्टरप्रेट करेगी। इसमें लिखा है कि "यदि वह धारावाहिक, स्वच्छन्द, और सुपाठ्य रूप से हिन्दी पढ़ने लिखने में असमर्थ हो," तो असमर्थता का बेरोमीटर क्या होगा? यह बेरोमीटर नहीं हो सकता कि किसी के सामने मोटे अक्षरों में लिखी हुई किताब रख दी गई या एक अखबार रख दिया गया

(श्री भैरोंसिंह)

और अखबार की ४ लाइनें पढ़ लीं या १० लाइनें पढ़ ली। अब उस स्थिति के अन्दर समझ नहीं पाया। 'स्वच्छन्द रूप' से शायद सरकार का मतलब यह होगा कि किसी की बिना सहायता से....

एक माननीय सदस्य : फ्लुएन्टली लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : 'फ्लुएन्टली' भी लिया जाय तो किस सीमा तक पढ़ सकता है ? किस सीमा तक, इसकी अब क्या परिभाषा की है ? उसकी किस प्रकार से सीमा रहेगी ? कोई भी आदमी अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज करेगा और वह अपनी इन्टेलीजेन्स के बेसिस पर देखेगा कि वह कितना फ्लुएन्टली पढ़ सकता है। कई ग्रेजुएट या एम.ए. फ्लुएन्टली नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एम. ए. की क्वालिफिकेशन है इसलिए नहीं हटा सकते हैं। वह डिग्री होल्डर है, किसी स्कूल का किसी प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए डिफिकल्टी है जिनके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है। उन लोगों का एसेसमेंट करना है तो उन लोगों का एसेसमेंट किस प्रकार से होगा ? वे फ्लुएन्टली बोल सकते हैं या नहीं और उच्चारण ठीक प्रकार से कर सकते हैं या नहीं, उसकी जांच कौन करेगा ? इस चीज की जांच करेगा रिटर्निंग ऑफिसर। जांच करेगा वह अधिकारी जिसको इस प्रकार का अधिकार देंगे। वह अधिकारी अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करता है। वह इस सम्बन्ध में में जो भी उचित समझेगा वह निर्णय लेगा। तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि इस प्रकार का निर्णय लेने के अन्दर अब तक का जो अनुभव आया है उस अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां पर ,एडमिनिस्ट्रेशन का दृष्टिकोण नहीं रहता है, पब्लिक के हित का दृष्टिकोण नहीं होता है बल्कि वहां पर दबाव का दृष्टिकोण रखा जाता है कि किस अधिकारी कितनी पर किसका दबाव है, किस पर किस प्रकार का दबाव डाल कर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सब कुछ डिपेन्ड करता है उस पर। किसी निर्वाचन अधिकारी ने चूंकि इसमें लिखा है कि "धारावाहिक, स्वच्छन्द और सुपाठ्य रूप से पढ़ने में असमर्थ हो," उसके हाथ में संस्कृत का श्लोक दे दिया और कहा कि पढ़ो और चूंकि उसका फ्लुएन्टलो उच्चारण नहीं कर सका तो कह दिया कि पर्चा रिजेक्ट करते हैं। न्याय पंचायत के लिए वह खड़ा नहीं हो सकता। उस स्थिति में मैं यह चाहूंगा कि कि इस कानून को जितना सुविधाजनक बनाया जाय, जितना सीधा बनाया जाय, उतना बनाना चाहिए। यदि हिन्दी में किसी बात को करनी है तो कम से कम मिनिमम हिन्दी की क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए और ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता हो तो मेग्जीमम क्वालिफिकेशन रखी जाय। आज राजस्थान के कई ग्रामीण न्याय पंचायत में जाकर काम करना चाहेंगे। आप ऐसा समझते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिये तो हम यह मानते हैं कि जो सर्टिफिकेट उनके पास से प्राप्त हुआ है चाहे पहली कक्षा का हो, चाहे दूसरी कक्षा का हो, चाहे तीसरी कक्षा या चौथी कक्षा का हो, उसको इस कारण से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह फ्ल्युएन्टली पढ़ नहीं सकता। तो फ्लुएन्टली कोई न भी पढ़ सके तो भी

Page No.82

(श्री भैरोंसिंह)

सर्टिफिकेट काफी है, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये थी।

अब आयेंगे कैसे ? इसके लिये रोटेशन का सिस्टम एक बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है। एक सिद्धान्त हमारे सामने आता है और वह यह कि इलेक्टिव बॉडीज़ को न्याय पंचायत का अधिकार देना चाहिये या नहीं ? सभापति महोदय हमें इस विषय को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो वह जो अब तक हमने अनुभव किया है और दूसरा वह जिसके बारे में आगे चल कर अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अब तक तहसील पंचायतें इलेक्टेड बॉडीज़ थीं। उनको हमने कुछ समय के लिये रखा था। अब तहसील पंचायतें भंग हो जायेंगी और उनके स्थान पर जुडिशियल पंचायतें होंगी और उनके सारे केसेज़ गांवों के और जुडिशियल पंचायत सर्कल के उनको रेफर किये जायेंगे। यहां यदि हमने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि इसमें इलेक्टेड पर्सनल होंगे तो फिर हमने वहीं सिद्धान्त स्वीकार किया जिसके कारण हमने मौजूदा पंचायतों को अधिकार न देकर जुडिशियल पंचायतों का निर्माण कर रहे हैं। मैं, सभापति महोदय, एक बात महसूस कराना चाहूंगा और वह दुविधाजनक है। आज के समय में न्याय किस प्रकार से किया जाय, इसकी ट्रेनिंग देनी होगी। न्याय देने वालों की जिम्मेदारी क्या है, इसको महसूस कराने के लिये ट्रेनिंग देनी होगी। आज कोई समझे कि पढ़ा-लिखा हूं इसलिये मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति कानून का सही इन्टरप्रिटेशन करके न्याय प्रदान कर सकेगा। हो सकता है कि मेरी भूल के कारण या मेरी ना समझी के कारण लोगों का घर उजाड़ सकता हूं, एक परिवार को बर्बाद कर सकता हूं। इस स्थिति में यह मान कर चलना चाहिये कि जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है, जो सत्ता मिल रही है उस सत्ता का उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिये। इसके लिये हमें निश्चित व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे न्याय देने वाला अंग किसी प्रकार से मिस-डाइरेक्ट न हो। अब हमने रोटेशन के जरिये यह अधिकार दिया कि एक एक पंचायत से एक एक आदमी निकलेगा वे और मिल कर कान्स्टिट्यूट करेंगे न्याय पंचायत को और आपने यह प्रावधान रखा है कि वह अपने गांव के काम में भाग नहीं लेगा, इसका प्रिकॉशन रखा है। लेकिन ये न्याय प्रदान कर सकते हैं या नहीं ? अब यह कहा जाय कि ग्राम पंचायत का पंच न्याय पंचायत में जाता है तो हमने यह कहा कि वह अपने गांव से संबंधित मामलों में राय नहीं दे। एक गांव का ग्रामीण जुडिशियल पंचायत में जायेगा तो वह अपने गांव की भलाई के काम में भाग नहीं लेगा तो ग्रामीणों को न्याय मिलेगा; इस सिद्धान्त को हमने लिया है उसका रिटर्न क्या होगा ? जो आगे आने की तैयारी कर रहे हैं मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अभी जो जुडिशियल पंचायतें बन रही हैं उनके द्वारा न्याय महंगा मिलेगा। हो सकता है कि इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड के लोगों के द्वारा न्याय मिलेगा लेकिन उनको ज्ञान दिलावें तो यह व्यवस्था उचित हो सकती है। मैं यह कहूँ कि यदि सरकार अपने हाथ में सत्ता न लेकर जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में दे, जुडिशियल पंचायतों में एक्सपीरियन्स्ड आदमियों को नोमिनेट करदे तो उनका जुडि-

(श्री भैरोंसिंह)

शियल एक्सपीरियेन्स बढ़ सके और वे कानून का ठीक तरह से इन्टरप्रिटेशन कर सकें तो यह सही रास्ता होगा। एक इलेक्टेड बॉडी के हाथ से निकाल कर दूसरी के हाथ में सत्ता दें तो उससे ग्रामीणों का भला नहीं होगा। इतना जरूर है कि पहलेवाले तरीके से यह इम्प्रूव्ड तरीका है। इसमें एक्सपीरियेन्स्ड लोगों को लाकर उनके अनुभव को काम में लेना चाहिये। अब आगे जिस समय संशोधन पेश करने का अवसर होगा उस समय काफी चर्चा की जा सकती है।

आगे कुछ यह व्यवस्था रखी है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि चुनाव में तीन-चौथाई (३।४) मत जब तक प्राप्त नहीं होंगे तब तक पंच चुना हुआ नहीं समझा जायेगा। मैं, सभापति महोदय, जहां तक यह स्थिति है और इसके पीछे एक सिद्धान्त है, मैं उस सिद्धान्त से सहमत हूँ। लेकिन आखिर हम किसी को सत्ता दे रहे हैं ग्राम समाज की रचना करने के लिये और ग्राम में जितनी बाधाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं उनको रोकने के लिये तो यह बात समझ में आ सकती है लेकिन सम्पूर्ण ग्राम का किसी व्यक्ति में विश्वास प्राप्त हो जिसके हाथ में सत्ता दे रहे हैं, यह संभव नहीं है। जैसा कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसके पीछे एक रहस्य है। यदि वह रहस्य है, और वास्तव में है। आप कहें या न कहें लेकिन छिपा हुआ है। जो रहस्य होता है उसको स्वीकार करलें तो वह रहस्य नहीं रहता। सरकार की चाल के रूप में आ जाता है इसलिये यह रहस्य रहस्य ही रहेगा और घटनाएं घटती रहेंगी। सभापति महोदय, आज जहां नोमिनेट करने का प्रश्न आता है, सरकार ने कह दिया कि जिसको तीन-चौथाई मत नहीं मिलेंगे वह चुना हुआ नहीं समझा जायेगा। सिद्धान्त अच्छा लगता है। चुना हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? फिर होगा यह कि सरकार की तरफ से मनोनीत कर दिया जायगा। मैं समझता हूं, इस स्थिति में हम जिस विधान की क्षमता को लेकर किसी बात पर विचार करने की चेष्टा करते हैं, सरकार यदि यह चाहती है कि तीन-चौथाई से इलेक्शन नहीं होगा तो दुबारा चुनाव होगा और दुबारा चुनाव में भी नहीं आता है तो बहुमत से चुना हुआ समझा जायगा, इसमें सरकार अपना हस्तक्षेप क्यों करना चाहती है? यदि सरकार ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो तीन-चौथाई मतों से इलेक्शन होना कठिन हो जायगा। आज गांवों में इलेक्शन को लेकर असंतोष का वातावरण बन गया है। ऐसी स्थिति में किसी को तीन-चौथाई लोगों का कॉन्फीडेन्स मिल जाय, यह संभव नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइये यह संभव नहीं है कि किसी को पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वयं मंत्रीजी हटून्डी चले जायं और कहें कि जितनी अध्यापिकाएं हैं वे एक मत से वोट दें और सीक्रेट बेलट से मत दें तो शायद मंत्रीजी को हारना पड़ जाय। आज ग्रामीणों के लिये यह व्यवस्था करें कि कोई आदमी ऐसा मिल जाय जिसमें संपूर्ण लोगों का विश्वास हो तो यह असंभव है। इस प्रकार की धारा रखी जाय और लोगों को मौका दिया जाय कि लोग इस प्रकार से बहुमत से आयेंगे वे चुने हुए समझे जायेंगे। सर्व सम्मति की हम नयी चीज इम्पोज कर सकते हैं जिससे लाभ हो, नुकसान नहीं लेकिन इसमें निहित बात यह है

(श्री भैरोंसिंह)

कि सरकार को अनुचित लाभ उठाना है तो उसको यह मौका देने के लिये सदन तैयार नहीं होगा। सरकार को यह कहना चाहिये कि यदि तीन-चौथाई से चुनाव होता है और इतने मतों से किसी का चुनाव नहीं होता है तो यह अधिकार होना चाहिये कि बहुमत से चुनाव करदे। इस स्थिति में हमें दिक्कत नहीं होगी और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। एक आदमी के पक्ष में ८ आदमी हैं और उसके विपक्ष में ४ हैं। ८ आदमियोंवाला पक्ष यह नहीं चाहता कि सरकार किसी को नामजद कर दे क्योंकि उसके साथ ९ आदमी नहीं हुए इसलिये सरकार कह दे कि ऐसा नहीं होगा; चुने हुए व्यक्तियों पर नामजद को थोप दिया जायगा। इस तरह से नोमिनेटेड आदमी को थोप कर सारे प्रजातंत्र और डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन को जो व्यवस्था है उसको अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करेंगे तो यह सर्वथा अनुचित होगा। अगर सरकार की मंशा इस प्रकार की है, यदि शब्दों में नहीं है और बात कह कर बचना चाहते हैं तो मुझे किसी प्रकार का संतोष नहीं होगा। सरकार को स्पष्ट रूप से कानून में व्यवस्था करनी होगी जिससे लोगों में कॉन्फीडेन्स का निर्माण किया जा सके, न कि सत्ता को वापिस लेने की मंशा है। यह स्पष्ट तभी होगा जब कि इसका उचित समाधान कर दिया जायगा जिससे शक न हो सके।

३.२० म० प०

सभापति महोदय, अंत में मैं इस कानून में एक जो सबसे मोटा अधिकार सरकार ने लिया है, पंचायत को डिज़ोल्व करने का और वह अधिकार लेने के बाद यदि मैं यह कहूं कि सरकार ने पूरा डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन या इसी प्रकार की व्यवस्था करने की जितनी भी अब तक चर्चायें की हैं उसके विपरीत आचरण करने की नीति अपनाई है। इस कानून में सरकार ने व्यवस्था की है कि यदि कोई पंचायत ठीक प्रकार से काम नहीं करे, क्लॉज़ ७३ में उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है :

"यदि किसी भी समय राज्य सरकार आश्वस्त हो जाय कि पंचायत, इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके द्वारा या तत्समय प्रभावशील किसी अन्य कानून के अन्तर्गत या उसके द्वारा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों के निर्वाह के लिए सक्षम नहीं है या उनके निर्वाह में निरन्तर त्रुटियां करती हैं, अथवा तदन्तर्गत अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, अथवा राज्य सरकार या पंचायत समितियों, पंचायतों के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों की निरन्तर अवहेलना करती है, तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा के द्वारा :

(क) उक्त पंचायत का, ऐसी तारीख से जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, विघटन कर सकेगी, या

(ख) उक्त पंचायत का ऐसी अवधि के लिए जो उक्तरूपेण निर्दिष्ट की जाय, अधिक्रमण कर सकेगी।"

कानून की भाषा जो इतनी जटिल है वह तो है ही लेकिन इसके पीछे भावना है

(श्री भैरोंसिंह)

वह और भी जटिल है। सभापति महोदय, मैं इस धारा का विशेष रूप से इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि कुछ दिनों पहले पंचायत समितियों के चुनाव हुए थे। जिस समय पंचायत समितियों के चुनाव हुए उस समय सबके सामने एक ही दृष्टिकोण था कि किसी न किसी प्रकार से पंचायत समिति को जीता जाय। सरकार पंचायत समिति को क्या अधिकार दे रही है, इसका ज्ञान सबसे ज्यादा सरकार को था। कानून के रूप में जितनी बातें थीं। वे सब को मालूम थीं, लेकिन आगे रूल्स में विशेष रूप से सरकार क्या देने वाली है, इसका ज्ञान सरकार को ही था और उस ज्ञान के कारण सरकार को अच्छी तरह मालूम था कि पंचायत समितियों के किस प्रकार के क्या अधिकार होंगे, इस साल का बजट क्या होगा, फाइनेन्शियल आस्पेक्ट्स कितने होंगे, पंचायतों को कितनी सुविधा दी जायगी और उन सुविधाओं के लिए किस प्रकार मार्ग प्रशस्त कर रही है, उस स्थिति में सरकार की ओर से भरसक प्रयत्न किये गये कि पंचायतों के ऊपर अधिकार कर लिया जाय, पंचायत समितियों के ऊपर अधिकार कर लिया जाय और सभापति महोदय, इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि सरकार ने जितनी बेजा हरकत दुनिया में हो सकती है, उस प्रकार की बेजा हरकत पंचायत समिति के चुनाव जीतने के लिए कर ली। किसी पंच को अधिकार नहीं मिलता है, तो किसी नगर पालिका को पंचायत बना कर अधिकार दे दिया जाता है, किसी पंचायत के सरपंच का चुनाव हो जाय तो उसको शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती है, किसी पंचायत के पंच को वोट देने का अधिकार है, तो यह कह दिया जाता है कि पंचायत की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए वोट नहीं जा सकता। इस सदन में मैंने मेड़ा, मालपुरा, भाडली के सम्बन्ध में क्वेश्चन पूछ कर सदन को जानकारी दी है कि जिस पंचायत समिति के चुनाव में केवल एक एक वोट का अन्तर आता है, एक वोट से पंचायत समिति का प्रधान दूसरा बन सकता है और वह नहीं मिला तो हमारी सरकार की ओर से सबसे पहले, यह कहना चाहिए, बिल्कुल अनियमितता कराई गई, हमारे राजस्व मंत्रीजी की कॉन्स्टिट्यूएन्सी टोड़ारायसिंह के अन्दर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो गये और यह कहना चाहिए कि टोड़ारायसिंह की नगरपालिका के चुनाव में माननीय मंत्रीजी का दल बुरी तरह से हार गया, हार होने के बाद देखा कि मालपुरा क्षेत्र में अगर कोई दल जीवित रह सकता है, तो मेरा दल जीवित रह सकता है और राजनैतिक रूप से जीवित रह सकता है, वैसे नहीं, राजनैतिक रूप से जीवित रह सकता है तो मेरे दल के अलावा और दल नहीं रह सकता है, तो उसके बाद टोड़ारायसिंह की नगरपालिका भंग की गई और उसको पंचायत में तरमीम किया गया। आज सरकार से यह पूछा जाय कि म्युनिसिपैलिटी को पंचायत में तरमीम करने का क्राइटेरिया क्या है, क्या ऐसी घोषणा है कि नगरपालिका की जनसंख्या इतनी होगी और उसके नीचे की जितनी भी नगरपालिकायें होंगी उनको भंग कर दिया जायगा? आप राजस्थान का नकशा उठा कर देख लीजिये और आंकड़े उठा कर देख लीजिये, सरकार ने स्वेच्छा से काम किया है, अपनी इच्छा से काम किया है। जहां

(श्री भैरोंसिंह)

यह देख लिया कि नगरपालिका का बहुमत हमको नहीं मिलेगा, वहां पंचायत बना दी, लेकिन जहां देखा हमको मिलेगा, वहां की जनसंख्या कम हो, चुनाव की अवधि समाप्त हो गई हो, उसकी चिन्ता न करते हुए पंचायत में तरमीन नहीं किया । उसी तरह टोडारायसिंह में चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस के दल की हार हो गई तो उस नगरपालिका को पंचायत में तरमीम कर दिया । मैंने जब पूछा तो उस दिन तो माननीय मंत्रीजी ने भ्रम के कारण कह दिया होगा कि एग्ज़िस्टिंग पंचायत को लेकर यह व्यवस्था की गई है; वह कानूनी स्वरूप था। लेकिन मैंने जाकर पंचायत एक्ट देखा, उसकी धारायें देखी, हाई कोर्ट में जो रिट कर रखी है उसको पढ़ा और देखा कि इसमें किस प्रकार से ज्यादती की गई है, नगरपालिका को पंचायत में तरमीम करके । इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करूं कि सरपंचों के चुनाव हो जाते हैं, दो दो वर्ष तक शपथ-ग्रहण नहीं कराई जाती, और शपथ ग्रहण हो जाती तो सरपंच लाठी लेकर दरवाजे पर बैठा रहता है लेकिन पंचायत में उसे घुसने नहीं दिया जाता और अगर घुस भी गया है तो उसको मीटिंग के कागज पर दस्तखत नहीं करने दिये जाते हैं और पांच मीटिंग में अनुपस्थित दिखा कर उसको अलग कर दिया जाता है। इन घटनाओं से लगता है कि सरकार राजनैतिक दृष्टि से कुछ ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देती है जो उनके दल के हैं । आज आप डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइ-ज़ेशन की बात करते हैं, कहते हैं कि जनता के हाथ में सत्ता दी है, अधिकार दिया है । लेकिन आप मेड़, मालपुरा, झाड़ली की पंचायतों में देखे, आपका विभाग क्या सो रहा है ? क्यों सरकार ने कोई कदम नहीं लिया ? सरपंच का चुनाव हुआ, किन्तु दो दो वर्ष तक शपथ-ग्रहण क्यों नहीं कराई ? सरपंच को वोट देने का अधिकार नहीं मिला । और जिस प्रकार सवाल देने के समय मंत्री महोदय निकलते हैं, उसी प्रकार इसमें से निकलने की चेष्टा करते हैं । क्या इस प्रकार की भूल को भयंकर भूल मान कर पश्चाताप करेंगे ? यहां पश्चाताप का सवाल नहीं है, लेकिन सरकार इस प्रकार की चालाकी करती है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार चालाकी करने के बारे में, कानून को तोड़-मरोड़ कर उपयोग करने के बारे में जिस प्रकार काम किया जाता है उसी प्रकार इस परिभाषा को उस तरह से इन्टरप्रेट किया गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रकार की सत्ता देते हैं तो उसके हाथ से निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग होने में एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि माननीय मंत्रीजी बहुत उदार हैं और अपनी इस उदारता के नाते वे अपने जो सचिव होते हैं उनके कागजों के ऊपर दस्तखत करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं । यह जो आपस का विश्वास है, लेकिन उस विश्वास के नाम पर मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि मैं आपको आगाह करूंगा तो आप नाराज होंगे, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यह जो विभाग आपको मिला है, उसके पीछे एक मसलत है । वह मसलत मामूली नहीं है, वह मसलत यह नहीं है

(श्री भैरोंसिंह)

कि दूसरे मंत्रीजी से यह विभाग लेना है। इसके पीछे है कि सरकार के बड़े बड़े अधिकारी इस चीज को लेकर चाह रहे हैं कि आज डेमोक्रेसी की जो इन्स्टिट्यूशन्स, हैं, और इसमें जो प्रतिनिधि मंत्री के रूप में हैं उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए और जो मंत्री महोदय एफीशियेन्टली उनको कंट्रोल करते हैं तो उनको हटा कर ऐसे मंत्री को लाया जाय जो उनके कागजों पर बिना देखे दस्तखत कर सकता हो। आज मैं बतादूं कि जो सारा स्थानान्तरण या पोर्टफोलियों में चैंज हुई है यह सरकारी अधिकारियों का खेल है। उस खेल के कारण विभाग का स्थानान्तरण हुआ है, वर्ना आज यह समझें कि इन सारी परिस्थितियों के अन्दर हमें पंचायतों की व्यवस्था करनी है या पंचायतों के सम्बन्ध में मार्ग प्रशस्त करता है तो हमें इस सम्बन्ध में थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में एक प्रकार का संघर्ष है, और इसलिए जितनी डेमोक्रेसी की इन्स्टिट्यूशन्स हैं, उनके जो नुमाइन्दे हैं, प्रतिनिधि हैं उनको सतर्क होकर कोशिश करनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा जाल न फैंक दे जिसमें विश्वास के कारण फंस जायं और माउथ पीस होकर, स्पोकमैन होकर डेमोक्रेटिक ढंग का ढांचा पहिन कर समाज के सामने अवतरित हो जायं। हमें व्यवस्था यह करनी पड़ेगी कि हम उनके भुलावे में नहीं आवें, उनके भ्रम में नहीं आवें और हमें यह देखना पड़ेगा कि आज धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिव मैथड्स इस डेमोक्रेसी में पनप रहे हैं, उस व्यवस्था को किस तरह से खतम किया जाय। मैं, मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी उदारता के कारण यदि किसी अधिकारी ने यह तय कर लिया कि अमुक पंचायत को भंग करना है तो इस प्रकार की ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी आपके सामने कागज रख देगी और आप आंख मींच कर उस पर दस्तखत कर देंगे, क्योंकि आज गबन के मामलों में, मिसएप्रोप्रियेशन के मामलों में, आम तौर पर इस प्रकार की शिकायतों में देखा जाता है कि जिसकी सिफारिश होती है उसका चालान नहीं होता है और जिसकी सिफारिश नहीं होती है उसका चालान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे खिलाफ लिखते हैं तो मेरा चालान हो जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी जुर्म में उतना ही कुसूरवार है पर उसकी सिफारिश है तो उसका चालान नहीं होता है। तो वहां यह दृष्टिकोण आता है कि किससे कौन आदमी कितना नाराज है और किस पर वह अधिकारी खुश है। उस नाराजगी और खुशी के आधार पर निर्णय लेकर अपनी आज्ञा प्रदान करते हैं।

तो यदि पंचायतों को भंग करने का अधिकार सरकार को मिलता है और वह भी इन परिस्थितियों में मिलता है जब कि ब्यूरोक्रेसी धीरे धीरे पनपने की चेष्टा कर रही है तो यह बड़ा घातक सिद्ध होगा।

हमें पंचायतों को भंग करने के सम्बन्ध में, नगरपालिकाओं को भंग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी है कि यदि किसी नगरपालिका को, किसी पंचायत को भंग करना होगा तो एक ट्रिब्यूनल को केस रेफर करना होगा। जुडिशियल एक्पीरियेन्स के आदमी उसमें होंगे, जो यह देखेंगे कि क्या इस पंचायत ने इस प्रकार की भंयकर भूल की

Page No.88

(श्री भैरोंसिंह)

है कि जिसके कारण उस पंचायत को भंग करें। उस ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार ही हमें कार्यवाही करनी होगी। तो मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि डिज़ोल्व करने के अधिकार हैं उनके बारे में वे सतर्क हो जायं और इस व्यवस्था को मंजूर करें कि यदि सरकार को किसी पंचायत को भंग करने की आवश्यकता महसूस हो तो सरकार भी पार्टी के रूप में जुडिशियल कोर्ट के सामने खड़ी हो जाय और दूसरी पार्टी को भी उस जुडिशियल कोर्ट के सामने खड़े होने का मौका दिया जाय। उस जुडिशियल कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज़ अपना अपना व्यू पॉइन्ट रखें। यह अधिकार इस प्रकार की व्यवस्था करके लेना चाहती है तो कोई बात नहीं। अभी आप जो इस प्रकार से अधिकार सरकार के हाथ में रखना चाहते हैं तो इस प्रकार के डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स के हाथ में अधिकार नहीं होंगे, मन्त्री महोदय के हाथ में अधिकार नहीं होंगे बल्कि वे अधिकार होंगे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून में जितनी खामियां हैं उन पर ठंडे दिमाग से विचार करें और जितने नुकसान होनेवाले हैं उनसे बचने के लिये जितने आवश्यक हों उतने संशोधन किये जायं।

इसलिये सीकर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, इसका समर्थन करता हूँ। इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया तो सिलेक्ट कमेटी दो दिन में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, उस रिपोर्ट पर सदन विचार करके फिर इसी सेशन में पारित कर सकता है।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस बिल के ऊपर दो प्रकार के विचार आये हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, अगर आज्ञा हो तो एक बात साफ कर दूं....

श्री सभापति : Yes.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डिज़ोल्युशन के लिये माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि नये अधिकार सरकार ले रही है, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पुराने कानून में है वही इसमें विद्यमान है, कोई नये अधिकार सरकार नहीं ले रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पहले डिस्कशन में आया नहीं था, अब आया है।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस बिल पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें दो प्रकार के विचार प्रकट किये गये हैं। कुछ लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर सोच-विचार करके कुछ

Page No.89

(श्री पी. के. चौधरी)

सुधार करके पास किया जाय और कुछ लोगों ने विचार प्रकट किये हैं कि नया न्याय पंचायतों का बिल पास करना ठीक नहीं होगा, एक कान्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि इसके जरिये पंचायत एक्ट और पंचायत समिति या जिला परिषद एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। जहां तक जिला परिषद, तहसील पंचायत एक्ट में संशोधन किया जा रहा है उस संशोधन में मैंने सारे बिल को देखा है। जहां तहसील पंचायत लिखा हुआ है उसको सिर्फ हटा दिया है और किसी प्रकार का संशोधन पंचायत समिति या जिला परिषद एक्ट में नहीं किया गया है! इसको नहीं रखते तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं रहती। तहसील पंचायत नहीं लिखते तो he would have ceased to be a member. तो यह ऑब्जेक्शन इतना सब्स्टेन्शियल नहीं है।

जहां तक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किये जाने का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला परिषद और पंचायत समिति बिल का इस सदन में विचार हुआ था तो हर एक सदस्य चाहता था कि जल्दी से जल्दी छोटी पंचायतें बन जायं। एक-दो माननीय सदस्यों को छोड़ कर तमाम सदस्यों की राय थी कि न्याय पंचायतें बना दी जाय, तहसील पंचायतों को हटा कर न्याय पंचायतें बना दी जाय और हमने जिला परिषद पंचायत समिति एक्ट बनाया उसमें रखा है कि ३० मार्च, १९६१ से पहले नई पंचायतों का पुनर्गठन करके सारे चुनाव करा देना चाहते हैं। सरकार ने उस वक्त आश्वासन दिया था, जब तहसील पंचायतों के एबोलिशन के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जोर दिया था तो मुख्य मन्त्री ने आश्वावासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इनको एबोलिश करने की कार्यवाही की जायगी। जब उनके एबोलिशन के लिये सरकार यह बिल ला रही है और उस आश्वासन को पूरा किया जा रहा है तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का क्या मतलब होता है....

एक माननीय सदस्य : दूसरे सेशन में आयेगा।

श्री पी० के० चौधरी : जनवरी, ६१ से पहले रीकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायतों का चुनाव करायेंगे, यह जो हमने तय किया है वह नहीं करा पायेंगे. वह नहीं हो सकेगा। तो मैं कहूंगा कि we are racing against the time.

इसमें जो संशोधन आये हैं, ज्यादातर वे संशोधन हैं तहसील पंचायत को अबोलिश करके न्याय पंचायत बनाने के, बाकी संशोधन इतने इम्पोर्टेन्ट नहीं हैं। इसलिये यह कोई जरूरी नहीं है कि इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय।

हां, इसमें हम एक प्रोसीजरल मिस्टेक देखते हैं, वह एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम में कमी है। मैं उस कमी की तरफ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल के जरिये, क्लॉज़ ६८ के जरिये सेक्शन ८९ को अमेंड करने जा रहे हैं, ८९ में अमेंडमेंट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पॉवर्स दिये जा रहे हैं। अंत में यह है पार्ट ३८ डी :

Clause 68, part (xxxviiid) :-

Page No.90

(श्री पी. के. चौधरी)

" the grounds on which, the conditions subject to which and the manner in which an election or co-option held under this Act may be called in question."

तो आप डेलिगेटेड पॉवर्स ले रहे हैं, किस ग्राउन्ड पर, किस कन्डीशन पर " and the manner in which an election or co-option can be called in question " दूसरा आपका authority for the decision of such disputes, आप यह अधिकार मांग रहे हैं वह (xxxviiie) of the clause 68 में है वह भी आप Rule making से कराना चाहते हैं । मैं मानता हूं कि अभी तक no where this has been given under the delegated powers, " the grounds and conditions on which election can be questioned." हमने म्युनिसिपल एक्ट पास किया है, हमने जिला परिषद् एक्ट पास किया है किसी कानून में that is not given under the scope of the rule making power. यह पहला मौका है, हम देख रहे हैं कि इस कानून के जरिये आप यह रखते हैं कि इस खास कन्डीशन पर इलेक्शन कैंसिल हो सकता है । आप यह अधिकार एग्ज़िक्युटिव को देना चाहते हैं " the manner in which elections can be questioned " आप चुनावों के सम्बन्ध में जितने भी कानून इस देश में या परदेशों में हैं सब जगह " manner in which elections can be questioned " वे तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आते हैं । "Grounds under which elections can be questioned and the conditions under which elections can be questioned " is never given to the executive under delegated legislation. वे स्टेचुटरी प्रोविज़न्स होते हैं । हमारे म्युनिसिपैलिटी एक्ट में यह नहीं है । पंचायत और जिला परिषद् एक्ट में यह है । सभापति महोदय, रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के नियम ९२ में कहा गया है " A Bill involving proposals for the delegation of legislative Power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character " यानि यह जो Explanatory Memorandum हुआ उसके तीन पार्ट्स होंगे; one is ' explaining such proposals ' and the other is ' drawing attention to their scope.' इस प्रापोजल का स्कोप क्या है और थर्ड यह स्टेट करेंगे कि यह नोरमल है या एब्नोरमल है । इसमें जहां तक स्कोप समझने और एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है इस क्लॉज को काफी पाया है । एक्सप्लेनेशन में कहा गया है " To be in conformity with these amendments, consequential alterations have been proposed in the Said Section 89 also and the following new clauses have been proposed therein " और इसके बाद यह कहा जाता है कि " The proposed additions embody matters of detail and the Powers thereby delegated are of a normal character. " तो मैं समझता हूं कि from the point of view of Rules of procedure जिसमें तीन पार्ट्स सेटिस्फाई करने चाहिये : एक तो " एक्सप्लेनिंग दी प्रोपोजल " ; यह आपने एक्सप्लेन नहीं

(श्री पी. के. चौधरी)

किया और इस क्लॉज को मेन्शन कर दिया। आपने यही कह दिया कि नोरमल करेक्टर का है। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह नोरमल करेक्टर का कैसा हुआ ?

इसमें किसी प्रकार का प्रोविज़न नहीं है, explaining the proposals "grounds on which and conditions on which an election can be questioned " can ever be given by delegated legislation to the executive. यह हमेशा स्टेट किया जाता है, ये प्रोवाइडेड किये जाते हैं। ये नोर्मल केरेक्टर के हैं, मैं समझने के लिये तैयार नहीं हूं। It is a very big defect. मैंने इसको करने के लिये एमेन्डमेंट रखा है। इसके कन्सीडरेशन से पहले माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आप पॉवर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, यह अनुचित है और इसको नहीं लेना चाहिये। किस ग्राउन्ड पर यह चुनाव केन्सिल किये जावें, यह जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी चाहिये। जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि नोर्मली इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है और उन्होंने कई मिसालें भी दीं। हमने यह अधिकार जो पंचायत एक्ट में दिया है उसका किस तरह से मिस-यूज़ किया जाता है ? मैं आपको बताऊं कि ६ या ७ दिन पहले फागी पंचायत तहसील का चुनाव हुआ। वहां पर रातों-रात दो दिन पहले सांगानेर के नीचे के गांवों को लेकर फागी में जोड़ा गया और जिस केन्डीडेट को वे लाना चाहते थे उसको जिता कर लाये। जो व्यक्ति जीत कर आया है उसकी उम्र २५ वर्ष से कम होती है। उसके खिलाफ पिटीशन भी होगी। मगर उसकी उम्र कम थी जिसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। यह तहसील पंचायत फागी का चुनाव हो गया। यह एक सप्ताह पहले की बात है। यह पंचायतों के चुनाव की हालत है और आप पंचायतों के कार्यों का उद्धार करना चाहते हैं। आपको इलेक्शन चैलेन्ज करने का राइट है तो किस ग्राउन्ड पर कोर्रॉप्शन और इलेक्शन challenge हो; तो मैं समझता हूं कि it is going beyond the scope of delegated legislation. यह नहीं होना चाहिये।

अब सभापति महोदय, अपने पूर्व वक्ता ने जो भाषण दिया उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने सारा भाषण दिया, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि वे क्या चाहते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन को क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूं और इसके साथ साथ यह बताना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं ? जिस समय हमने पंचायत समिति के बिल पर डिस्कशन किया था उस समय हम यह चाहते थे कि न्याय पंचायतें कायम हों। वे क्या चाहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने यही कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। मैं कुछ इन्डीकेशन देना चाहता हूं। जैसा कई लोगों ने एक प्रश्न उठाया और कहा कि वेलिड इलेक्शन के लिये ७५ पर्सेन्ट वोट कास्ट होने जरूरी हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा कई दफे होता है कि तीन-चौथाई वोट नहीं मिलते क्योंकि यह बड़ी रिगरस कन्डीशन होती है। यह मैं भी मानता हूँ कि seventy-five percent is too high a percentage. What is the reason which has prompted the Government to propose this condition ?

(श्री पी. के. चौधरी)

अगर इसकी तह में हम जावेंगे, जनरल बोडी में जावेंगे तो मालूम होगा कि पंचायतों के चुनाव गांवों में दलबन्दी और कास्टिज्म पर होते हैं। जातिवाद में लोग अपनी जाति को छोड़ कर दूसरों को वोट नहीं देते। अगर कोई हरिजन खड़ा होगा तो वह हरिजन से वोट देने के लिये कहेगा, मीणा होगा तो मीणा को कहेगा, जाट होगा तो जाट को वोट देने के लिये कहेगा और अहीर होगा तो वह अहीर को कहेगा और वे सब लोग अपनी अपनी जातिवालों को वोट देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कायस्थ होगा तो कायस्थ को देगा ....

श्री पी० के० चौधरी : कोई भी जाति का हो वह अपनी जाति वाले को देता है, मैंने सबके लिये कहा है। माननीय सदस्या हो तो वह भी। मैं सबके लिये कहता हूं किसी को छोड़ता नहीं हूं।

महिलाओं के साथ ज्यादा पक्षपात करते हैं।

आज जब पंचायतों में ज्यादा दलबन्दी होती है तो इसका नतीजा यही होता है कि Community and Caste के बेसिस पर लोगों को वोट मिलते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य मंत्री हो गये हैं क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : इसमें क्या शक है ?

श्री पी० के० चौधरी : गांवों में कॉम्युनिटीवाइज़ वोटिंग होता है। इसलिये जो जातिवाद की टेन्डेन्सी है उसको रोका जाए। इसलिये क्लॉज ७५ को इसमें रखा है। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का क्लॉज नहीं रख सकते। कम से कम जो सक्सेसफुली इलेक्टेड केन्डिडेट हो, जो वेलिडली इलेक्टेड केन्डिडेट हो उसको ५० पर्सेन्ट टोटल वोट का मिलना चाहिये, यह प्रोविजन हो जावे तो ठीक हो सकता है। आप यह कहेंगे कि वोट कास्ट होते हैं उस समय बहुत लोग वोट कास्ट नहीं करते। लेकिन सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ६० पर्सेन्ट से लेकर सेन्ट-पर्सेन्ट तक वोट कास्ट होते हैं। दूसरे चुनावों में काफ़ी लोग अपना वोट नहीं देते। इसलिये टोटल वोट कास्ट होते हैं उसका ५० पर्सेन्ट वेलिड चुनाव के लिये रख दें तो मैं समझता हूं कि उचित रहेगा। क्योंकि उनके यहां पर जो फ़ेक्शनलिज्म और कास्ट के आधार पर वोट देने की टेन्डेन्सी है उसको आप मीट-विथ नहीं कर सकते।

दूसरी बात, सभापति महोदय, कोऑप्शन में रखा गया है कि १५ दिन की मयाद के अन्दर जब कोऑप्शन नहीं कर पायेगी तो गवर्नमेंट नोमिनेट करेगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूं। कोऑप्शन नहीं होता है तो कोई मुसीबत नहीं आ जाती है उसके ऊपर, कोऑप्शन से कम्पलीट नहीं होता है। आप उसमें रखिये, they will have to do Co-option महिला को लेना है, शिड्यूल्ड कास्ट का कोई नहीं आता है तो उसको लेना है, गवर्नमेन्ट नोमिनेट करके लेगी, यह एग्जी-क्युटिव का इन्टरफ़ियरेन्स है और इससे पक्षपात होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है।

Page No.93

(श्री पी. के. चौधरी)

म्युनिसिपैलिटी के एक्ट में से इस नोमिनेशन के क्लॉज़ को ही, इस पद्धति को ही हटा दिया गया है लेकिन वहां तो उसको हटा दिया और यहां आप इसको पंचायत के कानून में डाल रहे हैं। हजारों हमारी पंचायतें होंगी। जहां १००-१५० म्युनिसिपैलिटीज़ में से इस नोमिनेशन की पद्धति को हटा दिया लेकिन इनमें इन्डाइरेक्ट तरीके से जाकर डाल रहे हैं: on failure of the Panchayat to Co-opt. इसलिए आपने यह जो नोमिनेशन की पद्धति रखी है वह आपको कतई नहीं रखनी चाहिये। उन्हीं पर इसको छोड़ देना चाहिये और मैं नहीं समझता कि उन पर छोड़ देने से वे कोऑप्शन नहीं कर पायेंगे। जितना कोऑप्शन के लिए आप आतुर हैं उतने ही आतुर पंचायतों के मेम्बर होंगे। वे होंगे, इस उम्मीद को लेते हुए यह प्रावधान नहीं रखना चाहिये।

दूसरी बात देखी है। इसमें यह रखा है कि एक पंचायत किसी फंक्शन के लिए १५) से अधिक बगैर पंचायत समिति की सेन्कशन के खर्च नहीं करे। यह गलत है। कोई इलेक्टेड बॉडी है वह उसके मिस्लनियस हैड में से किसी फन्कशन के लिए अथवा किसी समारोह के लिए खर्चा करना चाहे तो क्यों नहीं अपने फन्ड्स में से वह खर्च कर सके ?

डॉ० चन्द्रकला : स्वागत सत्कार के लिए है।

श्री पी० के० चौधरी : किसी भी स्वागत सत्कार का ही सवाल नहीं है, वह जिस फन्कशन में उसको खर्च करना चाहे खर्च करे। यह मेरी समझ में लॉजिक नहीं है कि १५) से अधिक न करे और अधिक के लिए सेन्क्शन लें। यदि उसके पास मिस्लेनियस हैड में ५०), १००) रु० हैं, जितनी गुन्जाइश उसकी है उसको खर्च करने की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइन्टमेन्ट का प्रोविजन रखा है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जहां जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये हैं, उसको इन्स्टिटयूट किया गया है, जहां जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइन्टमेन्ट हुआ है Democratic feeling has been violated. Democratic feelings and tendency have amounted to have been molested. मैं समझता हूं, आज हम इस चीज को लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं। पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का कोई तरीका निकाल लिया है, किसी कारण से उन पंचायतों को सुपरसीड कर सकें। उनको सुपरसीड करने के पॉवर्स आप ले रहे हैं, जहां पर भी एग्जीक्युटिव चाहेगी वहां पर पंचायतों को सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा देगी। यह वाइड पॉवर है और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करने का यह गलत तरीका है। आप चाहते हैं कि पंचायत राज्य बने, ग्राम राज्य बने, आपका यह उसूल नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर का राज्य चले। आप उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। गलती करते हैं तो दुबारा उनका चुनाव करा दीजिये, एक दफा डिज़ोल्व करके दुबारा चुनाव करादें लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके आप चाहें ग्राम राज्य हो, पंचायत राज्य हो। मैं समझता हूं, यह उसूलन

Page No.94

(श्री पी. के. चौधरी)

ही गलत है। माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात से सहमत हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिये। यदि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की पद्धति को हम इसमें डाल देते हैं तो पंचायत एक्ट की जो मंशा है उसकी जड़ को ही काट देते हैं। It is against the very principle of the Democratic Decentralisation; और आपके पंचायत सर्किल बनेंगे ११-२ हजार पर। How many administrators you are going to appoint in Rajasthan? क्यों एक्जीक्युटिव को इसमें डाल कर मिस-बिहेव कराना चाहते हैं? समझ से काम नहीं लें तो hundreds of administrators will arise out of the villagers.

एक माननीय सदस्य : एडहॉक कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : एडहॉक की आवश्यकता नहीं है। एक पंचायत ठीक काम नहीं करती है तो उसको डिज़ोल्व कर दीजिये। दूसरी नहीं करती है तो फिर उसको भी डिजोल्व कर दीजिये, दुबारा, तिबारा उनके चुनाव कराइये।

एक माननीय सदस्य : वेकूम हो जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : वेकूम कभी नहीं होता है। यह कहा जाता है कि पंचायत डिज़ोल्व हो जायगी तो वेकूम हो जावेगा, कोई वेकूम नहीं होगा। आप स्टेच्यूटरी पॉवर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यों करना चाहते हैं? यदि कोई पंचायत डिज़ोल्व हो जाती है, पब्लिक ड्युटीज़ State Government can manage them through normal channel. उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और इसको डिलीट करने का संशोधन है जो कि बाद में आवेगा उसको स्वीकार करके एडमिस्ट्रेटर को नियुक्त नहीं होने देंगे।

डॉ० चन्द्रकला : धर्म संकट है।

श्री पी० के० चौधरी : कोई धर्म संकट नहीं है। दूसरा उसमें रखा है कि यह न्याय पंचायतें हैं उनकी जब मीटिंग होगी और जिसका केस होगा वह न्याय पंचायत के सदस्यों में से सिर्फ किसी एक सदस्य को न्याय पंचायत में बैठने का ऑब्जेक्शन उठा सकता है, without stating any reasons. किस कारण से? सिर्फ एक मेम्बर के लिए ही ऑब्जेक्शन कर सकता है? मैं समझता हूं it is a very strange provision. ऑब्जेक्शन कर सकता है तो फिर वह सब के लिए कर सकता है। उसमें उसकी कोई राय नहीं होनी चाहिये। मान लीजिये, पांच मेम्बर्स की बैंच होती है, तीन मेम्बर्स की बैंच होती है, एक सदस्य के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है, बाकी के लिए नहीं। कोई ऑब्जेक्शन के ग्राउन्ड्स हों, he can object against each and every member. ग्राउन्ड्स न हों, रीज़न्स न हों, एक के लिए फिज़ूल ही ऑब्जेक्शन उठा देवें तो इस प्रकार का प्रावधान इसमें रखना उचित नहीं है। यह मुझको भी समझ में नहीं आया है कि इसमें इसको रखने की लॉजिक क्या है? सभापति महोदय, मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं। सभापति महोदय, "In clause 20, sub-clause 27 F-3 'Every party to a suit or case shall be entitled to object, at

(श्री पी. के. चौधरी)

the earliest opportunity, to not more than one Panch without being required to state the grounds of his objection, and as such Panch shall thereupon abstain from sitting on the Panchayat during the hearing of such suit or case."

मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पंच के खिलाफ ही क्यों शिकायत करे, बाकी के लिये क्यों नहीं करे ? जो ग्राउन्ड और रीज़न्स होंगे एक पंच के साथ वह सभी पंचों के खिलाफ ऑब्जेक्शन हो सकता है । मान लीजिये कहीं तीन पंच हैं और तीनों आदमी इन्टरेस्टेड हैं तो तीनों के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं । Why there should be a restriction that so and so are a party to the case and they cannot sit to a judgement ? यह कहां का राइट रहना चाहिये इसमें, आप रेस्ट्रिक्शन क्यों डालना चाहते हैं ? मैंने शिकायत कर दी, रीजन्स स्टेट करने का कोई अधिकार नहीं यह पंचों के साथ गैर-इन्साफ हो सकता है । किसी के दिमाग में यह घुस जाय कि मैं इसको इसमें बैठाना नहीं चाहता । मैं कहूंगा कि हरिजन पंच यदि किसी में है तो मैं कहूंगा कि यह बैठा रहना नहीं चाहिये । कोई सवर्ण हिन्दू है और वह हरिजन पंच से न्याय नहीं चाहता वह कह सकता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं चाहता, उसको बैठाना नहीं चाहता । इसी प्रकार कोई किसी पार्टी का होगा किसी कम्युनिटी का होगा, वह कहेगा कि मैं फलां फलां कम्युनिटी के आदमी को बैठाना नहीं चाहता हालांकि उसके लिये ग्राउन्ड क्या है, वाट इज़ लोजिक पोइन्ट, what is the logic behind it ? Why do you want to restrict it ? All the members in the Bench are interested. दूसरा पंच बैठाइये इतनी छूट रहनी चाहिये । जो रेस्ट्रिक्शन डाली है वह नहीं रहनी चाहिये । होना यह चाहिये कि आदमी के समझ में मामला आना चाहिये और फंडामेन्टल राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिये ।

इसके बाद वेलीडेशन ऑफ टैक्सेज़ का क्लॉज़ आता है । इसमें कहा गया कि आज तक जो भी टैक्स लेवी किये गये हों इनमें जो न्यू क्लॉज़ है उसका मैं डिलीशन चाहता हूं "Notwithstanding anything contained in sub section (3) of sec. 64 or in any other provision of this Act, or in the Rules made under this Act or in any judgment or decision of any court and notwithstanding any error, omission or defect in the imposition or levy thereof, all taxes imposed by Panchayats after the commencement of this Act shall be deemed to have been validly imposed and levied as from the dates from which they are being actually recovered and collected even though such dates may not have been specified at the time of such imposition and levy." यानि इसमें इस प्रकार कहा गया है कि कानून में कुछ हो, रूल्स में कुछ हो, उसके विधान में कुछ हो, आज तक जितने भी टैक्स लेवी हो गये और जिस तरीके से लेवी हो गये वे सारे वेलिड माने जायेंगे । मैं समझता हूं यह कानून लाने की क्या जरूरत? माननीय मंत्री महोदय ने ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बता

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया है "In the existing rules under the Act it is provided that the State Government should, while sanctioning the imposition of a tax specify the date from which it is to be imposed. In many cases no such date was fixed but the taxes are being collected since long. The validity of such collection has been successfully challenged and it is therefore proposed to make a provision validating the levy of such taxes.

मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ एक्जीक्युटिव कोई गलती करती है बाकायदा कानून के मुताबिक ऑर्डर पास नहीं करती, डेट नहीं बताती है आज तक करते रहे है तो कोर्ट नलीफाई कर सकता है। Now they are trying to circumbent the judiciary with retrospective effect.

मैं इस बात के खिलाफ हूं कि किसी भी तरह के गैर कायदे से जो टैक्स लागू हो गये उनको वेलिड करार देना चाहते हैं इस बिल के जरिये। अल्टिमेटली जो ऑब्जेक्टस थे, न्याय पंचायतें कायम करना है पंचायतों के फंक्शन विधान सम्मत हों लेकिन न्याय पंचायतें इस बात को बवारा नहीं कर सकती कि पुरानी पंचायतों से नई पंचायतों को चार्ज नहीं देते हैं। जहां तक नयी पंचायतों को चार्ज दिलाने का सम्बन्ध है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस प्रकार के टैक्स को वेलिडेटड करने के लिये आप कानून लाते हैं तो वह उचित नहीं होगा और न हमें इस प्रकार का प्रावधान रखना ही चाहिये।

दूसरी बात, सभापति महोदय, सेक्शन ४८ के अन्दर जो प्रावधान किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। जहां आज तक पंचायतों को स्पेशल टैक्स लगाने के लिये स्टेट गवर्नमेंट की पर्मिशन लेने की आवश्यकता होती है वह इसके द्वारा हटा दी गई है। इस तरह से पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिये गये हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके बाद क्लॉज ९५ सी में यह रखा गया है :-

"The State Government may suspend the levy or imposition of any tax or fee and may at any time rescind such suspension." मैं समझता हूं, यह डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के खिलाफ है! पहले तो यह कि पंचायतें अक्सर टैक्स लगाती ही नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टी या इन्टरस्टेड ग्रुप पर। इसमें जो आपने रखा है कि यदि पार्टिकुलर पार्टी या इन्टरस्टेड ग्रुप का रिप्रेजेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और वह कहते हैं कि पंचायत ने जो टैक्स उन पर यह लगाया है वह उचित नहीं होगा वैसी हालत में मेरा यह निवेदन है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्टरफिअरेन्स नहीं करना चाहिये। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को चाहिये कि वह पंचायतों को इन्करेज करे टू इम्पोज़ टैक्सेज़। अगर वह गलत टैक्स लगाती है तो ऑटोमेटिकली उसको रात दिन वहां रहना है वैसी हालत में पंचायत सर्कल वहां टिका नहीं रह सकता जबकि वहां के लोग ऐसे टैक्सेज को पसन्द नहीं करते हैं। आप से ज्यादा फिक्र इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करने वालों को होगी They impose the tax like by people. जनरल पब्लिक है उसको जो एक्सेप्टेबल होगा उसी टैक्स को

Page No.97

(श्री पी. के. चौधरी)

वह इम्पोज़ करेगी। हो सकता है पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट के लोग हों; it may be business Community. it may be a professional community जो जाकर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट कर दे कि यह जो टैक्स है इसको बन्द कर दिया जाय। स्टेट गवर्नमेंट में उनका इन्फ्लुएंस होगा तो वे इस तरह सरकार द्वारा उसमें इन्टरफीअरेन्स करवा सकेंगे इस तरह से जो सस्पेन्शन के पॉवर्स लेना चाहते हैं वह अनुचित है।

दूसरी बात है सुपरसेशन की। इसके सम्बन्ध में क्लॉज ५६ है। एक बात मैं सुपरसेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसके करने के कई ग्रेड्स बताये गये हैं। इसमें लिखा है " Power to dissolve or supersede a panchayat in certain cases- (1) If at any time the State Government is satisfied that a panchayat is not competent to perform or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or by or under any other law for the time being in force, or has exceeded or abused its powers thereunder, or persistently disobeys the orders of the State Government or the panchayat Samiti or the officer in charge of panchayats, the State Government may, after giving such panchayat an opportunity of being heard by an order published in the official Gazette" यानि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माने, ऑफिसर इन्चार्ज पंचायत के ऑर्डर्स को नहीं माने, उसको सुपरसीड करने का अधिकार लेना चाहते हैं; यह अनुचित है, गलत है। जहां तक एक्ट के प्रोवीज़न्स के माफ़िक काम नहीं करते हैं पॉवर का मिस यूज़ और एब्यूज़ करते हैं, मिस मैनेजमेंट रहता है फन्ड्स का, मिस युटिलाइजेशन होता है वहां यदि सुपरसीड कर दिया जाय तो कतई एतराज किसी को नहीं होगा, हम उसको वेल्कम करेंगे। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको सुपरसीड कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माने, पंचायत डिपार्टमेंट के ऑफिसर का ऑर्डर नहीं माने तो जो सुपरसेशन का अधिकार रखा है यह एक प्रकार से डिक्टेटोरियल पॉवर आप एक्जीक्युटिव को देना चाहते हैं : पंचायत जैसी इलेक्टेड बॉडीज़ should not be submitted to such humiliation. माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ इस बात के लिये सहमत होंगे। आपका क्लॉज़ ५६ न्यू क्लॉज़ ७३ में देख लीजिये। आपकी स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माने, ऑफिसर इन्चार्ज पंचायत के ऑर्डर्स नहीं माने तो सुपरसीड कर सकते हैं; यह प्रावधान मत रखिये। इस तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने जो सुझाव रखे हैं उन सुझावों को वे अमेन्डमेंट के जरिये स्वीकार करेंगे और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय चैयरमैन, सदन में दो सुझाव हैं; एक पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का और दूसरा प्रवर समिति में भेजने का। मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री मोतीलाल)

हम इस बिल के द्वारा राजस्थान के पंचायत राज्य में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपने तहसील पंचायत तोड़ कर न्याय पंचायत करने का प्रोवीज़न इसमें रक्खा। मैं जानना चाहता हूं कि तहसील पंचायत क्या जनता के लिये कष्टदायी थी। क्या उसके निर्णय कोई गलत हुए। या उनकी कोई शिकायत सरकार के पास आई। मेरे ख्याल से ऐसी कोई एबोलिशन कमेटी या जांच कमेटी सरकार ने बैठाई हो, इसके लिये ऐसी बात नहीं है। तहसील पंचायत अपीलेट ऑथोरिटी के रूप में ठीक काम कर रही थी, कोई अड़चन या असुविधा उससे नहीं थी। मैं इस पक्ष का हूं कि न्याय जनता को सस्ता दिया जाय और सुलभ दिया जाय, उचित न्याय मिले, राइट टाइम में मिले और राइट तरीके से मिले। इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। पर साथ साथ अगर नये झंझट पैदा कर लेंगे तो हमें फिर बड़ी दिक्कतें आवेंगी जो पहले थी। नया अरेन्जमेंट करना होगा। इसलिये हम इसको उखाड़ कर नई न्याय पंचायत बनाने के रूप में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो इस पर काफ़ी सोच–विचार करके ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिये। हमने पांच साल में पंचायतों को एक रूप दिया है, इससे उस रूप को हम बदल कर फिर कोई दूसरा रूप देने जा रहे हैं।

फिर दूसरी बात इसमें यह है कि इस न्याय अदालत पंचायत की अपीलेट ऑथोरिटी मुंसिफ और फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट हैं। अगर यही बात थी तो ये तो पहले से ही हमारे यहां मौजूद हैं। फिर इलेक्टेड बॉडीज़ बनाने की ही जरूरत क्या? हम तो चाहते हैं कि जनता के चुने हुए लोगों का कोर्ट बने। आप इसकी अपील जिला परिषद् में रख सकते थे। अगर इनके खिलाफ आपको कोई शिकायत हो तो आप इसके लिये जिला परिषद् में अपील का प्रोवीज़न रख सकते थे। इसकी अपील फिर सीनियर ऑथोरिटी के रूप में सैशन जज हो सकता है और इसके बाद हाई कोर्ट हो सकता है। यह मुंसिफ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां अपील करने की बात समझ में नहीं आती। ये तो आज भी हैं, फिर यह डबल खर्चा करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसके बजाय तो आज का ढांचा ठीक है। ग्राम पंचायत की अपील तहसील पंचायत में होती है और जनता सन्तुष्ट है। इससे उसे कोई शिकायत नहीं है। फिर आपने उससे क्यों अधिकार छीनने का प्रयत्न किया, यह मेरी समझ में बात नहीं आई।

अब जितने पंचायत बोर्ड बनेंगे; एक ब्लॉक में हैं पांच सात तक पंचायतें, अब इसकी रूपरेखा चीफ़ पंचायत ऑफिसर बनावेगा और वही इनका निर्माण कर देगा। मैं सदन से अपील करूंगा और माननीय मुख्य मन्त्री से अपील करूंगा कि वास्तव में अगर हम जनता की पंचायतों का राज्य चाहते हैं तो सर्टेन्टी कर दें कि इतनी जनसंख्या पर एक पंचायत होगी, इतनी नायब पंचायत या तहसील पंचायतें होंगीं। बार बार जनता को इन चुनावों से काफी असुविधा होती है। आप किस पंचायत को किधर उठाकर रख देते हैं; लोगों को तो क्या तहसील पंचायत को मालूम नहीं, एम० एल० एज० को मालूम नहीं, रातों रात एक पंचायत को दूसरी

(श्री मोतीलाल)

पंचायत समिति में लगा दिया। सरपंच को मालूम नहीं कि वह किस ब्लॉक में है, ब्लॉक आप चेन्ज कर देते हैं। १५ दिनों में जाकर डिपार्टमेंट तक को मालूम तब हुआ कि दूसरे ब्लॉक में यह पंचायत चली गई है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी मालूम नहीं था जब तक कि इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन यह है कि हमें पंचायती राज्य में जनता का विश्वास पक्का करना है तो इनका ठीक से डिमार्केशन कर दें और यह भी कह दें कि इनके पास ये ये सजेक्ट रहेंगे।

अब ग्राम पंचायत में यह प्रावधान है कि अगर वहां का पंच या सरपंच किसी पार्टी विशेष में दिलचस्पी रखता है तो वहां से न्याय चाहने वाला अपना केस तहसील पंचायत में ट्रान्सफ़र करा सकता है, वहां भी पार्टी बाजी में अगर कोई दिलचस्पी वाला हो तो वहां से भी वह अपना केस ट्रान्सफर करा सके। दूसरी जिला परिषद् में और इस तरह से न्याय प्राप्त किया जा सके और आप यह भी रख सकते हैं कि अगर वहां भी पक्ष में न हो तो जिला में ले जावें। इसमें मुझे ऐतराज नहीं, इससे जनता को फायदा ही होगा।

अब इलेक्टेड बॉडी की अपील आप इलेक्टेड बॉडी के पास ही रक्खें। हम नहीं चाहते कि इसे आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दें।

मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि पिछले तीन सालों का एवरेज लें, उन्हें सैंकड़ों ऐसे नमूने मिलेंगे जिनमें वास्तविक रूप से कुछ सरकारी अधिकारियों ने जान-बूझ कर पंचायत व्यवस्था को फेल करने की कोशिशें की हैं। कुछ सरपंचों के खिलाफ जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, केस बनाये गये और सरासर झूठे केस बनाये जो आगे जाकर साफ बरी हुए। सरकार के ऑर्डर के अनुसार गोचर भूमि ट्रान्सफर हो गई पंचायतों को। गवर्नमेंट के लैंड कमीशन की भी रिपोर्ट है कि गोचर भूमि पंचायतों के पास रहेगी। पर वे अधिकारी सरकारी ऑर्डर के बाद में भी उस गोचर भूमि को इन पंचायतों को देते नहीं।

आप ग्राम पंचायत एक्ट और जिला परिषद् एक्ट दोनों को अमेन्ड करने जा रहे हैं। हमारी भी और सरकार की भी यह प्रबल इच्छा है कि जनता को सस्ता न्याय मिले, सरल तरीकों से मिले, उचित समय पर मिले और उचित तरीकों से मिले। इसमें दो रायें नहीं हैं। हमें सस्ता न्याय देना है और जनता में बहुत कमती कीमत में देना है और जनता के प्रतिनिधि के हाथों से देना है। अब जो तहसील पंचायतें यह काम कर रहीं हैं उसकी छानबीन आपने नहीं की और उसको बदलने जा रहे हैं। हमने कभी महसूस नहीं किया कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें क्या कमियां हैं। ठीक है कुछ पंच और सरपंच हैं, वे पक्षपात करते होंगे लेकिन व्यवस्था में क्या कमी है! इसकी हमने कभी छानबीन नहीं की। मेरे ख्याल से हमारे हिन्दुस्तान में न्याय पंचायतों की रूप-रेखा सक्सेसफुल नहीं हुई है; सेन्ट पर्सेन्ट तो दूर रहा मेरे ख्याल से ६० पर्सेन्ट भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। फिर बलवंतराय मेहता-कमेटी ने भी यह लिखा नहीं है कि न्याय पंचायतें सक्सेसफुल हुई हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अमेरिका में सक्सेसफुल हुई या नहीं ?

श्री मोतीलाल : मैं अमेरिका की बात भी कह दूंगा, अगर माननीय मंत्री महोदय को जानने की इच्छा है तो। तो तहसील पंचायतें हैं उनके लिए मैं तो मानता हूं कि पंचायत समिति का जो इलेक्शन है उसमें पूरा रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जितने सरल तरीके से जनता को न्याय दे सकें उतना ही अच्छा है। इसके बाद में एपीलेट ऑथोरिटी का जहां तक ताल्लुक है वह नीचे स्तर की नहीं होनी चाहिए। अतः यदि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये तो इस पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। तब तक ऐसी स्थिति तो है नहीं कि हमारा कोई प्रोग्राम फेल हो रहा है विकेन्द्रीकरण की दिशा में। जो विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम है वह तो वास्तव में खत्म हो चुका है। जबकि हमें सुन्दर तरीका लाना है और उसके लिए व्यवस्था करनी है तो इसको बहुत सोच-विचार कर करें तो अच्छा होगा और उचित होगा।

इसके बाद माननीय चैयरमैन महोदय, एक व्यवस्था इसमें और है वह बहुत सुन्दर है। जहां तक इसका आइडियलिज्म है वह बहुत ऊंचा है कि ३।४ मैजोरिटी से इलेक्टेड पंच और सरपंच हों। पर इसके बजाय इस तरह का होता तो अच्छा होता कि पंचायतों को ३ क्लॉसेज़ में बांट देते; ए, बी और सी में। इससे आपको कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करने की दिक्कत नहीं आयेगी। आपने रखा है कि जब कि किसी न्याय पंचायत में ३।४ मैजोरिटी जब तक नहीं होगी तो सरकार का वहां एक एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जायेगा। मैं तो यह मानता हूँ कि आपके पास में इतने आदमी भी नहीं है कि एक एक जगह आप एडमिनिस्ट्रेटर रख सकें। आपकी करीब ७ हजार पंचायतें बनेंगी, इसमें यह भी मान लिया जाये कि छोटी पंचायतें करीब २५ पर्सेन्ट होंगी। तो भी आपके पास में करीब दो हजार आदमी नहीं हैं एडमिनिस्ट्रटर्स रखने के लिए। वहां के लिए भी आपको अच्छे आदमी नहीं मिल सकते क्योंकि वह गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोवीज़न रखा है उसको न रख कर यह रख लिया जाये कि जो अनकन्टेस्टेड होंगी उसको 'ए' क्लास बना दिया जायेगा। उसको काम करने के लिए, प्लानिंग के लिए ज्यादा रुपया दिया जायेगा और जो ३।४ मैजोरिटी से आयेंगी उसको 'बी' क्लास बनाया जायेगा और उसको 'ए' क्लास से कम रुपया दिया जायेगा और 'सी' क्लास वह होगी जो कि सिंगल मैजोरिटी से आये। माननीय चेयरमैन महोदय, यह व्यवस्था हो सकती है। इससे हमारी जनता में भी जागृति आयेगी और हर एक ऊपर बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगा और उसके लिए रख दिया जाये कि जो 'ए' क्लास में आयेगा उसके लिए यह होगा, जो 'बी' क्लास में आयेगा उसके लिए यह होगा और जो 'सी' क्लास में रहेगा उसके लिए यह होगा। तो जब यह स्पोर्ट्समैनशिप रहेगी तो लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा। मैं माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा यही निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके इस बिल पर अच्छी तरह से और थोड़े दिन विचार करके और छानबीन करके फिर पास किया जाये तो अच्छा रहेगा इसलिए इसको पहले सिलेक्ट

(श्री मोतीलाल)

कमेटी में दे दिया जाये ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाये। यही बात अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही थी। जहां तक सवाल है कानून का, कि सस्ता न्याय देने की बात होनी चाहिए तो कानून भी इतना सरल होना चाहिए जिससे कि रूल्स ऐसे बनें कि गवर्नमेन्ट को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े। उसी सरल तरीके से कानून बने इससे जो हमारी पिछली व्यवस्था है उसके अन्दर भी सुधार हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि मैं भी चाहता हूं कि कानून जल्दी से बने, लेकिन मैं देखता हूं कि इस कानून के जल्दी नहीं बनने से हमारा विकेन्द्रीकरण का काम नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है वह तो चलता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चलते हुए काम को चलने दें इसको सुव्यवस्थित करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये।

श्री सम्पतराम : चेयरमैन महोदय....

श्री सभापति : कितना समय लेंगे ?

श्री सम्पतराम : करीब १५ मिनट।

श्री सभापति : अच्छा, आप पांच-सात मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री सम्पतराम (अकलेरा) : माननीय सभापति महोदय, आज इस राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०, का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है और इसका खास कारण यह है कि मैं लगातार २० वर्षों से सरपंच रहा हूं, पंचायत और तहसील पंचायत दोनों में मिलाकर। हमारे कोटा स्टेट में पहले पंचायतें थीं उस समय मैं वहां सरपंच रहा और जब राजस्थान बना और तहसील पंचायतें बनीं उस समय भी मैं था। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि कई सम्मेलन हमारे डिविज़न स्तर पर और राज्य स्तर पर हुए और वहां पर न्याय पंचायतें और उनको मुकदमों सम्बन्धी अधिकारों के दिए जाने के लिए और पंचायतों के कार्यों को और भी अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रस्ताव पास हुआ करते थे और हुए हैं। आज उन प्रस्तावों को इस विधेयक के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और उन्हें मन्जूर किया जा रहा है। ऐसी सूरत में इसका स्वागत करना मेरे लिए स्वाभाविक है। परन्तु सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह जो इसमें संशोधन पेश किये गये हैं, यह दो किस्म के हैं; पहला संशोधन न्याय पंचायतों के गठन के लिए है और दूसरा संशोधन जो है वह पंचायतों के काम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार को अधिक शक्ति देने के लिए है। परन्तु यह जो संशोधन है इसमें कई मामले नीति संबंधी हैं, और जो नीति सम्बन्धी मामले हैं उनको इतनी जल्दबाजी से पारित कर देना उचित नहीं होगा। इसलिए सिलेक्ट कमेटी मे यह विधेयक भेजने के बारे में प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं, और उसके लिए खास तौर पर चन्द शब्द मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्योंकि मुझे १० मनिट का ही टाइम दिया गया है।

पहली बात तो यह है कि किसी भी संस्था की अवधि हुआ करती है। न्याय

(श्री सम्पतराम)

पंचायतों का निर्माण इस विधेयक के द्वारा किया गया है उसमें कोई अवधि नहीं रखी गई है। पंचायत, तहसील पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी की कहीं पर भी जाए, अवधि हर एक के अन्दर है, मगर इसके अन्दर कोई अवधि नहीं है। यह सदा विद्यमान रहने वाली संस्था है और हरेक दो वर्ष के बाद इसके एक तिहाई सदस्य कार्यनिरत होते जायेंगे, यह इसमें व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में काफी गम्भीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। जबकि हम न्याय पंचायतें अलग करने जा रहे हैं, न्याय के लिए यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सीधा, सस्ता न्याय मिले और कम समय में मिले तो उसके सदस्यों और न्याय पंचायत के अध्यक्ष के दिल में यह महसूस नहीं हो कि हम दो साल के बाद में निरत हो जायेंगे इसलिए जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी की भावना से काम करो। मैं समझता हूं कि इसका कार्यकाल ५ साल का रहना चाहिए ताकि उसके सदस्य और जो अध्यक्ष है न्याय पंचायत के, वे अधिक जिम्मेदारी के साथ और निश्चितता के साथ में काम कर सकें।

इसके साथ साथ एक बात और जो इस न्याय पंचायत के लिए रखी गई है कि उनको मुकद्दमों और दावों के मामले में एकाधिकार दिया गया है। यह भी एक नीति सम्बन्धी मामला है। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान, कि फोरमर राजस्थान में जो एक्ट पास किया था, पंचायत एक्ट तो उसमें एकाधिकार १००) रु० तक के दावों का और ५०) रु० तक के जुर्माने का दिया गया था। उसके बाद सन् १९५३ में जो पंचायत एक्ट पास किया तो उसमें यह अधिकार पंचायतों से ले लिया और वादी और प्रतिवादी को अधिकार दिया गया कि वह कोर्ट में दावे कर सकता है, किसी फौजदारी कोर्ट में मुकद्दमें कर सकता है। इस एक्ट में जनता को वह अधिकार दे रहे हैं और न्याय पंचायतों को जहां २५०) रु० तक के दावों को सुनने का एकाधिकार दिया है वहां जुर्माने की सीमा केवल ५०) रु० तक की रखी है। उसमें कोई बेशी नहीं किया गया है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई और ऐसी सूरत में भी जब कि आज न्याय पंचायतों को ३२२ दफा के, मारपीट और गाली गलौच, और दूसरे मुकद्दमात ४२६ के इनको सुनने का एकाधिकार दिया है। पहले तो इन मुकद्दमात को कोर्ट में ले जा सकते थे। दीवानी के मामले दीवानी कोर्ट में ले जा सकते थे और फौजदारी के मामले फौजदारी कोर्ट में ले जा सकते थे, मगर अब केवल न्याय पंचायतों के सामने ही वे दावे और मुकद्दमे पेश किये जा सकेंगे। ऐसी सूरत में जनता को क्या न्याय मिल सकेगा? मैं निवेदन करूं आपसे, श्रीमन्, कि जहां पर काफी तादाद में गम्भीर अपराध हों वहां पर ५०) रु० का जुर्माना बहुत ही कम है। तो मैं समझता हूं कि यह एकाधिकार नियमानुसार होना चाहिए, और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि पहले जो अधिकार था, पहले जो प्रावधान था कि अपने मुकद्दमों को कोर्ट में या पंचायत में ले जा सकता है, अब भी वहां ले जाने की छूट होनी चाहिए। यह इसमें प्रावधान होना चाहिए।

इसके साथ साथ मेरे से पूर्व वक्ता न्याय

Page No.103

(श्री सम्पतराम)

पंचायतों के सदस्यों को सेशन जज के द्वारा हटाये जाने के बारे में कह चुके हैं। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी चुने हुए व्यक्ति को चाहे इन्डाइरेक्टली ही चुना हुआ हो एक सैशन जज को उसको हटाने की पॉवर नहीं होनी चाहिए। उसकी अपील राजस्थान सरकार को होनी चाहिए लेकिन उसकी अपील रखी गई है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में जाने में कितना खर्चा आता है। (१०००) १८००) रु० खर्च होता है। एक आदमी को गलत हटा दिया तो अपील करने जायगा न्यायालय में। उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। किसी किस्म का इसमें प्रावधान नहीं है जिससे उसके खर्चे की पूर्ति हो सके। ऐसी सूरत में जो प्रावधान रखा गया है सैशन जज द्वारा बर्खास्त किये जाने का वह उचित नहीं होगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायत से कोई डिग्री हुई या किसी तरह का फैसला हुआ तो उसकी अपील मुन्सिफ और मेजिस्ट्रेट की कोर्ट में रखी गई है। मैं, श्रीमान, निवेदन करूंगा कि जब यह सिद्धान्त मान लिया है चुने हुए लोगों के हाथों में न्याय के अधिकार सौंपने का, तो मैं नहीं समझ सका कि उनकी अपील सुनने के अधिकार बिना चुने हुए लोगों के हाथों में क्यों सौंपे जाय। अभी तक जो व्यवस्था थी, दो पंचायत कानून खत्म हो गये और तीसरा एमेंडमेंट आ गया है, किसी में भी यह व्यवस्था नहीं थी कि उसकी अपील किसी कोर्ट के अन्दर जाय, लेकिन अब अपील मुन्सिफ कोर्ट या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जायेगी। पहले चुने हुए लोगों के हाथों में अपील थी। उसकी निगरानी सैशन जज या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास थी। अब पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी पंचायत, न्याय पंचायत के लिए भी वह लागू होगा, सच्चाई के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर न्याय करेगी। मैं समझता हूं कि जब अपील इसकी होगी तो मुन्सिफ कोर्ट में जायेगी या मेजिस्ट्रेट की कोर्ट में जायगी, वहां क्या होगा? वहां क्या होगा कि वहां पर एवीडेन्स के आधार पर, कानून के आधार पर फैसले होंगे। तब एवीडेन्स और कानून के आधार पर फैसले होंगे तो सच्चाई और वास्तविकता के आधार पर जो फैसले देगी ते फैसले रद्द हो जायेंगे। चुने हुए लोगों की अपील चुने हुए लोगों के हाथों में नहीं सौंपकर कोर्ट्स के हाथ में सौंपना उचित नहीं है। इसलिए उसके ऊपर कोई अपील कोर्ट चुने हुए व्यक्तियों की होनी चाहिये, चाहे वे सरपंच हों या पंचायत समिति के सदस्य हों, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इसके अन्दर होनी चाहिए।

इसके अलावा, श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायत के अध्यक्ष को उन्हीं सदस्यों के द्वारा चुने जाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तहसील पंचायत के लिए जो प्रावधान था वह रखा जाता तो बेहतर होता कि पंचायत सर्किल के जितने भी सरपंच या पंच हैं वे न्याय पंचायत के सदस्यों और अध्यक्ष को चुनते। वह केवल उस सर्किल के ६,७, या ८ आदमियों के द्वारा जो कि सर्किल से चुने हुए आयेंगे उनके द्वारा वह अध्यक्ष चुना जायगा। इससे बेहतर यह होता कि उस पंचायत सर्किल के जितने भी पंच या सरपंच

(श्री सम्पतराम)

होते वे तो अध्यक्ष के साथ साथ न्याय पंचायत के सदस्यों को चुनते....

श्री सभापति : आप समाप्त करें ।

श्री संपतराज : दो मिनिट ।

इसके अलावा, श्रीमान, मैं निवेदन करूंगा कि सैशन के मामलों में पंचों और सरपंच को एक साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा है, यह ठीक है । ये कठिनाइयां आ रही थीं और इसका प्रावधान करना जरूरी था इस विधेयक में कि एक चुने हुए आदमी को केवल इसी आधार पर जुर्माने के साथ साथ एक वर्ष के कारावास की सजा दी जाय, मैं समझता हूं कि १०००) रु० का जुर्माना काफी होता, कारावास की सजा नहीं होनी चाहिये थी ।

इसके साथ साथ, श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल की धारा ६६ के द्वारा पंचायत एक्ट की धारा ७६ (३) (ट) में एक तरफ से कुछ जोड़ा गया है । इसमें बताया गया है कि पंचायतों के पंच और सरपंच के साथ साथ न्याय पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को भी भत्ता दिया जायगा । मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों में इतना काम बढ़ चुका है कि ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के भत्ते तक ही सीमित रखना उचित नहीं होगा । ग्राम पंचायत के सरपंच और न्याय पंचायत के अध्यक्ष को काफी काम करना पड़ेगा । उनकी काफी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है इसलिए उनके लिए वेतन नहीं रखेंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा । मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत के सरपंच और न्याय पंचायत के अध्यक्ष के ज़रिये से जो काम लेने में कुछ गफ़लत हो तो उनकी धरपकड़ करें, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और न्याय पंचायत के अध्यक्ष को वेतन देना पड़ेगा, भले ही वेतन कितना ही हो । इसके अलावा ....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री संपतराज : एक मिनिट ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री संपतराज : इसको सिलेक्ट कमेटी में सौंपा जाय । इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय ।

श्री सभापति : इस पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है । अब समय भी बहुत कम रह गया है ।

इसकी धारा ८ और ११ पर एमेंडमेंट्स हैं उस समय काफी बोल सकेंगे । वही ज्यादा अच्छा होगा । माननीय मंत्री महोदय भी अपना उत्तर केवल १० मिनिट में समाप्त कर दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय; इसके संबन्ध में जो युक्तियां इसके पक्ष में यहां पर पेश की हैं उनको मैंने भरसक ध्यान से सुना और जिन्होंने इसके विपक्ष में युक्तियां दी हैं वे मुझे अधिक प्रबल मालूम होती हैं । मुझे खेद है कि मैं

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

प्रवर समिति को पेश करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता ।

दो बातें इसमें मुख्य हैं । जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यहां पर हाउस में यह आश्वासन दिया गया था कि जो बड़ी पंचायतें हैं उनकी छोटी पंचायतें बना दी जायंगी और जल्दी ही बना दी जायगीं और तहसील पंचायतों के हटने के बाद न्याय पंचायतें बनाना जरूरी है । वह कार्यवाही बहुत तेजी से चल रही है और करीब करीब यह तय हो चुका है कि अक्टूबर में सब पंचायतों के फिर से चुनाव करा दें, ज्यादा से ज्यादा दिसम्बर तक कर दिया जायगा । अक्टूबर से पहले तक न्याय पंचायत स्थापित करने की सारी कार्यवाही और बड़ी पंचायतों को छोटा करने की कार्यवाही खत्म करनी चाहिये । यदि किसी कारण से इस संशोधन विधेयक को पास करने में देरी लगती है तो एक साल के बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी शुरू होगी और दो साल तक न्याय पंचायतें बन नहीं सकेंगी । इसलिए यह किसी भी हालत में उचित नहीं होगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जांय जिससे इस विधेयक को पास करने में देरी हो और कार्य में देरी हो ।

दूसरी बात यह है कि ऐसी महत्व की बातें नहीं बताई गई हैं जिनकी चर्चा के लिए समय चाहिये । जो कमियें बताई गई हैं वे ऐसी हैं जिनको संशोधनों द्वारा दूर कर सकते हैं; यह मैं सरकारी तौर से कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकारी पक्ष का आग्रह नहीं है । यह आग्रह प्रजातंत्र की रक्षा का है और इस बात का है कि इनको अधिक से अधिक अधिकार मिले । इसमें नोमिनेशन की जरूरत खड़ी होती है या एडमिनिस्ट्रेटर रखा हैं वह इसलिए है, आपद्धर्म में काम चलाने के लिये रखना पड़ेगा । इन सालों में जो अनुभव हुआ है उनको लेकर मजबूरी से करना पड़ा, आपद् धर्म के लिये तात्कालिक है, हमेशा के लिए नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य इस बात के लिए जोर नहीं देंगे कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय क्योंकि अब भी कई अमेंडमेंट्स आये हैं और अब भी दे सकते हैं । अभी तीन दिन हैं, काफी समय है; इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जिन संशोधनों को महत्वपूर्ण समझते हैं उनमें ज्यादा समय लें और जिनको मामूली समझते हैं उनमें थोड़ा समय लें; तो तीन दिनों में काफी चर्चा हो सकती है और तीन दिन की चर्चा होने के बाद इस बात का एहसास नहीं होगा कि जल्दबाजी की गई है, मैं भी चाहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये, मैं इसको पसन्द नही करता । यदि इसमें जरूरत समझता तो मैं खुद कहता कि इसको प्रवर समिति को दिया जाय ।

और भी कई बातें कही गई हैं जिनके विषय में संशोधन आयेंगे उस समय विचार करेंगे । सरकार को आग्रह नहीं है । सही बात होगी और वाजिब होगी तो उस तरह से आगे बढ़ेंगे, सरकार की ओर से देखा जायगा । मैं समझता हूं, आज इस बात पर ज्यादा जोर न देकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने आग्रह को देखते हुए संशोधन पेश कर सकते हैं । इतना कह कर मैं मानता हूं, जिन्होंने जोर दिया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या जनमत के लिए प्रसारित किया जाय वे अपने प्रस्ताव वापिस लेंगे ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला ने जो प्रस्ताव राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, १६६० को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी), जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे, प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : प्रश्न यह है कि "राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० को दो मास के अन्दर जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय" यह जो प्रस्ताव श्री दलीपसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

अधिनियम को विचारार्थ लिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : Many of the amendments have not yet been circulated, and so, they may be taken tomorrow.

श्री सभापति : Amendments may be taken up tomorrow.

House is adjourned to meet tomorrow at 11 a. m.

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ४.५५ म.प. दिनांक ८ अप्रेल, १६६० के म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ७ अप्रेल, १६६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	६६८७	रूपाहेली निवासी श्री सोहनलाल सुनार की पुलिस द्वारा पिटाई के कारण मृत्यु ।	
खण्डार ग्राम पंचायत के सचिव श्री हरिवल्लभ की गिरफ्तारी ।		दौसा डिपो में बीज हेतु एकत्रित ज्वार की नीलामी ।	
सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की नुमायशों के हिसाब में पाई गई अनियमितताओं पर कार्यवाही ।		ग्राम पंचायत, बदनोर, तहसील आसीन्द के हरिजनों को तनख्वाह न मिलने के सम्बन्ध में ।	
चूरू जिले में भांग के ठेकेदारों द्वारा अफीम व गांजा की अवैध बिक्री ।		बड़े कोआपरेटिव फार्म्स को मिलने वाली सरकारी सहायता ।	
पाली में एक्सट्रा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति ।		संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, द्वारा कम अवधि के भीतर राज्य प्रदर्शनी समिति बुलाना ।	
आर. टी. ए. उदयपुर द्वारा अजमेर-भीलवाड़ा रूट पर दिये गये परमिट ।		बीकानेर नगरपालिका का चुनाव ।	
अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट का जयपुर सिटी में लागू होगा ।		दौसा में करौली के मोटर स्टेन्ड को बालाजी के मन्दिर के पास ले जाना ।	
आर. टी. ए. उदयपुर द्वारा जे. बी. सिंह ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम परमिट का कैन्सिल किया जाना ।		बारां नगर के विकास हेतु अपेक्षित सहायता ।	
जोधपुर डिविज़न के बीज उत्पादक कृषि फार्म ।		पाली जिले में सूसी-शिवगंज बस सर्विस को गांव छोड़ होकर ले	

जाने की मांग।

राजस्थान के रेगिस्तानी एवं अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय-जल की समस्या के निवारण हेतु ऐसी समिति की प्रतिवेदन।

मातृ कुंडिया (चित्तौड़) में गांधीजी की मूर्ति की कुर्की।

स्थगित प्रश्न

२३-३-६०

पाली तहसील में बकाया बीज की वसूली।

३०-३-६०

बांसवाड़ा वन विभाग में लकड़ी की चोरी के मामले।

मेज पर रखे गये पत्र ६७५०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, पंचायत विभाग, ने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये निम्नांकित नियम सदन की मेज पर रखे:—

(1) The Rajasthan Panchayat Samitis (Lcans) Rules, 1960.

(2) The Rajasthan Panchayat Samitis Taxation Rules, 1960.

(3) The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Administration Report Rules, 1959.

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० ६७५२

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, पंचायत विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:—

(१) डॉ० चन्द्रकला, सदस्या, विधान सभा, ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तथा।

(२) श्री दलीपसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन रखा।

इन पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री जुगलकिशोर

२. श्री लक्ष्मीचन्द

३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर

४. श्री रामप्रसाद लड्ढा

५. श्री भीमसेन

६. श्री मुक्तिलाल मोदी

७. श्री जयसिंह राणावत

८. श्री लादूराम

९. श्री किशनसिंह बाटड़

१०. श्री शंकरलाल

११. श्री अर्जुनदास

१२. श्री भैरोंसिंह (१४)

१३. श्री पी० के० चौधरी

१४. श्री मोतीलाल चौधरी

१५. श्री सम्पतराज जैन

मंत्री, पंचायत विभाग के उत्तर के पश्चात्, डॉ० चन्द्रकला, ने संशोधन वापस ले लिया तथा श्री दलीपसिंह का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

शुक्रवार दिनांक ८ अप्रेल, ६० की कार्य–सूची

१. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, ६० (खंडशः विचार–विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ उत्तर देखिये)

प्रदर्शनियों की सूची

क्र० सं०	नाम प्रदर्शनी
१.	राजस्थान ग्रामोद्योग प्रदर्शनी
२.	राजस्थान विकास प्रदर्शनी
३.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, गोहाटी —
४.	शंकर्स वीकली चिल्ड्रन्स प्रदर्शनी, जयपुर
५.	सोशियल वेलफेयर कान्फ्रेन्स प्रदर्शनी, जयपुर
६.	भारत सेवक समाज प्रथम अधिवेशन, नाथद्वारा
७.	अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, इन्दौर
८.	विकास प्रदर्शनी, अलवर
९.	पशु मेला, नागौर
१०.	नया वर्ष प्रदर्शनी, अजमेर
११.	डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स कान्फ्रेन्स, मसूरी
१२.	राजस्थान दिवस, बम्बई
१३.	डेवलपमेन्ट कान्फ्रेन्स, आबू
१४.	राजस्थान प्रदर्शनी, १९५७

————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ का उत्तर देखिये)

IN THE APPELLATE TRIBUNAL OF S. T. A., RAJASTHAN, JAIPUR.

(Nathu Ram Mirdha, Tej Mal Bapna & C. S. Gupta)

Appeal No. P 4-1 (345)/58

M/s J. G. Singh Transport, Shahpura.

V/s.

Regional Transport Authority, Udaipur.

Appeal against resolution No. 184 dated 5th Aug., 1958 of RTA, Udaipur reg. cancellation of Stage Carriage permits of buses No. RJE 363, 46 and 48.

Present:-

(1) Shri K. L. Lamror, Counsel for appellants.

(2) Shri C. S. Pancholi, Secretary, RTA, Udaipur.

The salient facts of the appeal in question are that. The appellant firm is a partnership concern having a number of S. C. permits in Udaipur Region. Its partners are Shri Janki Lal and Shri Gyan Singh and both are known as proprítors thereof. It is said that one of the partners viz. Shri Gyan Singh had a Civil Litigation between some of his relatives and himself and on legal advice he gave a statement on 26. 8. 57 before the Civil Judge Shahpura that buses No. RJE 363 & 46 plying on Bhilwara-Banera-Shahpura and bus No.RJE 48 plying on Shahpura-Sareri have been sold and the income of these buses is also enjoyed by other persons. Relying upon this Statement the R. T. A., Udaipur gave a show cause notice under Section 60 of the Motor Vehicles Act on 18th October, 1957 for cancellation of the permits held by the said firm in respect of the aforesaid vehicles. It appears that the appellants did not respond to the notice in time under their resolution cited above the R. T. A. Udaipur after hearing the appellants cancelled the permits of appellants. The plea taken up by RTA. is this that the permits in question have been sold to other parties, without following the procedure laid down by Act and Rules, the appellants violated the conditions imposed on their permit. On being asked the counsel for appellant pointed out that the

vehicles in question never ceased to be owned by the appellants, what happened is this that appellants ownig to some financial difficulty mortgaged the income to be derived by these buses in favour of Debtor till money was adjusted. In support of his argument the counsel showed the original deed.

Upon examining the record and hearing the arguments now, it has become enough clear that appellants never ceased to own the vehicles in question only the income of these buses was hypothicated which is clear from the original deed shown by the appellants. The evidence given by one of the partner of the firm before Civil Judge, Shahpura is not binding before the other Court as has been decided by Calcutta High Court reported in A. I. R. 1955 page 595 We, therefore, accept the appeal.

A sum of Rs. 5/-may be refunded to the appellants out of the appeal fee deposited by them.

Judgment announced to-day the 29th November, 1958.

Sd. Nathu Ram Mirdha
Sd. T. M. Bapna.
Sd. C. S. Gupta.

Jaipur,
Dated 29th Nov., 1958.

————

COPY OF RESOLUTION NO. 184/58 OF THE REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY UDAIPUR REGION HELD ON 5TH AUGUST, 1958.

Cancellation of S. C. Permits of Bus No. RJE 363, 46 and 48.

The following were present:-

1. Shri Jankilal and Shri Gyan Singh with their counsel Shri H. R. Mehta.
2. Shri Lalchand with Shri Mohanlal Shrimal and Shri Bherulal Dangi.

The facts of the case are that M/s. J. G. Singh Transport, Shahpura have a number of permits on different routes and have been plying the bus for the last few years. This firm is known as J. G. Singh Transport whose partners are Shri Jankilal and Shri Gyan Singh and both are known as proprietor of this firm. Shri Gyan Singh gave a statement on 26/8/57 on behalf of M/s. J. G. Singh Transport before the Civil Judge, Shahpura wherein he has stated that (i) Buses No. RJE 363 and 46 plying on Bhilwara-Banera-Shahpura and (2) Bus No. RJE 48 plying on Shahpura-Sareri have been sold and the income of those buses is also enjoyed by other persons. He has no right to share the income of these buses. A notice under section 60 of the Motor Vehicles Act was served upon the permit holder on 18th Oct., 1957 to show cause within 10 days from the receipt of the notice, why permits of buses No. RJE 363, 46 and 48 be not cancelled. The permit holder did not reply to it and remained silent. Whatever he submitted in his time-barred representation has no material force.

The counsels for the non-applicant again repeated that the statement given by Shri Gyan Singh before the Civil Judge, Shahpura is substantial proof of selling of these permits to other parties. The income is also share by them as such the permits are liable to be cancelled.

The counsel for the applicant stated that the statement given by Shri Gyan Singh in another proceeding before the Civil Judge cannot be admitted here, the Regional Transport Authority hould Snot consider it as a sufficient proof for the cancellation of these permits.

Both the parties cited some rulings of the High courts.

The Regional Transport Authority considered the whole matter at

length and came to this conclusion that the permits have been sold to other parties without following the procedure laid down under the M. V. Act and Rules as the applicant received undue profit out of these sales. He has thus clearly violated the conditions imposed in his permit and the provisions prescribed under the M. V. Act. He ought to have informed the R. T. A. as soon as he ceased to own the vehicles covered by the permits.

It was, therefore, resolved that the permits granted in favour of M/s. J. G. Singh Transport for Bhilwara--Banera--Shahpura and Shahpura--Sareri routes in respect of buses No. RJE 363, 46 and 48 respectively be cancelled and the vacancies thus caused be again advertised.

———

इन्डीया

एक रुपया		एक रुपया

डोकूमेन्ट नं० १

॥ श्री रामजी ॥

भाई सीरूमलजी वल्द बन्सुमलजी सिंधी सा० बरेली हाल शाहपुरा से जानकीलाल ज्ञानसिंह मालिक जे० जी० सिंह ट्रांसपोर्ट, शाहपुरा की नमस्ते मालूम होवे। अपरंच हमारी गाड़ी नं० आर० जे० ई० ३६३ जो हायरपरचेज अग्रीमेंट से हमने लक्ष्मी फाइन्स, अजमेर से खरीद की है उसके करीब ६,०००) उनको अदा करना बकाया रहा है, अलावा इसके दीगर कर्जदारों को भी कुछ रकम देना है; इसलिये आज आपके पास से २२,५००) रु० साढे बाइस हजार लेकर यह गाड़ी आर० जे० ई० ३६३ हायरपरचेज अग्रीमेंट के ताबे हमने आप से रखी है आपको उक्त रकम पर १) सैकड़ा ब्याज के जब तक हमसे अदा नहीं होगी देते रहेंगे और इन रुपयों की वे बाकी उक्त बस की आमद में से आपके यहां जमा होती रहेगी। जब तक ब्याज और मूल कुल आपके अदा नहीं हो जायगी तब तक हम गाड़ी की कोई आमद हम नहीं ले सकेंगे। अगर शर्त मुताबिक आमद आपको नहीं देकर हम उठा लें तो आपको हक होगा कि आप हमारी गाड़ी रोक कर अपने कब्जे कर लेवें इसका हमको कोई उजर नहीं होगा। उपरोक्त कुल रकम और इसका ब्याज आपके जमा होने बाद ही आपका दखल इस गाड़ी से अलग होगा। यह इकरार हमारी खुशी से लिख दिया है सो सनद रहे।

ता:-१४-७-५७

पार्टनर जे० जी० सिंह जानकीलाल ज्ञानसिंह

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ का उत्तर देखिये)

पाली जिले के बीज गुणनकर फार्मों पर बीज का उत्पादन

खरीफ १९५९ तक पैदावार:–

ऐरनपुर कार्य:—

	अरण्डी	गेहूं	जवार	जौ	जई	मक्का	तिल	सनई	मूंग	सरसू	बाजरा	रबी '५९-६० में होने वाला अनुमानित उत्पादन । गेहूं	जौ
	–	२५१–१५–०	–	६–४–०	३–०–०	१४–३०–०	४–२०–०	१०–०–०	३–०–०	–	–	८००–०–०	१००–०–०
पाली	–	–	२२–३०–८	–	–	–	१३– ०–०	–	–	१–४–८	६–३०–०	१०००–०–०	–
सुरायत	५–०–०	–	–	–	–	–	६४–३०–०	–	–	–	–	–	–

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE LIST OF OUTSTNDINGS OF WHEAT SEEDS IN PALI TEHSIL

Sl. No. 1	Name of defaulter. 2	Village 3	Quantity outstanding Mds. Sr. Ch. 4
		YEAR 1953-54	
1.	Shri Gopi Nath	Bandae	78-5-0
2.	„ Hasan Ali	Pali	62-10-0
3.	„ Himta	Mandia	27-3-12
4.	„ Modia	„	3-32-8
5.	„ Bhikha	do	9-5-10
6.	„ Viriya	do	6-6-4
7.	„ Bhinla	do	12-33-3
8.	„ Jagroop	do	4-13-0
9.	„ Sima Ram	do	6-36-14
10.	„ Chunia	do	4-36-4
11.	„ Hara	do	19-0-0
12.	„ Boriya	do	6-25-10
13.	„ Ragia	do	10-28-2
14.	„ Talia	do	8-5-0
15.	„ Vania	do	15-0-0
16.	„ Kesia	do	4-16-4
17.	„ Venia	do	8-30-0
18.	„ Moola	do	3-30-0
19.	„ Bhera	do	8-8-12

1	2	3	4
20.	Shri Hukama	Mandi.	6-21-9
21.	„ Bhena	do	24-35-0
22.	„ Deva	do	12-36-1
23.	„ Chola	do	6-5-10
24.	„ Balia	Manpura	8-18-0
25.	„ Dula Moti	do	8-6-9
26.	„ Ratana	do	3-16-4
27.	„ Deva	do	7-13-0
28.	„ Sinaya	do	27-33-4
29.	„ Kera	do	9-7-2
30.	„ Heera	do	7-26-0
31.	„ Chatera	do	8-30-6
32.	„ Goverdhan	do	8-30-0
33.	„ Bhagirath	do	7-25-0
	YEAR 1954-55		
1.	Shri Rahim khan	Pali	3-5-0
2.	„ Chotu Khan	do	3-5-0
3.	„ Mahant Narainpuri	do	18-30-0
4.	„ Durgadas	do	9-15-0
5.	„ Kistoor	do	3-5-0
6.	„ Uda	do	6-10-0
7.	Shrimati Godavari	do	6-10-0
8.	Shri Annand Singh	do	18-30-0
9.	„ Ibrahim	do	6-10-0
10.	„ Dalpat Singh	do	18-30-0

Page No.119

1	2	3	4
11.	Shri Devi Singh	Pali	5-0-0
12.	„ Noot Mohammed	Manpura	5-0-0
13.	„ Pangi	do	9-15-0
14.	„ Khema	do	3-5-0
15.	„ Bhika	do	6-10-0
16.	„ Gamna	do	6-10-0
17.	„ Nanaji	do	6-10-0
18.	„ Shersingh	Asian	6-10-0
19.	„ Govind Singh	do	12-20-0
20.	„ Badri Das	Mandiyan	15-25-0
21.	„ Raghunath	Rawalwas	25-0-0
22.	„ Inder Bharti	Padasoli	6-10-0
23.	„ Chatarbhuj	Kandra	9-15-0
24.	„ Panna	do	3-5-0
25.	„ Thana	do	6-10-0
26.	„ Narain Singh	do	6-10-0
27.	„ Jog Singh	do	6-10-0
28.	„ Kishan Singh	do	6-10-0
29.	„ Gokulji	Naya Ganu	12-20-0
30.	„ Sariya	do	6-10-0
31.	„ Chaniya	do	6-10-0
32 .	„ Mohan Singh	Punayata	5-0-0
33.	„ Asu Singh	do	12-20-0
34.	„ Hem Singh	do	25-0-0
	„ Dhen Singh	do	19-0-0

1	2		3	4	
36.	Shri	Devi Singh	Punayata	12-20-0	
37.	„	Chunni Lal	do	12-20-0	
			YEAR 1955-56		
1.	Gram Panchayat		Simla	22-30-0	
2.	Shri	Karni Das	Pali	75-0-0	
3.	„	Chiman Lal	do	12-20-0	
4.	„	Poona Kishan	do	15-25-0	
5.	„	Pukhiya	do	15-25-0	
6.	„	Kheta	do	12-20-0	
7.	„	Akey Singh	do	12-20-0	
8.	„	Raoraja Narpat Singh	Aichiya	31-10-0	
9.	„	Girdhari Joon	do		Rs. 31/7/3
10.	„	Mukana	do	15-25-0	
11.	„	Dudaram	do	15-25-0	
12.	„	Prabhu	Neemli	25-0-0	
13.	„	Panna	Kero ki Dhani	12-20-0	
14.	„	Bhanwar Lal	Pali	12-20-0	
15.	„	Tulsia	do	18-30-0	
16.	„	Girdhari	do	12-20-0	
17.	„	Bhopal Singh	do	15-25-0	
18.	„	Amar Singh	Sodawas	37-20-0	
19.	„	Sarupa	Budhwara	18-30-0	
20.	„	Magha	do	25-0-0	
21.	„	Bhera	do	18-30-0	
22.	„	Rama	do	6-10-0	

1	2	3	4
23.	Shri Rama	Budhwara	25-0-0
24.	„ Hemla	do	25-0-0
25.	„ Maghi	do	25-0-0
26.	„ Siyan	do	6-10-0
27.	„ Pukhala	do	9-15-0
28.	„ Heera	Hemawas	25-0-0
29.	„ Khema	do	31-10-0
30.	„ Madha	do	18-30-0
31.	„ Bhaga	do	31-10-0
32.	„ Chiman	Balelao	25-0-0
33.	„ Hirka	Sodawas	18-30-0
34.	„ Marji	Aichiya	18-30-0
35.	„ Heersingh	do	25-0-0
36.	„ Jetha	Sodawas	25-0-0
37.	„ Deepa	Aichiya	25-0-0
38.	„ Sonaram	Sohanji Ki Dhani	125-0-0
39.	„ Poona	Hemawas	12-20-0
40.	„ Meerkakahn	Nimbehera	9-35-0
41.	„ Bhopa	Mandli	18-30-0
42.	„ Budhsingh	Punayala	12-20-0
43.	„ Rodsingh	Achiya	25-0-0
44.	„ Baluji	Pali	9-15-0
45.	„ Sardar Singh	Thakerla	21-35-0
46.	„ Bhanwar Singh	Kolayata	31-10-0
47.	„ Rahimkan	Pali	18-30-0

1	2	3	4
48.	Shri Gulab	Denda	Rs. 155/5/-
49.	„ Haman Singh	do	37-20-0
50.	„ Jetha	do	3-30-0
51.	„ Baluram	Pali	6-10-0
52.	„ Periya	do	18-30-0
53.	„ Taqqt Singh	do	9-15-0
54.	„ Barqat Ali	do	150-0-0
55.	„ Laxmi Narain	do	25-0-0
56.	„ Pukhiya	do	5-0-0
57.	„ Chawarlal	do	3-5-0
58.	„ Babulal	do	3-5-0
59.	„ Yousaf Ali	do	37-20-0
60.	„ Bagta	Gundose	15-25-0
61.	„ Hundan Singh	Bagaisar	37-20-0
62.	„ Roopdas	do	12-2-0
63.	„ Naina	G°rdase	9-15-0
64.	„ Sawaiya	Girda Ki Dhani	9-15-0
65.	„ Bhuriya	do	18-30-0
66.	„ Gachiya	do	18-30-0
67.	„ Magiya	Padasoli	9-15-0
68.	„ Verda	do	9-15-0
69.	„ Mansaram	do	6-10-0
70.	„ Thansingh	Danda	21-35-0
71.	„ Phoja	do	18-30-0
72.	„ Venaram	do	12-20-0

1	2	3	4
73.	Shri Megharam	Danda	50-0-0
74.	„ Rampratap	Gondose	25-0-0
75.	„ Khakhiya	Achiya	15-25-0
76.	„ Narain	do	9-15-0
77.	„ Bhika	do	12-20-0
78.	„ Moti	do	18-30-0
79.	„ Tulsiya	Sodawas	12-20-0
80.	„ Hanumant Singh	Danda	Rs. 181-14-6
81.	„ Salagram	Gondose	18-30-0
82.	„ Salagram	Kherwa	12-20-0
83.	„ Mohanlal	Neemli	25-0-0
84.	„ Ramchandra	do	15-25-0
85.	„ Ratanlal	do	15-25-0
86.	„ Sardar Singh	Takerli	25-0-0
87.	„ Modiya	Kanalan	18-30-0
88.	„ Nethiya	Kurna	15-25-0
89.	„ Lachhiya	do	15-25-0
90.	„ Chhaliya	do	15-25-0
91.	„ Somiya	do	15-25-0
92.	„ Raja	do	18-30-0
93.	„ Rama	do	15-25-0
94.	„ Bhamiya	do	18-30-0
95.	„ Bheriya	do	15-25-0
96.	„ Motiya	do	15-25-0
97.	„ Daljeet Singh	Giradara	250-0-0

Page No.124

1	2		3	4
98.	Shri	Bhumla	Budhwara	18-30-0
99.	„	Naina	do	25-0-0
100.	„	Roopsingh	Guta Narkran	25-0-0
101.	„	Pokar	Gundose	3-5-0
102.	„	Mula	do	37-5-0
103.	„	Jetharam	Pali	3-5-0
104.	„	Jeewankahn	Nimbahera	18-30-0
105.	„	Udaisujan	Dharmdhari	6-10-0
106.	„	Mangal Singh	Kendra	18-30-0
107.	„	Panna	do	6-10-0
108.	„	Pukhiya	do	12-20-0
109.	„	Ram Singh	do	6-10-0
110.	„	Chet Singh	do	9-15-0
111.	„	Khet Singh	do	6-10-0
112.	„	Gulam Mohd.	Hemawas	25-0-0
113.	„	Shankar	Bhaldao	6-10-0
114.	„	Roopa	Bala	6-10-0
115.	„	Naina	-do-	6-10-0
116.	„	Dunga	-do-	3- 5 -0
117.	„	Pura	-do-	6-10-0
118.	„	Bhagtia	-do-	6-10-0
119.	„	Nathukhan	Kurna	19-15-0
120.	„	Bhoota	-do-	6-10-0
121.	„	Meersomgj	Nimbahera	6-10-0
122.	„	Bhala	-do-	9-15-0

1	2	3	4
123.	Shri Pakiya	Nimbahera	6-10-0
124.	„ Jabar Singh	Sodawas	9-15-0
125.	„ Kalu Singh	Punayata	9-15-0
126.	„ Pabu Singh	-do-	9-15-0
127.	„ Shankar Singh	-do-	12-20-0
128.	„ Narain	Danda	6-10-0
129.	„ Bhura	Mandli	18-30-0
130.	„ Dungardas	Kendra	9-15-0
131.	„ Ajeem Singh	Nimbahera	9-15-0
132.	Pratap Singh	Akeli	6-10-0
133.	„ Heera	Aichiya	9-15-0
134.	Shrimati Modki	Mandia	9-15-0
135.	Shri Vena	-do-	9-15-0
136.	„ Laliya	-do-	9-15-0
137.	„ Rugha	-do-	6-10-0
138.	„ Kedhiya	-do-	9-15-0
139.	„ Vena	-do-	9-15-0
140.	„ Nirda	do	9-15-0
141.	„ Narain	do	12-20-0
142.	„ Dalpat Singh	Bhalesar	6-10-0
143.	„ Lakhiya	Punayata	6-10-0
144.	„ Gordhan	Manpusa	9-15-0
145.	„ Chatra	Manpura	6-10-0
146.	„ Parbhu Singh	Punayata	3- 5-0
147.	„ Bhama	Mandia	2-20-0

1	2	3	4
		YEAR 1956-57	
1.	Shri Hema	Keera Ki Dhani	6-10-0
2.	„ Goma	Manpura	6-10-0
3.	„ Bhera	do	9-15-0
4.	„ Baliya	do	6-10-0
5.	„ Girdhari	do	6-10-0
6.	„ Adiya	do	6-10-0
7.	„ Kera	Keenaki-dhani	6-10-0
8.	„ Laxman	do	12-20-0
9.	„ Jaitha	do	9-15-0
10.	„ Noor Mohammad	do	12-20-0
11.	„ Lal Singh	Sardar samand	281-10-0
12.	„ Chandan Singh	do	37-20-0
13.	„ Ibrahim	Hemawas	12-20-0
14.	„ Noorkhan	Bandae	12-20-0
15.	„ Tara Chand	Pali	12-20-0
16.	„ Panna	do	6-10-0
17.	„ Sura	do	6-10-0
18.	„ Dalpat Singh	do	6-10-0
19.	„ Panna Ram	do	12-20-0
20.	„ Ram Singh	do	12-20-0
21.	„ Bhanwar Lal	do	37-20-0
22.	„ Yakub	do	12-20-0
23.	„ Bhanwar Lal	do	25- 0-0
24.	„ Dhagal Das	do	3- 5-0

Page No.127

1	2	3	4
25.	Shri Verda	Mandali	12-20-0
26.	,, Neera	do	12-20-0
27.	,, Narain	do	12-20-0
28.	,, Behari Lal	Rawalwas	12-20-0
29.	,, Pura	Keera-ki-Dhani	6-10-0
30.	,, Sadu	Rawalwas	25- 0-0
31.	,, Bhopal Singh	Kandra.	137-39-8
32.	,, Chola Ram	Kapapipalri Dhani.	18-30-0
33.	,, Rameshar	Raghunath Garh	6-10-0
34.	,, Grampanchayat Jawali	–	187-20-0
35.	,, Danpat	Sojat	43-30-0
36.	,, Ginsulal	Punayata	312-20-0
37.	,, Jogala	do	12-20-0
38.	,, Rania	do	12-20-0
39.	,, Jawata	Balelad	18-30-0
40.	,, Kishna	Pali	17-32-8
41.	,, Mohan Lal	Padasala	17-32-8
42.	,, Pema	Kairo ki Dhani	11-35-0
43.	,, Chuna	Manpura ki Dhani	11-35-0
44.	,, Rama	do	5-37-8
45.	,, Harji	Keero ki Dhani	5-37-8
46.	,, Kunna	do	5-37-8
47.	,, Hema	do	11-35-0
48.	,, Hira	do	11-35-0
49.	,, Valla	do	11-35-0

1	2	3	4
50.	Shri Heera	Keero ki Dhani	5-37-0
51.	,, Kera	do	8-36-4
52.	,, Panna	do	5-37-8
53.	,, Chaina	do	5-37-8
54.	,, Mangu	do	5-37-8
55.	,, Mala	do	17-32-8
56.	,, Udha	Kiroki Dhani	5-37-8
57.	,, Ausla	do	5-37-8
58.	,, Bija	do	8-36-4
59.	,, Dungia	Bomadara	11-35-0
60.	,, Rama	Pali	13-17-8
61.	,, Ramlal	do	23-30-0
62.	,, Kishana	do	1-11-12
63.	,, Lachha	Mandli	11-35-0
64.	,, Hukam Singh	Jawadia	17-32-8
65.	,, Dharma	Mandia	47-20-0
66.	,, Pukhiya	Hemawas	11-35-0
67.	,, Ramla	Aichiya	5-37-0
68.	,, Mooliya	do	5-37-8
69.	,, Dalia	do	5-37-8
70.	,, Khangaria	do	17-32-8
71.	,, Govind Singh	do	17-32-8
72.	,, Panna	do	8-36-4
73.	,, Chimana	Hemawas	11-35-0
74.	,, Bhopa	do	17-32-8

1	2	3	4
75.	Shir Nijam	Hemawas	5-37-8
76.	„ Musa	do	7-13-12
77.	„ Gangla	do	17-32-8
78.	„ Sawnia	Kandra	8-36-4
79.	„ Kishan Ram	Padasala	8-36-4
80.	„ Dharma Ram	Neemli	5-37-8
81.	„ Deva	Hemawas	11-35-0
82.	„ Dungardan	Roopawas	0- 9-4
83.	„ Mohan Singh	Lambiya	1-35-0
84.	„ Tikama	do	11-35-0
85.	„ Umaid	do	11-35-0
86	„ Vardia	do	5-37-8
87.	„ Vijai Singh	Padasala	4-35-0
88.	„ Sanspuri	Lambiya	5-37-0
89.	„ Lalu Ram	do	6-35-0
90.	„ Sadul Bharti	Padasala	3-36-4
91.	„ Jalam Singh	do	11-35-0
92.	„ Ghisa Ram	do	4-35-0
93.	„ Tulsa Ram	Lambiya	8-36-4
94.	„ Bag Singh	Mandli	59-15-0
95.	„ Kalia	do	17-23-8
96.	„ Mohan Singh	Punayata	14-33-12
97.	„ Ratana	Akeli	5-37- 8
98.	„ Magna	do	17-32-8
99.	„ Moti	do	8-36-4

Page No.130

1	2	3	4
100.	Shri Prabhu Singh	Punayata	23-30-0
101.	„ Nar Singh	Chhenda	.3-12-12
102.	„ Mangal Singh	do	8- 9-12
103.	„ Pokherdas	Lambiya	4- 0- 0
104.	„ Satia	Hemawas	14-32-12
105.	„ Haria	Panayata	11-35-0
106.	„ Chataria	do	23-30-0
107.	„ Mangi Lal	do	23-30-0
108.	„ Chimna	Mandli	5-37-8
109.	„ Samia	Mandia	23-30-0
110.	„ Naru	Mandli	23-30-0
111.	„ Gulab	Kandra	6-37-12
112.	„ Basia	do	5- 2- 4
113	„ Mohan Singh	Punayata	23-30-0
114.	„ Nawala	do	11-35-0
115.	„ Junja	Mandia	11-35-0
116.	„ Bhima	do	11-35-0
117.	„ Kasia	Punayata	11-35-0
118.	„ Pamia	do	11-35-0
119.	„ Jerupa	Acihiya	11-35-0
120.	„ Meram	Akeli	5-37-8
121.	„ Suraj Mal	Punayata	14-32-12
122.	„ Bhomap Singh	do	14-32-12
123.	„ Sohan Singh	do	11-35-0
124.	„ Dalpat Singh	do	11-35-0

1	2	3	4
125.	Shri Keshar Singh	Punayata	11-35-0
126.	,, Nana Ram	do	23-30-/
127.	,, Kaka Ram	Padasli	11-35-0
128.	,, Laluram	Lambiya	8-36-4
129.	,, Pema Ram	do	5-37-8
130.	,, Nena Ram	do	5-37-8
131.	,, Chela Ram	do	1-16-4
132.	,, Dula Ram	Padasala	1-28-8
133.	,, Chuna	Dayalpura	17-32-8
134.	,, Ladhu Singh	Punayata	11-35-0
135.	,, Mathura Das	Dayalpura	17-32-8
136.	,, Ganesh Das	Balelao	11-35-0
137.	,, Chhotaska	Pali	23-30-/
138.	,, Kalu	do	23-30-0
139.	,, Agji	do	5-37-8
140.	,, Gulati	do	5-37-8
141.	,, Gopi Society	Jetpura	20-38-0
142.	,, Devi Singh	Punayata	11-35-0
143.	,, Kesha	Aichiya	8-30-0
144.	,, Naina	Pali	6-35-0
145.	,, Dhana Ram	do	11-35-0
146.	,, Keshar Singh	Jetpura	
147.	,, Salag Singh	Punayata	11-35-0
148.	,, Pratap Singh	Dayalpura	17-32-8
149.	,, Rawat Singh	do	11-35-0

Page No.132

1	2	3	4
150.	Shri Chain Ram	Jawdia	11-35-0
151.	„ Vishan Singh	Punayata	11-35-0
152.	„ Guman Singh	Padasala	17-32-8
153.	„ Dhan Singh	Punayata	11-35-0
154.	„ Dalia	Aichiya	11-35-0
155.	„ Chimna	Balelao	14-33-12
156.	„ Chhogala	Mandia	11-35-0
157.	„ Verda	do	11-35-0
158.	„ Tejia	do	23-30-0
159.	„ Salia	do	23-30-0
160.	„ Vena	do	35-25-0
161.	„ Tulsia	do	23-30-/
162.	„ Deva Ram	Pali	11-35-0
163.	„ Amar Singh	do	35 25-0
164.	„ Dharma	Sali	17-32-0
165.	„ Nawal Singh	do	23-30-0
166.	„ Jai Singh	do	17-32-8
167.	„ Jaber Singh	do	23-30-0
168.	„ Vane Singh	Sadawas	17-2-13
169.	„ Natia	Aichiya	17-32-8
170.	„ Modia	Padasala	11-35-0
171.	„ Lachhiya	do	11-35-0
172.	„ Pukiaya	do	11-35-0
173.	„ Punama	do	17-32-8
174.	„ Kena	Balelao	11-35-0

1	2	3	4
175.	Shri Harji	Balelao	11-35-0
176.	„ Sawiya	Senda	5-37-8
177.	„ Deep Singh	Girdar ki Dhani	4-30-0
178.	„ Khakiya	Aichiya	11-35-0
179.	„ Umed Singh	Basuji ka gada	23-30-0
180.	„ Gogala	Punayata	5-37-8
181.	„ Deva	Mandli	11-37-0
182.	„ Hameera	Sodawas	3-32-8
183.	„ Ashala	Akeli	5-37-8
184.	„ Pratap Singh	do	23-30-0
185.	„ Parbura	Guda Pratap Singh	20-31-4
186.	„ Bhaga	do	8-36-4
187.	„ Kishana	do	20-31-4
188.	„ Lalia	do	23-30-0
189.	„ Jilia	do	11-35-0
190.	„ Daula	Sali	11-35-0
191.	„ Sohangiri	Guda Puratap Singh	20-31-4
192.	„ Nanaka	Belelas	11-35-0
193.	„ Nawal Singh	do	28-30-0
194.	„ Chamna	Bomadara	5-37-8
195.	„ Gaj Singh	Chhot ka Bomadara	5-37-8
196.	„ Pukhiya	Padasala	4-33-12
197.	„ Mansa Ram	do	8-36-4
198.	„ Narainapuri	Pali	27-13-8
199.	„ Sadari Bas	Mandiya	14- 2-8

1	2	3	4
		YEAR 1958-59	
1.	Shri Manak Lal	Pali	44-3-2
2.	,, Shivnath	Balelao	5-35-2
3.	,, Bhikan	Utman	11-35-0
4.	,, Rama	do	11-35-0
5.	,, Ganesh	do	11-35-0
6.	,, Jeewa	do	11-35-0
7.	,, Meer Mohammad	Pali	5-35-2
8.	,, Kheema	Manpura	5-35-2
9.	,, Devaram	do	17-24-6
10.	,, Poonama	do	5-35-2
11.	,, Dhokal Singh	Punayata	17-25-6
12.	,, Ratena	Gundoso	14-27-13
13.	,, Devi Chand	Pali	17-24-6
14.	,, Bhun Singh	Dhoberia	8-32-11
15.	,, Sukh Dan	Nahada	23-20-8
16.	,, Tulcha	Mandia	23-20-8
17.	,, Choga	do	17-25-6
18.	,, Bhawani Singh	Raopbas	35-10-12
19.	,, Dhanji	Pali	14-27-13
20.	,, Chimana	Mandia	41-5-14
21.	,, Ganpat Singh	Giradara Ki Dhani	23-20-8
22.	,, Moti	Kharda	5-37-8
23.	,, Devpuri	Mandia	11-35-0
24.	,, Samiya	do	8-36-4

1	2	3	4
25.	Shri Vena	Mandia	11-35-0
26.	,, Budha Khuria	Bhilpali	2-38-12
27.	,, Manak Lal	Pali	44-3-7
28.	,, Dhana Ram	Mandia	14-27-13
29.	,, Devi Chand	Pali	5-35-2
30.	,, Keshari Singh	Roopawas	35-10-12
31.	,, Ganpat Singh	Girdara	11-30- 4
32.	,, Shankarji	Bandal	11-30-4
33.	,, Keshari Singh	Roopawas	20-31-4
34.	,, Gram Panchayat	Hemawas	19-10-10
35.	,, do	Guda Anla	478-5-0
36.	,, do	Nimbali	50-25-0
37.	,, do	Lambiya	157-20-0
38.	,, do	Sodawas	10-28-10
39.	,, Co-operative Society	Denda	56-10-0
40.	,, do	Bhanwari	25-10-4
41.	,, Gram Panchayat	Lambiya	11-5-8

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ७ अप्रैल, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६७४१	शीर्ष	६७ १	६७४१
६७४५	१६	कोई उज	कोई उज्र
६७५१	शीर्ष	सदन क मेज	सदन की मेज
६७६६	६	नहीं की	वहीं की
६७७०	अन्तिम	अब किस	अब किसी
६७७७	शीर्ष	(श्री जुबलकिशोर	(श्री जुगलकिशोर
६७७६	२ ३	that" Efforts	that efforts
६७८६–६२	शीर्ष	विघेयक, १६६०	विधेयक, १६६०
६७६६	६–१०	हस्तक्षेर	हस्तक्षेप
६८१३	१६	पुरुषें	पुरुषों
६८१७–१८	शीर्ष	–६ अप्रैल	–७ अप्रैल
६८३०	२७ व अन्तिम	थी फोर्थ	श्री फोर्थ
६८३१	३ व १२	थी	श्री
६८६४	शीर्ष	विडेयक	विधेयक
,,	१७	tiine	time
६८६७	शीर्ष	श्री पी. के. चीधरी	श्री पी. के. चौधरी
६८७८	,,	विघेयक	विधेयक
६८८३	११	ये सजेबक्ट	ये सब्जेक्ट
६८८७	२१,२३व२६	श्री सम्पतराम	श्री समम्पतराज
६८८६–६३	शीर्ष	(श्री सम्पतराज)	(श्री सम्पतराज)
६८६१	शीर्ष	राजस्थान पंचायक	राजस्थान पंचायत
६८६५	,,	,, पंचावत	,, ,,
६६०१	अन्तिम से २	(Lcans) Rules	(Loans) Rules
६६०६	१६	as propritors	as proprietors